शुक्रवार
१० दिसंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हमीरपुर में डाक के थैले का छीना जाना

*९९७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के भूतपूर्व कलेक्टर, जिन के विरुद्ध डाक के थैले को छीनने और उस में से कुछ पत्र निकालने का आरोप है, के आचरण के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमीरपुर रोड रेलवे स्टेशन पर डाक के थैले के छीने जाने में डाकखाने अथवा रेलवे के अधिकारियों की स्वीकृति थी ; और

(ग) क्या पत्रों के निकाल लिए जाने के बाद डाक के अधिकारियों को धमकाया गया था और उन्हें थैला वापस लेने को बाध्य किया गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) घटना की जांच की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार को इस की सूचना दे दी गयी थी ।

(ख) उत्तर 'नहीं' में है ।

(ग) उप-पोस्ट मास्टर को थैला लेने के लिए बाध्य नहीं किया गया था और थैले असैनिक कोष में रखे गये थे । यह प्रमाणित नहीं हो सका कि पोस्ट मास्टर को धमकाया गया था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं उस अधिकारी को जिस ने यह कार्रवाई की उस को कोई सज़ा दी गई ?

श्री राज बहादुर : सम्बन्धित अधिकारी जिस ने यह कार्रवाई की वह उत्तर प्रदेश सरकार के अनुशासन में है और केन्द्रीय सरकार ने इस सारी घटना की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को करा दी है और यह आशा की जाती है कि यू० पी० सरकार ने जांच कराए जाने के बाद इस अफसर के प्रति उचित कार्रवाई की होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस की जांच करने के बारे में कोई कार्रवाई की है या करने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया कि वह व्यक्ति जिस ने यह कार्रवाई की यू० पी० सरकार के अधीन है, केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने, जिन्होंने इस में सरकार की मदद की, सरकार उन के काम को एप्रीशियेट करती है ?

श्री राज बहादुर: डाक तार विभाग के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और इस की एप्रीशियेशन जो भी थी उन को दी गई ।

डाक व तार शिकायत संगठन

*९९८. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५४ को डाक व तार शिकायत संगठन के पास कितनी शिकायतें विचाराधीन थीं,

(ख) १९५४ में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान में इस संगठन ने कोई धोखे के मामले भी निबटाये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ४४,५८६ (चवालीस हज़ार, पांच सौ छियासी) ।

(ख) ४,३५,६७२ (चार लाख, पैंतीस हज़ार, छै सौ बहत्तर) ।

(ग) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह: प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि ३१, दिसम्बर, १९५३ को विचाराधीन शिकायतों की संख्या २६,००० थी । इस वर्ष यह संख्या ४४,००० तक बढ़ गई है । क्या इन्हें जल्दी निबटाया नहीं जा सका अथवा मामलों की संख्या ही अधिक थी ?

श्री राज बहादुर: शिकायत संगठन का पुनर्गठन किया गया है । पहले यह काम सर्कलवार किया जाता था । अब इसे निदेशालय से संलग्न एक शिकायत निदेशक के संगठित नियंत्रण में लाया गया है । मैं सारे देश की शिकायतों की संख्या बताता हूं । पर जैसा कि मैं ने अभी बताया, १-१-५४ से ३०-११-५४ तक ४,३५,६७२ है । १९५४ में अब तक निबटायी गई शिकायतों की संख्या ४,२७,८३२ है और १-१२-५४ को विचाराधीन मामलों की संख्या ४४,५८६ है ।

सरदार हुक्म सिंह: इस अवधि में कितनी राशि के धोके के मामलों का भाण्डा फोड़ा गया ?

श्री राज बहादुर: मैं धोखे के मामलों की संख्या बता सकता हूं। ३१-१२-५३ को १०,५८७ मामले शेष थे । मुझे खेद है कि मैं इन की राशि नहीं बता सकता ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या डाक कर्मचारी धोखा करने के मामलों से सम्बद्ध थे अथवा बाहर वाले भी थे ? यदि बाहर वाले भी थे, तो इस वर्ष डाक कर्मचारियों ने डाक विभाग से कितनी राशि का धोखा किया ।

श्री राज बहादुर : मेरे पास अभियुक्तों के अलग अलग श्रेणीवार आंकडे नहीं हैं । मेरे पास तो केवल विचाराधीन मामलों का है। सारे भारत में धोखे के विचाराधीन मामलों की संख्या ४,१३९ है और जो मामले ६ मास से अधिक समय से विभाग में जांच के लिये विचाराधीन पड़े हैं, उन की संख्या १,६५६ है ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं ने धन की राशि के बारे में पूछा था । खैर, मैं अब दूसरा प्रश्न पूछूंगा । क्या डाक व तार विभाग के गज़ेटेड पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पक्षपात किये जाने अथवा उन्हें तंग करने के मामलों की शिकायतें भी ध्यान में लाई गई हैं ।

श्री राज बहादुर: शिकायत संगठन केवल जनता कि शिकायतों को ही निबटाता है । वास्तव में विभाग के उच्चाधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पक्षपात करने अथवा उन्हें तंग करने के मामले

विभागीय मामले होते हैं और उन्हें विभागीय पदाधिकारी ही निबटाते हैं।

अगिया-घास

*९९९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगिया घास (सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस तथा अन्य प्रकार से आयोनोन्स के बनाने तथा विटामिन ए के संश्लेष को तैयार करने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में आयोनोन्स तथा विटामिन ए की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८]**

श्री वी० पी० नायर: इस को देखते हुए कि १९५२, १९५३ और १९५४ में अगिया घास के तेल का निर्यात मूल्य कई बार गिरा है, क्या सरकार ने अगिया घास के तेल से उन चीज़ों को बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है, जो कि कई लाख रुपये की बाहर से मंगाई जा रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस प्रश्न का उत्तर तो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री दे सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर: मैं विवरण में देखता हूं कि १ मई, १९५५ से सरकार द्वारा निश्चित किए गये स्तर के अनुसार केवल वनस्पति बनाने के लिये ही लगभग ५० लाख आई० यू० विटामिन ए की वार्षिक आवश्यकता होगी। क्या सरकार ने इस संभावना के बारे में पूछ-ताछ की है कि अगिया घास के तेल से, जिस की कीमत घट जाती है और लाखों कृषकों तथा अगिया घास के तेल के निर्माताओं को कीमतों की इस गिरावट से नुकसान उठाना पड़ता है, विटामिन ए की इतनी बड़ी आवश्यकता का कुछ भाग पूरा हो सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम विटामिन ए और आयोनोन्स का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए यथासंभव प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु गैर सरकारी उपक्रम ही इस से पूरा पूरा लाभ उठा सकता है।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार ने अगिया घास के तेल जैसे देशी संसाधनों से विटामिन ए के निर्माण के लिए, जो कि देश की औद्योगिक सम्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक है, अभी तक कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो उन का क्या परिणाम निकला है ? क्या ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि जल्दी ही भारत की विटामिन ए की आवश्यकता काफ़ी हद तक यहीं से पूरी होने लगेगी ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ? अगिया घास के तेल के बी-आयोनोन से कृत्रिम विधि द्वारा हमारी प्रयोगशालाओं में विटामिन ए बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह देखा गया है कि कृत्रिम विटामिन अधिक अच्छे होते हैं और उन के बनाने में कम खर्च पड़ता है। जहां तक ताड़ के तेल से विटामिन ए बनाने का सम्बन्ध है, सब से परेशानी उस तेल को बेचने की है, जो कि विटामिन ए के मूल तत्व निकालने के बाद रह जायेगा, क्योंकि साबुन बनाने के लिए देश में और भी सस्ते तेल उपलब्ध हैं। अतः ताड़ के

तेल से विटामिन ए बनाना उचित नहीं समझा जाता हैं ।

रेलवे स्टेशनों पर भिखारियों की समस्या

*१०००. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारी रेलवे स्टेशनों पर भिखारियों की समस्या से अवगत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, बहुत से स्टेशनों पर भिखारी अनधिकृत रूप से घुस जाते हैं और यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करते हैं ।

(ख) सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग के कर्मचारियों तथा चलती गाड़ी में टिकट देखने वाले कर्मचारियों सहित सारे रेलवे कर्मचारियों को यह अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे भिखारियों को रेलवे प्लेटफार्मों और गाड़ियों के अन्दर घुसने से रोकें, जब कभी भिखारी मिलें तो उन को बाहर निकाल दें, और यदि आवश्यकता हो तो पुलिस की भी सहायता लें । राज्य सरकारों से भी यह प्रार्थना की गई है कि वे इस मामले की ओर विशेष ध्यान दें और ऐसे उपयुक्त उपाय करें जिन से संतोषजनक परिणाम निकलें ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या ये भिखारी भीख लेने के लिए चलती गाड़ियों में घुस आते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ ऐसा भी करते होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य ज्ञान की बात है । प्रत्युक यात्री इस बात को जनाता है ।

डित सी० एन० मालवीय : क्या रेलवे मिनिस्ट्री बड़े बड़े जंक्शनों में पूअर हाउस खोलेने का विचार कर रही है, जहां इन को रख कर कोई काम सिखाया जाए ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसा ख्याल रेलवे मिनिस्ट्री का तो नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि भोपाल, जहां से कि आप आये हैं, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स अगर इस तरफ ध्यान दें, तो अच्छा है ।

श्री आल्तेकर : गाड़ियों के आने के समय बिना प्लेटफार्म टिकटों के उन्हें प्लेटफार्म पर कैसे आने दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ।

खाद्य नियन्त्रण

*१००१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों पर कौन कौन से प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण अब भी लागू हैं ; और

(ख) ये कब तक हटा दिए जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). इस समय केवल गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों के एक खंड से दूसरे खंड तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को लाने ले जाने पर ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

जैसे ही गेहूं की संभरण स्थिति में और सुधार होगा, इस प्रतिबन्ध को हटाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : अनुमानत : कब तक की गेहूं की स्थिति सुधर जायेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: ज्यों ही गेहूं की खड़ी फसल के परिणाम का हमें पता लगेगा यह हो जायेगा। अब गेहूं की न्यूनता के मास हैं, ज्यों ही वर्तमान खड़ी फसल का परिणाम पता लगेगा यह कर दिया जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या खाद्य नियं ण सम्बन्धी प्रतिबन्ध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटाये गये हैं कि हमारी सरकार खाद्यान्न की बहुत मात्रा विदेशों से मंगवा रही है और क्या इन आयातों को बन्द कर देने पर भी ये नियंत्रण जारी रहेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हम देश में अपने स्थानीय उपभोग के लिए खाद्यान्न का आयात नहीं कर रहे हैं। हम १५ लाख टन का डार बनाने के लिये १० लाख टन का आयात कर रहे हैं। जैसा मैं ने पहले अभी बताया हम १० लाख टन खाद्यान्न का आयात करेंगे और दिसम्बर के अन्त में हमारे पास १५ लाख टन खाद्यान्न का भंडार हो जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या इस बात के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्रतिवेदन मांगे गये हैं कि क्या इन नियंत्रणों के हटाने से कहीं मूल्यों वृद्धि तो नहीं हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमें कभी यह आशा नहीं थी कि प्रतिबन्ध हटाने से मूल्य बढ़ जायेंगे। वस्तुतः मूल्य गिराने और देश में साधारण स्थिति पैदा करने के लिए ही ऐसा किया गया था।

कृषि योग्य बनाने की लागत

*१००२. **श्री डाभी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि को कृषि योग्य बनाने की लागत में वृद्धि के कारण हुई हानि को जानने के लिए और इन हानियों के उत्तरदायित्व को नियत करने के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच के बारे में प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन की कण्डिका २३ में की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): प्राक्कलन समिति द्वारा केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कार्य के सम्बन्ध में उस के सातवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है। अगले कुछ सप्ताहों में इन के सम्बन्ध में सरकार के आदेश प्राप्त होने की आशा है।

श्री डाभी: क्या यह सच है कि समिति की राय में भूमि को कृषि योग्य बनाने की लागत लगभग ६५ रुपये प्रति एकड़ है, जो कि बहुत अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हां, श्रीमान्। प्राक्कलन समिति का यह दृष्टिकोण था कि भूमि को कृषि योग्य बनाने की लागत कुछ अधिक है।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट आम किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए उस कीमत को कुछ कम कर देगी, और रिक्लेमेशन में वेस्टेज की वजह से जो ज्यादा खर्च हुआ है उस को निकाल कर बाकी कीमत किसानों से वसूल करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस में कीमत काफी कम कर दी गयी है, और मेम्बर साहब का जो यह कहना है कि लासेज़ की वजह से कीमत बढ़ गयी है, यह ठीक नहीं है।

श्री टी०एस०ए० चेट्टियार: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स में अधिक समझा जाता है और सरकार भी उसे स्वीकार करती है, क्या सरकार इस की जांच करेगी और लागत को कम करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह पहले ही कम कर दी गई है।

डाक कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१००५. **सेठ गोविन्ददास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ो वर्षों में डाक कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोग के ऐसे कितने मामले हुए (१) जिन की जांच पड़ताल की गई थी (२) जिन में विभाग द्वारा दण्ड दिया गया, और (३) जिन में न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : २०७६—१५३२–५३ में १,०१२ मामले; १९५३–५४ में १,०६४ मामले ।

(१) सब मामलों की जांच पड़ताल की जाती है, कुछ मामलों में जांच पूरी हो गई है और कुछ की जांच हो रही है ।

(२) २६४—१९५२-५३ में ८९; १९५३-५४ १७५

(३) २७०—१९५२-५३ में १२०; १९५३-५४ में १५० ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी जो आंकड़े दिये उन से यह मालूम होता है कि इन गुनाह करने वालों की संख्या करीब करीब बराबर रही है । इस का क्या कारण है कि हर साल करीब करीब उतने ही लोग यह अपराध करते हैं ?

श्री राज बहादुर : यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य स्वभाव में कुछ न कुछ दोष होता ही है और इसे कोई बदल नहीं सकता । इसलिए गुनाह करने वालों की गिनती भी बराबर सी बनी रहती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से सर्किल में यह बला ज्यादा मा ा में पायी गयी है ?

श्री राज बहादुर : सब से ज्यादा मुजरिमों की तादाद बम्बई ं पायी गयी है ।

बरहरिया पुलिस स्टेशन में तार घर

*१००६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **संचार** मंत्री ८ अप्रैल, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार के सारन ज़िले के बरहरिया पुलिस स्टेशन में एक तार घर खोलने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह तार घर कब से आरम्भ हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लाइन लगाई जा रही है ।

(ख) ३१-३-१९५५ से पूर्व ।

गन्ने का मूल्य

*१००७. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के मूल्य को चीनी के कारखानों की आय से सम्बद्ध करने के लिए सरकार ने एक नया सूत्र बना लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का सू बनाया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) सूत्र की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९**]

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि चीनी कारखानों के मालिकों के अपनी चीनी बेचने के लिये बड़े शहरों में अपने निजी गोदाम हैं और इन ोदामों में जिस भाव पर चीनी बेची जाती है उस से कहीं कम विक्रय मूल्य दिखाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : स विषय में हमारे पास कोई विशिष्टि सूचना नहीं है, किन्तु सम्भवतः यह सही हो ।

श्री गिडवानी : अतः मिल मालिकों के अभिलेखों में चीनी की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम सभी बातों पर विचार करते हैं । यदि हमें इस शरारत की सूचना मिले तो हम इस की जांच करेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विभिन्न प्रदेशों के लिये मूल्यों के बटवारे की अलग अलग दरें किस आधार पर निश्चित की गई हैं और क्या कुछ प्रदेशों ने गन्ने के मूल्यों को बढ़ाने की मांग की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : न्यूनतम मूल्य सम्पूर्ण भारत में एक समान है, इस में कहीं कोई अन्तर नहीं है ।

तेलों पर उपकर

*१००९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तिलहन समिति ने ग्राम तेल उद्योग को संरक्षण देने के लिये विद्युत् से चलने वाले कारखानों में बने सभी तेलों पर अतिरिक्त उप-कर लगाने की सिपारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कारखानों में बने तेलों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा नहीं रखा गया था । भारतीय तिहलहन समिति अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत योजना आयोग ने कारखाने में बने तेल पर प्रति मन आठ आना अतिरिक्त शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । आयोग के इस सुझाव पर भारतीय तिलहन समिति ने विचार किया था और उस ने कारखाने में बने तेल पर प्रथम पांच वर्षों तक एक आना प्रति मन तथा उस के पश्चात् दो आने प्रति मन अतिरिक्त उपकर लगाने की सिफारिश की थी ।

(ख) भारत सरकार का घानियों से और तेल पेरने के कारखानों से तेल पेरने के उद्योग के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति करने का विचार है जो इस सम्बत्ध में सरकार से सिफारिश करेगी कि भविष्य में किस ढंग पर तेल पेरने के उद्योग का विकास होना चाहिये । अन्य चीज़ों के साथ, यह समिति स बात की भी जांच करेगी कि क्या कारखानों में बने तेल तर अतिरिक्त शुल्क लगाने की आवश्यकता है ।

श्री सोधिया : इस सारे मामले पर अन्तिम निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, आशा है कि समिति लगभग ई मास में प्रतिवेदन दे देगी । तत्पश्चात्, निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री सोधिया : क्या मधु उद्योग को इस समय सरकार कोई अर्थ सहायता दे रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुछ सिफारिशें करता है तथा मधु उद्योग को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से धन दिया जाता है ।

श्री डाभी : समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनके नाम मेरे पास यहां नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान, उनके नाम मेरे पास हैं, क्या मैं पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

रूसी ट्रैक्टर

*१०१२. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ सितम्बर, १९५४ के तारांकित इन संख्या १०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी ट्रैक्टरों से काम लेना आरम्भ कर दिया है और उन की उपादेयता की परीक्षा कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शिल्पिक पदाधिकारियों की क्या राय है ; और

(ग) उन्हें आयात करने के लिये कृषकों को कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). चार रूसी ट्रैक्टरों की परीक्षा देहली तथा भोपाल में की जा रही है और भारत में इन ट्रैक्टरों की उपादेयता के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को शीघ्र ही दिए जाने की आशा है ।

(ग) उन के द्वारा और आयात की प्रक्रिया का निर्णय परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : ये ट्रैक्टर इस देश में कब प्राप्त हुए थे ।

डा० पी० एस० देशमुख : अधिक से अधिक उनको आये लगभग तीन-चार मास हुए होंगे ।

अवशिष्ट टेलीफोन राजस्व

*१०१३. **श्री सारंगधर दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ से ले कर १९५४-५५ तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में टेलीफोन राजस्व की अवशिष्ट राशि कितनी है ;

(ख) कितने प्रतिशत अवशिष्ट राशि सरकारी विभागों की ओर निकलती है और कितने प्रतिशत अन्य लोगों की ओर ;

(ग) वसूली में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) वसूली में शीघ्रता लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और वह लक्ष्य तिथि कौन सी है जब तक वह इस लेखे को बन्द कर देने की आशा करती है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]

(ग) मुख्यतः अवशिष्ट राशि सरकारी कनेक्शनों से ही सम्बन्धित है। सरकारी अभिदाताओं की वसूली आम तौर से पुस्त समायोजन द्वारा की जाती है और इस सौदे को अन्तर्विभागीय अथवा सरकारी समायोजन समझा जाता है। अन्तर्विभागीय राजस्व के समायोजन के आधार पर भुगतान न किये जाने या विलम्ब से किये जाने पर किसी प्रकार का अर्थदण्ड न लगने के कारण ही सम्भवतः इतनी अधिक अवशिष्ट राशि इकट्ठी हो गई है ।

(घ) अवशिष्ट टेलीफोन राजस्व को वसूल करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये एक विशेष कार्य लेखा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जा रही है।

इन लेखों को समाप्त करने की कोई लक्ष्य तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री सारंगधर दास: क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी विभागों पर इतनी बड़ी राशि अवशिष्ट है जनता की अवशिष्ट राशि भी उसी प्रकार बनी हुई है, क्योंकि लोग यह समझते हैं कि जब सरकारी विभाग ही समय पर भुगतान नहीं करते, तो वे क्यों करें ?

श्री राज बहादुर: गैर-सरकारी एजेंसियों के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। सरकारी विभागों के सम्बन्ध में तो यह पुस्त-सभायोजन की बात है और इस कारण विभाग उनके मामले में प्रतीक्षा कर सकता है। वास्तव में अर्जित राजस्व बता दिया जाता है और हम जानते हैं कि गैर सरकारी एजेंसियों तथा उपभोक्ताओं से कितनी राशि प्राप्त हुई है और सरकारी विभागों से कितनी।

श्री सारंगधर दास: तो क्या इन पुस्त-सभायोजनाओं में इतना अधिक समय लगता है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, क्योंकि बीजकों की जांच की जाती है कि ये टेलीफोन कॉल सरकारी कार्यों के लिये किये गये थे अथवा नहीं। इस विषय में प्रत्येक विभाग अपनी सन्तुष्टि कर लेता है।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि ग्राहकों को ट्रंक काल तथा साधारण काल के बीजक देने में असाधारण बिलम्ब होता है, और यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यहां तक कि संसद् सदस्यों के बीजक भी तीन-चार मास के बाद दिये जाते हैं।

श्री सारंगधर दास: तीन या चार वर्ष के बाद।

श्री राज बहादुर : बीजकों के विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, किन्तु हम इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं कि बीजक ठीक हों। वास्तव में पहले टेलीफोन राजस्व का लेखा रखने की एक केन्द्रीय प्रणाली थी किन्तु अब हम इस का विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। उदाहरण के लिये हमने दिल्ली कार्यालय को दो भागों में बांट दिया है और नागपुर में एक नया टेलीफोन राजस्व का लेखा रखने वाला कार्यालय खोल दिया है। हमारा और भी कार्यालय खोलने का विचार है जिससे कार्य का विभाजन किया जा सके।

तार तथा टेलीफोन के तार

***१०१४. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तार तथा टेलीफोन के ऊपर तारों के स्थान पर भूमि के नीचे के तार लगाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह योजना अभी तक देश के किसी भाग में क्रियान्वित की गई है ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) देश के महत्वपूर्ण नगरों को मिलाने के लिये अधिक दूरी के स्थानों में भूमि के

नीचे तार बिछाने की क योजना विचाराधीन है ।

(ख) जी हां, छोटे रूप में ।

(ग) लगभग २३०० मील लम्बे तार बिछाने की सारी योजना पर लगभग ९·५ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: किन किन स्थानों पर यह योजना पहले ही चालू है ?

श्री राज बहादुर : बम्बई-थाना और कलकत्ता-आसनसोल । बम्बई-थाना में यह पूरी हो गई है और कलकत्ता-आसनसोल में तार बिछाये जा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधि-कांश तारों के लिये हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्या सरकार ये भूमि के नीचे बिछाये जाने वाले तार बनाने के लिये एक कारखाना खोलना वांछनीय समझती है ?

श्री राज बहादुर: हम महीजान में पहिले ही एक कारखाना खोल चुके हैं और इस में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: भूमि के नीचे बिछाये जाने वाले इन तारों का उत्पादन करने वाले इस कारखाने का क्या उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री राज बहादुर: मुझे स्मरण नहीं है कि इस का लक्ष्य क्या है, किन्तु बहुत शीघ्र ही यह हमारी मांग को पूरा कर सकेगा ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

***१०१७. श्री धूसिया**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ठेकेदारों को मिठाइयां, पान, चाय और फल आदि बेचने के ठेके देने के सम्बन्ध में सामान्य नीति क्या है ?

(ख) क्या इन ठेकों का नीलाम बड़े दफ्तर में होता है या विभिन्न स्टेशनों पर; और

(ग) इस का विज्ञापन कैसे किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) बड़े स्टेशनों पर, जिन में महत्वपूर्ण जंक्शन और बड़े अन्तिम स्टेशन भी हैं, ये ठेके पुराने और अनुभवी लोगों को दिये जाते हैं जिन का पेशा ही भोजन व्यवस्था करना रहा हो । अन्य स्टेशनों पर इन के लाइसेंस साधारण-तया स्थानीय लोगों, अनुभवी विस्थापित लोगों सहित (जिन में विक्रेता भी शामिल हैं) जो उस क्षेत्र में बस गये हों, को दिये जाते हैं । और सब बातें समान होते हुए ये लाइसेंस देने में विस्थापित व्यक्तियों और रजिस्टर हुई सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है । इन दोनों में से विस्थापित व्यक्तियों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है । ये ठेके देते समय सब से बड़ी बात यह देखी जाती है कि ठेकेदार भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह कर सकता हो ।

(ख) बड़े दफ्तर या स्टेशनों पर इन ठेकों का नीलाम नहीं किया जाता । लाइ-सेंस शुल्क का निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि कितना सामान बिकने की आशा है । ठेके प्रार्थना पत्र आने पर दिये जाते हैं और प्रत्येक प्रार्थना पत्र की जांच इस उद्देश्य से की जाती है कि प्रार्थी अपना काम सन्तोष-जनक ढंग से कर पायगा या नहीं ।

(ग) अधिक महत्वपूर्ण ेकों के लिये समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा और छोटे ठेकों के लिये स्टेशनों पर नोटिस लगा कर प्रार्थनापत्र मांगे जाते हैं ।

श्री धूसिया : अधिक महत्वपूर्ण ठेके क्या होते हैं और उन का विज्ञापन कैसे किया जाता है ? क्या इन का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों, प्रादेशिक पत्रों या दफ्तर में नोटिस बोर्ड पर लगा कर किया जाता है ?

श्री शाहनवाज खा : अधिक महत्व-पूर्ण ठेके वे हैं जो हावड़ा, मुगल सराय और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशनों के होते हैं। विज्ञा-पन स्थानीय तथा सारे भारत में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में दिये जाते हैं।

श्री धूसिया: मेरा प्रश्न यह था कि वे कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिन के लिए विज्ञापन दिया जाता है।

श्री शाहनवाज खां : प्रश्न वस्तुओं का नहीं बल्कि महत्वपूर्ण स्टेशनों का मामला है।

कुमारी एनी मैस्करीन: ठेकों पर लाभ का कितने प्रतिशत सरकार को दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां: हम यह अनुमान नहीं लगाते कि ठेकेदारों को कितने प्रतिशत लाभ होता है। उन के शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए उन से लाइसेंस शुल्क ले लिया जाता है।

श्री धूसिया: एक प्रश्न और ....

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न को लेंगे।

श्री भक्त दर्शन: प्रश्न कर्त्ता ने इस प्रश्न के पूछने का मुझे अधिकार दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न सब से बाद में लिया जायेगा।

चितरंजन में रेलवे इंजनों का कारखाना

***१०२१. श्री नवल प्रभाकर:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छै महीनों में चितरंजन के रेलवे इंजनों के कारखाने में काम की क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): १-४-१९५४ से ३०-९-१९५४ तक ३६ इंजन बनाने का लक्ष्य था और ४६ पूरे कर लिए गए हैं। इस की तुलना में सारे १९५३-५४ वर्ष में कुल ६४ इंजन बनाये गये थे।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि जो इंजन यहां पर तैयार किये जाते हैं, उन के जो पुर्जे होते हैं उन में से कितने प्रतिशत बाहर से मंगाये जाते हैं।

श्री अलगेशन: क्या यह संकेत विदेशों से मंगाये गये पुर्जों की ओर है ?

अध्यक्ष महोदय: जी, हां। क्या यह अनुपात ८० प्रतिशत है, ८५ प्रतिशत या ९० प्रतिशत और देश में कितने प्रतिशत पुर्जे तैयार किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन: कुल ५,३३५ पुर्जों में से ४,४७५ पुर्जे तो चितरंजन में ही बनाये जाते हैं और ७६९ पुर्जे देशी निर्माताओं से लिए जाते हैं। कुल ९० पुर्जे बाहर से मंगाये जाते हैं।

श्री के० सी० सोधिया: इन ९० पुर्जों का मूल्य कितने प्रतिशत होता है ?

श्री अलगेशन: यह अनुपात पुर्जों की संख्या की तुलना में अधिक है। मैं यह नहीं बता सकता कि इन का मूल्य कुल लागत का कितने प्रतिशत होता है, परन्तु यह अधिक नहीं होता।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: इंजनों की लागत विदेशों से मंगाये गए इंजनों की तुलना में कितनी है ?

श्री अलगेशन: जहां तक देश में बने इंजनों की लागत का सम्बन्ध है यह अब विदेशी इंजनों के बराबर ही हो गई है।

हम इन का निर्माण अधिक संख्या में करने लगें तो यह और भी कम हो जायेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : चितरंजन के कारखाने का उत्पादन १२० से १५० करने का सुझाव किस अवस्था में है ? क्या इस कारखाने में मालगाड़ियों के ही इंजन बनते हैं या कि यात्री गाड़ियों के भी ?

श्री अलगशन : हम दोनों कार के इंजन बना रहे हैं और उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने की भी बात चल रही है ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

*१०२४. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को, रेलों पर ठेकेदार और भोजन की व्यवस्था करने वाले, भिन्न भिन्न स्थानों पर एक सा ही भोजन भिन्न भिन्न दरों पर देते हैं ;

(ख) क्या इन भोजनों के लिये कोई निर्धारित दरें हैं ; और यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या भोजन की किस्म और मात्रा के सम्बन्ध में कोई विशे निर्देश है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). उपाहार गृहों से दिये गये हिन्दुस्तानी ढंग के भोजन का स्तर १-९-५४ से एकसा कर दिया गया है । सदन में जो विवरण दिया गया है, उस में भोजन की सूची और उन के दाम दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]. रेस्तोरां, रेस्तोरांयान, भोजन-यान या बुफे-यान से दिये जाने वाले भोजन की दर को एक स्तर पर लाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । कुछ मदों को छोड़ कर जिनका ब्यौरा और जिन की किस्म सूचीं में दे दी जाती है, प्रामाणिक भोजन सूची में केवल परसी जाने वाली तश्तरियों के नाम दिये जाते हैं । भोजन की किस्म के बारे में कोई बात निर्धारित नहीं की गयी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की सूचि के अनुसार अच्छा भोजन देने की व्यवस्था पर जारी रखी जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या संसद् सचिव को यह मालूम है कि एक ही क़ीमत पर विभिन्न स्टेशनों पर जो आप के ठेकेदार हैं वह ऐसा भोजन मुफ़ासिरों को देते हैं जो खाने के योग्य नहीं होता है और उन की क़ीमत हर स्टेशन पर एक ही होती है जब कि भोजन में फर्क होता है और अगर ऐसी बात है तो इस को रोकने का कौन सा प्रबन्ध किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हमें कभी कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि जो भोजन स्टेशनों पर मिलता है वह बहुत अच्छा नहीं होता है । जो जो शिकायतें मिलती हैं उस पर गहरा विचार किया जाता है और मुनासिब कार्यवाही की जाती है । एक स्टेन्डर्ड मीनु बनाया गया है जिस में करीब सारी रेलवेज़ पर एक ही क़ीमत पर एक ही किस्म का खाना देने का बन्दोबस्त किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जो अलगेशन कमेटी की सिफारशें थीं वह कहां तक अमल में लाई गई ।

श्री शाहनवाज खा : अलगेशन कमेटी की जो सिफारिशात थीं वह इस वक्त आनरेबल मिनिस्टर के जेरे गौर हैं ।

मालगाड़ी के डिब्बे

*१०३१. **श्री अमजद अली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल आगरा से अधिक डिब्बे दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि आगर में डिब्बों की कमी के कारण गुड़ और दालों के ले जाये जाने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, दिनांक २६-११-५४ का एक अभ्यावेदन मध्य रेलवे को मिला था जिस में यह शिकायत की गयी थी कि दालों के ले जाये जाने का काम बहुत रुक गया है।

(ख) बेजूवाडा हो कर दक्षिण भेजे गये बहुत से डिब्बे वहां जा कर रुक गये थे, इसलिये नवम्बर, १९५४ में कुछ दिनों के लिए माल लादने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। इस कारण आगरा से माल के बाहर जाने पर प्रभाव पड़ा।

(ग) यह प्रतिबन्ध २८ नवम्बर, १९५४ से हटा लिया गया और २९-११-५४ से ६-१२-५४ तक आगरा से ५१ डिब्बों में माल भरा गया। दालों के लिये ९ डिब्बे मांगे गये थे जो अभी तक नहीं दिये गये। ये ३-१२-५४ को या उस के बाद मांगे गये और आशा है कि जल्दी ही दे दिये जायेंगे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस चालू वर्ष में जो ११,००० मालगाड़ी के डिब्बे प्राप्त किये जाने थे, उन में से नवम्बर के अन्त तक कितने डिब्बे देश में बनाये गये डिब्बों में से लिये जा सके हैं ?

श्री अलगेशन : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती है ? मुझे तो इन दोनों में कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय व्यापार मण्डल से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : अधिक डिब्बों के लिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में डिब्बों या स्टेशन पर भीड़ की बात आ सकती है। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

भारतीय किसान युवक

*१०३३ **श्री राम दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय किसान युवक हाल ही में अमरीका से लौटे हैं उन की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन्हें देश में किस ढंग का शि-प्रक्षण दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) २३ भारतीय किसान युवक अमरीका से लौट आये हैं और २ आ रहे हैं।

(ख) उन्हें खेती के सारे कामों—जैसे हल चलाना, खाद डालना, फसल काटना, घास सुखाना आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने किसान युवकों की विभिन्न संस्थाओं जैसे फौर-एच क्लबों आदि के गठन तथा कार्य का भी अध्ययन किया है।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह किन किन प्रान्तों से लिये गये थे?

डा० पी० एस० देशमुख : करीब करीब सभी सूबों से यह लड़के लिये गये थे।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि हर साल कितने लड़के भेजे जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : २५ से ३० लड़के तक भेजे जाते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वजह है कि ५ वर्षों से लगातार बिहार से कोई लड़का बाहर नहीं भेजा गया और क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि बिहार

को भी इतनी गुंजाइश मिलनी चाहिये कि वह अपने लड़के बाहर भेज सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : हर एक सूबे के लिये कोई कोटा मुकर्रर नहीं है । सब मिला कर ३० लड़के यहां से रिकमेन्ड होते हैं। उन में से जो अच्छे होते हैं उन को भेजा जाता है । उस वक्त हम हर सूबे का कुछ ख्याल रखते हैं, लेकिन इतना ज्यादा ख्याल नहीं करते कि अच्छे लड़के को पीछे रख कर कम काबलियत का लड़का भेजा जाये ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन लड़कों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस से फायदा उठाने का क्या तरीका अख्तयार किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन की अवैतनिक सेवाओं से लाभ उठाने का कुछ प्रयत्न किया जाता है ।

श्री वीरस्वामी : आप की अनुमति से मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री को यह सुझाव दें कि जो अनुपूरक प्रश्न हिन्दी में पूछे जाते हैं उन का भी अंग्रेजी में उत्तर दें जिस से कि हम लोग भी उन्हें समझ सकें । दक्षिण के सदस्य, हम लोग , कुछ माननीय सदस्यों की बात नहीं समझ सकते । इसलिये मै–सदन के संरक्षक–आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप स बात का ध्यान रखें कि जो कुछ सदन में कहा जाता है, उसे हम लोग समझ सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं संविधान का भी संरक्षक हूं । हिन्दी के विकास के लिये यह आवश्यक है कि जो प्रश्न हिन्दी में पूछा जाय उस का उत्तर हिन्दी में दिया जाय और जब भी अनुपूरक प्रश्न हिन्दी में पूछा जाय, उस का भी उत्तर हिन्दी में दिया जाय ।

श्री बी० पी० नायर : यदि मंत्री जानते हों, तो ।

अध्यक्ष महोदय : वे जानने की चेष्ठा करेंगे । यह मंत्री की इच्छा पर है कि वह चाहे तो अंग्रेजी में उत्तर दे दे परन्तु अच्छा यह है कि यदि वह हिन्दी में उत्तर दे सकता हो तो हिन्दी में ही दे । सी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं । हो सकता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन के जो उत्तर दिए जाते हैं, उन में से कुछ सदस्य की समझ में न आये परन्तु वे हिन्दी में बोलने की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिये इस बात पर ध्यान न दें । अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

श्री सारंगधर दास : कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते और उन का लाभ इसी में है कि कुछ प्रश्न हिन्दी में पूछे जायें और उन का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाये । यह उन को सहायता . . .

श्री के० के० बसु : वे हिन्दी या अंग्रेजी–– दोनों में से कुछ भी नहीं समझते ।

अध्यक्ष महोदय : जब भी किसी अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य ने प्रार्थना की है कि प्रश्न का उत्तर हिन्दी में उसे बताया जाये, तो मैं ने उस की इच्छा पूरी की है ।

अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं ।

पंजाब में सिंचाई की सुविधाएं

***१०३४. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य के कमी वाले ज़िलों में सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के लिये सिंचाई की क्या सुविधायें देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). जी, हां । यह प्रार्थना गुड़गांव ज़िले में भूमि के तल की पड़ताल के लिये वित्तीय सहायता के लिये थी । यह पड़ताल इस क्षेत्र में सिंचाई के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये की जायेगी, अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं पर लागू होने वाले वित्तीय नियमों के अधीन साधारणतया ऐसी पड़तालों के लिये सहायता नहीं दी जाती । परन्तु पंजाब सरकार की प्रार्थना पर अभी तक विचार किया जा रहा है । भारत सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के भाग के रूप में, पंजाब के कमी वाले क्षेत्रों में योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है, उदाहरणतया गुड़गांव ज़िले में आठ बांधों की मरम्मत के लिये तीन लाख रुपये का ऋण और कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में कूहल बनाने और उन की मरम्मत के लिये ६ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : इन कमी वाले क्षेत्रों के लिये सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी गयी है या इस का निश्चय बाद में किया जायगा कि राज्य सरकार नलकूप लगाना चाहती है या कि सिंचाई के लिये नहरें खोदना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी प्रत्येक प्रस्थापना में हम राज्य सरकारों से यह आशा करते हैं कि लगभग ब्यौरेवार योजना भेजें---बहुत अधिक ब्यौरे सहित नहीं---जिन में यह बताया गया हो कि कितना खर्च होगा और उन का लाभ कितना होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह सच है कि माननीय कृषि मंत्री स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई ने पंजाब सरकार और एक शिष्टमण्डल को यह आश्वासन दिया था कि गुड़गांव ज़िले में---रिवाड़ी को छोड़ कर---सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए २ करोड़ रुपया दिया जायेगा और रिवाड़ी के लिए ५० लाख रुपये का वादा किया गया था । साथ ही यह वादा भी किया गया था कि निकट भविष्य में गुड़गांव ज़िले में प्रयोगात्मक नलकूपों का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा और यह काम १९५६ की बजाय १९५४ में ही प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई की इच्छाओं या उन द्वारा किये गये वादों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे परन्तु इस सम्बन्ध में कई बार अतिशयोक्ति पूर्ण दावे किये जाते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है है कि माननीय मंत्री ने जिन ज़िलों का नाम लिया है उन में सिंचाई की सुविधाओं के लिये राशि मंजूर करने और उस के कार्यान्वित किये जाने के बीच बहुत सा समय बीत जाता है और काम की प्रगति बड़ी धीमी है ? बल्कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई प्रश्न नहीं जिस का उत्तर दिया जाये ।

काजू उद्योग

***१०३६. श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५४ में काजू उद्योग में विकास की कार्यवाही करने के लिए कोई विशेष धनराशि नियत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) २·५ लाख पये ।

श्री वी० पी० नायर: क्या इस राशि में से कोई राशि देश में कच्चे काजू के विकास के लिए प्रयोग में लायी गयी है जिस का उत्पादन मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अभी प्रति वृक्ष २५ पौंड है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इन राशियों का विवरण नहीं बता सकता हूं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार को पता है कि काजू बनाने का उद्योग जो काजू की उपलब्धता पर निर्भर है, इतना विकसित हो गया है कि स्वदेशी उत्पादन से आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं और मुख्य रूप से स्थानीय उत्पादन बहुत कम होने के कारण हमें आवश्यकता का ५० या ६० प्रतिशत आयात करना पड़ता है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर देश में काजु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किया है ताकि यह उद्योग स्वावलम्बी हो जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां । सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति का एक उद्देश्य यह भी है और इसी कारण इस उद्योग के लिए २·५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

श्री वेलायुधन: काजू उद्योग के विकास के लिए व्यय की गयी धन राशि में से कितना धन त्रावनकोर-कोचीन राज्य में, जो कि भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों में से एक है, व्यय किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे विश्वास है कि पर्याप्त राशि व्यय की जायेगी ?

श्री बी० के० दास: इस उद्योग के सम्बन्ध में किन क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम ने त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, बम्बई और मध्य भारत सरकारों को यह सुझाव भेजा है कि वे काजू के विकास के लिए ठोस योजनायें भेजें ।

परिवार आयोजन

*१०३७. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन स्वयं सेवक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पंजाब में परिवार आयोजन गवेषणा तथा कार्यक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी सहायता दी जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) उन को दी जाने वाली सहायता की राशि क्या है ; और

(ग) पंजाब में, परिवार आयोजन का काम अन्य किन उपायों से किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृतकौर): (क) परिवार आयोजन संस्था पंजाब, शिमला ।

(ख) १७,६०० रुपये की सहायता अनुदान वर्तमान वर्ष के लिए स्वीकृत कर दिया गया है ।

(ग) सूचना का एक टिप्पण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, ४, अनुबन्ध संख्य ६२]**.

श्री डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के निमित्त सम्पूर्ण भारत के लिए कुल कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया है और पंजाब तथा आसाम राज्यों को दिये गये इन अनुदानों का अनुपात क्या है ?

राजकुमारी अमृतकौर: अनुमोदित परिवार आयोजन कार्यक्रमों के अनुसार १९५४-५५ और १९५५-५६ से दो वर्षों के लिए ३० लाख रुपये की राशि नियत की

गयी है । स में से ४,७५,१६० रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और समिति की सिफारिश पर योजना आयोग ४,२१,४२१ रुपये की राशि पर विचार कर रहा है और मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही इसे भी स्वीकृत कर देगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि परिवार आयोजन कार्यक्रम केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का है, और इस का कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं निकला है ?

श्रीमती सुषमा सेन : क्या मैं जान सकती हूं कि बिहार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और क्या वहां पर कोई प्रबन्ध कर लिया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जिन राज्यों को भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई है, उन में बिहार का नाम नहीं है और मेरा विचार है कि बिहार ने कोई मांग भी नहीं की है ?

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों को दिए गये अनुदानों का अनुपात उन राज्यों के निवासियों में अधिक बच्चे जनने पर निर्भर है ?

राजकुमारी अमृतकौर मैं नहीं जानती कि राज्य इन अनुदानों की मांग किस आधार पर करते हैं पर वे राज्य जो कुछ करने के लिए उत्सुक हों और अच्छी योजना पेश करते हों, उन्हें अनुदान दिया जाता है ।

संदेश-दर प्रणाली

*१०३८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संदेश दर प्रणाली को उन मुख्य नगरों में भी चलाना चाहती है जहां यह प्रणाली प्रचलित नहीं है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां, धीरे धीरे उन सभी बड़े नगरों में जहां स्वचालित एक्सचेंज (विनियम) हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने नगरों में यह संदेश-दर प्रणाली लागू कर दी गयी है ?

श्री राज बहादुर : १७ नगरों में ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या जान सकता हू कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में कब यह संदेदश-दर प्रणाली चालू की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : हैदराबाद में यह णाली १६ मई, १९५४ से लागू कर दी गयी है ।

रेलवे कर्मचारियों भ्रष्टाचार

*१०३९. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ सितम्बर, १९५४ के तारांकित **प्रश्न** संख्या १२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के सुलेभावी स्टेशन की धांधली के सम्बन्ध में विभागीय समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो **समिति** किस परिणाम पर पहुंची, और **उसने** क्या क्या सिफारिशें कीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विभागीय समिति ने संबंधित प्रादेशिक अधिकारियों के पास अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ।

(ख) समिति ने क गार्ड, एक ब्रेकमैन, तिन हमाल क ड्राइवर, प्रथम और द्वितीय फायरमैन और पवापुर और सुलढाल स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को गंभीर दुराचरण का अपराधी ठहराया है, पर कर्मचारियों को दण्ड देने

के सबंधं में उस ने कोई सिफारिश नहीं की है, इस को प्रादेशिक अधिकारी तय करेंगे।

श्री डाभी : क्या में जान सकता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री अलगेशन : प्रतिवेदन प्रादेशिक अधिकारियों के सम्मुख है। वह संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

रेल दुर्घटना

***१०४०. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ मई, १९५४ के ३४४ डाउन पटना पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटना के सम्बन्ध में की गयी जांच का एक विस्तृत प्रतिवेदन रेलवे को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) क्या दुर्घटना पीड़ितों को कोई प्रतिकर दिया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) २ मई, १९५४ को ३४४ डाउन टाटानगर-पटना पैसेंजर के पटरी से उतरने की कोई दुर्घटना नहीं हुई। पूर्व रेलवे के बार काकाना-गोमा विभाग पर रांची रोड और चैनपुर स्टेशनों के बीच ११-४-१९५४ को लगभग २०-५९ बजे ३४४ डाउन टाटानगर-पटना पैसेंजर गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था। पूर्व रेलवे के वरिष्ट पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा एक जांच की गई थी। उन्होंने यह परिणाम निकाला कि इंजन के बाईं ओर के आगे के सबसे पिछले पहिये का स्प्रिंग टूट जाने से यह दुर्घटना हुई थी।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि न कोई मेरा न कोई घायल हुआ।

रेलवे सहकारी आधार पर ट्रैक्टरों का उपयोग

***१०४१. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहकारी आधार पर ट्रैक्टरों के उपयोग के लिये चल रही बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लिखा-पढी की गयी है कि किसानों में कोओपरेटिव फार्मिंग को डिवैलप किया जाय।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कोई कोआर्डिनेटिड योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है कि किस तरह इस पर चला जाएगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : ज्यादा प्रगति नहीं हुई ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : योजना क्या है ; उसका सारांश बताने की कृपा करें।

डा० पी० एस० देशमुख : २० से २५ मार्च, १९५२ तक इन्दौर में होने वाली बैठक में कृषि तथा पशुपालन बोर्ड के क्राप्स एण्ड स्वाइल्ज़ विंग तथा मिट्टी (फसल पार्श्व) द्वारा एक प्रतिवेदन उपस्थित किया गया था ताकि मशीनों की सहायता से की जाने वाली कृषि का सहकारी आधार पर

प्रोत्साहन दिया जाय। यह विभिन्न राज्य सरकारों के सामने रखा जा चुका है पर जैसा कि मैं बता चुका हूं, बहुत कम प्रगति हो रही है।

श्री टी० एस० ए० चेटिट्यार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार रियायती दर की सुविधा देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने निश्चय कर लिया है कि क्या रियायतें दी जायं। सामान्य रूप से, हम ने बताया है कि हम प्रशासन के व्यय का भाग अपने ऊपर लेंगे।

कच्छ मरुभमि को बढ़ने से रोक देना

*१०४२. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सौराष्ट्र के समु तटीय बालू तथा कच्छ मरुभूमि के फैलने पर रोक लगाने के लिए एक योजना चलाना चाहती है ;

(ख) योजनाओं का स्वरूप क्या होगा ;

(ग) किन शर्तों पर ऋण स्वीकार किया गया है ; और

(घ) किन राज्यों को यह अनुदान दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) योजना का उद्देश्य समुद्र तट, नदियों के किनारों और सड़कों के किनारों, आदि पर केसुरीना (शाहबलत) और प्रासोपिस जूलीफ्लोरा, आदि वृक्षों को लगाना और उन की छायादार पट्टियां तैयार करना है।

(ग) भारत सरकार ने इस योजना के लिए निम्न शर्तों पर २,५०,००० रुपये ऋण देना स्वीकार किया है :—

(१) ऋण का भुगतान १५ बराबर किश्तों में किया जायेगा। यह किश्त ऋण लेने की तिथि को प्रतिवर्ष अदा की जायेगी।

(२) पहले पांच वर्षों तक भारत सरकार राज्य सरकारों को दिये गये ऋण पर जितना वार्षिक ब्याज होगा उतनी वार्षिक सहायता देगी, और उसके बाद, सहायता बन्द कर दी जायेगी।

(३) भारत सरकार द्वारा समय समय पर, जब राज्य सरकारों से इस प्रकार की र्थना प्राप्त होगी, ऋण स्वीकार किये जायेंगे।

(घ) सौराष्ट्र सरकार को।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान में यह योग सफल रहा और यदि हां, तो क्या उस क्षे में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने में आप सफल हो सके हैं ?

डा० ी० एस० देशमुख : इस प्रयोग से सम्बन्धित कई बातें हैं। उन में से कुछ सफल हो गयी हैं और अन्य भी अवश्य सफल होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी निश्चित ज्ञान के आधार पर काम कर रहे हैं।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वृक्षों के लगाने से अधिक वर्षा होगी और इस प्रकार बनल गाने से मरुस्थल आगे नहीं बढ़ पायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा ही मत है ।

पाशा भाई औज़ार

*१०४४. **श्री सारंगधर दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मैसर्ज़ पाशाभाई पटेल एण्ड कम्पनी से खेती के औज़ार खरीदने अथवा उपयोग में लाने के सम्बन्ध में **श्री** दिवत्तिया समिति की जांच पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) एफ० ए० ओ० विशेषज्ञ ने कितने पाशाभाई पटेल हलों को फिर से मरम्मत की है ;

(ग) कितने फिर से मरम्मत किये गये हलों को बेचा गया है ; और

(घ) वे किस प्रकार बेचे गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिए** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या६ ३].

(ख) एफ० ए० ओ० विशेषज्ञ ने १९ औजारों की फिर से मरम्मत की है। विशेषज्ञ के चले जाने के पश्चात उस के द्वारा बताई गई विधियों से तेरह औज़ारों की फिर से मरम्मत की गई।

(ग) और (घ) . किसी भी मरम्मत किये गये औज़ार को अन्तिम बिक्री के रूप में उत्सर्जित नहीं किया गया । **उनकी** उपयुक्तता निश्चित करने के लिये उन्हें खेतों में परीक्षण के अधीन रखा गया है ।

श्री सारंगधर दास : जैसा कि विवरण में उद्धृत है, "ठेके के कार्य करने की पद्धति, अनुपयुक्त सामग्री के उपयोग, आदि" को ध्यान में रख कर यदि वह सामग्री अनुपयुक्त है, तो उस को किस प्रकार मरम्मत की गई तथा किसानों ने उस का किस प्रकार उपयोग किया ; और क्या यही कारण हैं कि किसी फर्म का आर्डर नहीं आया ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र सामग्री शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में कर रहे हैं, कदाचित उन के कथन का यह तात्पर्य है कि इस्पात अथवा लोहे का ढांचा अथवा उस की बनावट कमज़ोर है । ऐसी बात नहीं है इस का तात्पर्य सारी सामग्री से नहीं है । उस में कुछ बातों में कमी थी, तथा हम ने इस में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया ।

श्री सारंगधर दास : यदि इसी प्रकार किसी फर्म के आर्डर नहीं आते हैं तथा यदि सरकार तथा संभरणकर्ता के बीच इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है कि वे ३,३६,००० रुपये देंगे तब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन औज़ारों का कभी उत्सर्जन नहीं होगा, कुल कितनी हानि होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है कि मैं ने ठीक नहीं कहा हो किन्तु वह धन जो कि फर्म से प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त होने वाला है, इस शर्त पर नहीं हो रहा है कि इन औज़ारों की फिर से मरम्मत की जायेगी । यह धन सरकार के द्वारा इस विचार के बावजूद भी प्राप्त किया जायेगा ।

श्री सारंगधर दास : मेरा प्रश्न यह था कि इस राशि पर तथा इस तथ्य पर विचार करके कि, किसी फर्म के आर्डर नहीं आ रहे हैं न उन के आने की सम्भावना है, इस सौदे में कुल कितनी हानि होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का हिसाब लगाना कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस बात पर सहमत हैं कि हानि होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, हानि होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन औज़ारों की मरम्मत की गई है तथा जिन्हें काम में लाया जा चुका है, क्या वे दूसरे औज़ारों की तुलना में उपयोगी प्रमाणित हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : पूरी जांच होने वाली है, किंतु कई स्थानों में वे उपयुक्त प्रमाणित हुए हैं ।

श्री सारंगधर दास : सर्वप्र म जब औज़ार इस फर्म से लिये गये थे, तो उन का क्या मूल्य था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से कुल मूल्य लगभग ४५ लाख रुपये था ।

गेहूं सम्बन्धी अनुसन्धान

*१०४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी अनुसंधान संस्थायें कितनी हैं, जिन में बीज के प्रयोगों के लिये गेहूं पर अनुसंधान हो रहा है ;

(ख) गत दो वर्षों में कितने प्रकार के गेहूं के बीज तैयार किये गये हैं ; और

(ग) प्रति ऐकड़ पैदावार की दृष्टि से परिणाम क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार के अधीन गेहूं की फसल, विशेषकर रोग का सामना करने वाली किस्म, की सुधार करने के लिये पांच गवेषणा केन्द्र हैं। इसके अलावा बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चार केन्द्र हैं, जिन को भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) नई किस्म के गेहूं का उत्पादन करने में कई वर्ष लगते हैं । सुधारी हुई गेहूं की किस्में जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामान्य खेती के लिये मुक्त हुई हैं, उनमें भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में उत्पादित एन० पी० ७१०, एन० पी० ७१८, एन० पी० ७७०, एन० पी० ७५५ तथा एन० पी० ७६१ का उल्लेख किया जा सकता है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने एन० पी० ८०९ नाम की किस्म के गेहूं को उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में खेती के उपयुक्त सिद्ध किया है । इस नई किस्म के एन० पी० ८०९ से उत्तरी पहाड़ी भागों में लगभग ४८ मन प्रति एकड़ पैदावार का उल्लेख है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रयोगशालाओं में वितरण के लिये भी बीज तैयार लिये जाते हैं ? यदि हां, तो उनके वितरण का क्या तरीका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह वितरण छोटे पैमाने पर आई० ए० आर० आई० के मार्फत होता है । मगर ज्यादा एक्सटेंसिव वितरण के लिये तो स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद चाहिये ।

श्री नेसवी : क्या इसी प्रकार के दूसरे गवेषणा केन्द्र अन्य खाद्यान्नों जैसे जवार, बाजरा, रागी तथा धान के लिये भी हैं ? यदि हां, तो वे कहां हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : भारत सरकार ने कोई स्वतंत्र गवेषणा केन्द्र स्थापित नहीं किया है ? कई राज्य सरकारों के अपने गवेषणा तथा नस्ल बढ़ाने के संगठन हैं और वे पर्याप्त लाभदायक कार्य कर रहे हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या सड़न तथा घुन का सामना करने वाली किसम का गेहूं प्राप्त करना सम्भव हो सका है ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् तथा संस्था की सर्वाधिक श्रेयस्कर प्रगति यह भी है कि उसने पर्याप्त घुन तथा सड़न का सामना करने योग्य गेहूं का विकास किया है।

भारतीय नौ-वहन

***१०४९. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ स्वामियों की प्राक्कलन समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि किसी भी विदेशी अधिकृत पोत को अप्रैल १९५५ से भारतीय तट पर चलने तथा व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो परामर्शदात्री समिति ने और क्या सुझाव रखे हैं ; और

(ग) सरकार उन की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये कहां तक प्रस्तुत है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, केवल वर्तमान अधिकार-प्राप्त जहाजों को ही अप्रैल १९५५ के पश्चात् ठैके की अवशेष अवधि तक चलने की स्वीकृति दी जानी चाहिए ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिए** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४].

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: नौवहन नीति उप समिति के १९४७ के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय जहाजों के लिये कुल पंजीवृत टनों के रूप में कितना लक्ष्य निश्चित था ? और क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना में उस लक्ष्य के पूरा होने की आशा है ?

श्री अलगेशन: निस्संदेह समिति ने कुछ वर्षों पूर्व २० लाख टन की सिफारिश की थी । जैसा कि सभा को ज्ञात है, हम लक्ष्य-प्राप्ति नहीं कर सके हैं । वास्तव में, प्रथम पंच वर्षीय योजना के लिये ६ लाख टन का लक्ष्य रखा गया । अब इस परामर्शदात्री **समिति** की एक उप समिति इस बात पर विचार कर रही है कि अगली पंच वर्षीय योजना के लिये कितने टन निश्चित किये जाय ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या कुछ तटीय नौवहन कम्पनियों ने यह शिकायत की है कि रेलों तथा नौवहन कम्पनियों के बीच उचित समायोजन नहीं रहता और यदि हां, तो सरकार उचित समायोजन करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन: इस विषय पर समिति में चर्चा हुई, तथा एक प्रस्ताव किया गया जो इस समय विचराधीन है । यह प्रस्ताव विवरण में दिया गया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या सरकार ने स्टैंडर्ड वेकूम आइल रिफाइनरी (शोधनालय) के उत्पाद, जिसे वे देश के विभिन्न तटस्थ उपनगरों में ले जायेंगे, के परिवहन को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित करने के सम्बन्ध में अपना निश्चय कर लिया है ।

श्री अलगेशन: तेल कम्पनियों तथा सरकार के बीच जो करार हुआ है, उस में एक उपबन्ध यह भी है कि तेल को ऐसे तेल-वाहक जहाजों में ले जाया जायेगा जो या तो सरकारी होंगे अथवा ऐसे निगमों के होंगे जिन में अधिकांश अंश सरकारी हो । यह प्रश्न विचाराधीन है तथा हम टैकर (तेल-वाहक-जहाज) प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सुपर कांसटिलेशन विमानों का क्रय

*१०५०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं, जिन से एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने पिछले वर्ष तीन सुपर कांसटिलेशन तथा दो काउन्ट मार्क-३ विमान खरीदे ; और

(ख) प्रत्येक प्रकार के विमान का क्या मूल्य है ; तथा वे सामान्यत: कितनी देर तक चल सकते हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्ष १९५३ के दौरान एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने कोई विमान नहीं खरीदे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि रखी गई थी ?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया इंटर-नेशनल को दो सुपर कांसटिलेशन विमानों की खरीद के लिये २५ लाख रुपया ऋण तथा ८७ लाख रुपया पूंजी अनुदान के रूप में दिया गया । यह मांग १९५३–५४ में रखी गई थी और १९५४–५५ में प्राप्त हुई । यह दो विमानों के लिये थी ।

तत्पश्चात्, तीन सुपर कांसटिलेशन विमानों के लिये जो हमें अगले वर्ष जनवरी, फरवरी व मार्च में प्राप्त होंगे, हमने १९५३-५४ में २६ लाख पये का ऋण, तथा १९५४-५५ में १३ लाख पये और ३१५·३७ लाख रुपये अर्थात् कुल ३५४ लाख रुपये पूंजी अनुदान के रूप में रखे थे ।

श्री के० सी० सोधिया : किस प्रक्रिया से इस प्रकार की खरीदें की जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया इंटर-नेशनल निगम बोर्ड इस सम्बन्ध में अपना निर्णय करता है । उस पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है । जहां तक इन दो सुपर कांसटिलेशन विमानों की शर्तों का सम्बन्ध है, हमें ५० प्रतिशत मूल्य पहिले तथा ५०प्रतिशत मूल्य उन की प्राप्ति होने पर चुकाना पड़ा । और तीन विमानों के सम्बन्ध में जो हमें अगले वर्ष मिलने वाले हैं २५ प्रतिशत पहिले ही जमा किया जा चुका है और ७५ प्रतिशत उन की प्राप्ति के समय दिया जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या खरीद के स्थान पर कोई पदाधिकारी भेजे गये ?

श्री राज बहादुर : जब कभी आवश्यकता होती है, पदाधिकारी भी भेज दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेयान (कृत्रिम रेशम) पर गवेषणा

*९९६. **श्री एस० एन० दास :**
श्री एस० के० रजमी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय **गवेषणा** विद्यार्थी ने, जो जापान में लुगदी तथा कृत्रिम रेशम के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा है, भारतीय किस्म के बांसों के मिश्रण से कृत्रिम रेशम की श्रेणी की लुगदी बनाने का सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस की औद्योगिक क्षमता क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). श्री गोहेल का जापान में बांस से कृत्रिम रेशम की श्रेणी की लुगदी का उत्पादन करने के सम्बन्ध में

जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उस के अलावा सरकार को कोई अन्य जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में टेकनिकल विवरण के अप्राप्य होने के कारण इस के प्रयोग की औद्योगिक क्षमता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

रेलवे कर्मचारी

***१००३. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर १९५४ में रेलवे मंत्रालय के बहुत से कर्मचारियों ने संसद् भवन के सामने प्रदर्शन किया ;

(ख) क्या उन्हें प्रदर्शन करने वालों से उन की "मांग का एक पत्र" प्राप्त हुआ ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को कोई आश्वासन दिया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय गवेषणा संस्थाएं

***१००८. श्री भावगत झा आज़ाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राक्कलन समिति ने प्रदेशीय केन्द्रों के कार्य में सहयोग देने के लिये एक अथवा दो गवेषणा संस्थाओं की स्थापना करने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश की है ; और

(ख) क्या सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां :

(ख) यह विचराधीन है ।

रेल के इंजन, डिब्बों आदि के लिए आदेश

***१०१०. सरदार लाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जिन अतिरिक्त भागों की आवश्यकता पड़ती है उन का संभरण करने के लिये अन्य सार्थों से टेन्डर मांगे बिना रेलवे बोर्ड ने इंगलैंड अथवा अन्य देशों के किसी सार्थ से संभरण करने के लिए, कोई क़रार किया है अथवा वह करने जा रहा; और

(ख) यदि हां, तो खुले टेन्डर मांगने की सामान्य प्रथा बन्द करने के क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । नार्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कम्पनी, एक ब्रिटिश सार्थ, से करार हो गया है ।

(ख) यह करार न केवल अतिरिक्त पुर्ज़ों, कच्चे सामान, मशीन के पुर्ज़ों आदि का संभरण करने के लिये है अपितु चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जब जब और जैसे जैसे प्रविधिक व्यक्तियों (शिल्पियों), डिज़ाइनों, उत्पादन योजना आदि की आवश्यकता होगी तो यह सार्थ संभरण करेगी। अतिरिक्त पुर्ज़ों को मंगाने के बारे में भी, हालांकि खुले टेन्डर नहीं मांगे जायेंगे, तो भी उन को सस्ते मूल्य पर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

चावल उगाने के लिये जापानी प्रणाली

***१०११. श्री बहादुर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ सितम्बर, १९५४

के तारांकित प्रश्न संख्या १२५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमानतः देश के कितने क्षेत्र में जापानी तरीकों से चावल उगाया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस तरीके से चावल उगाने वाले किसानों को कोई आर्थिक सहायता दी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राज्य सरकारों से अब तक जो सूचना मिली है उस से पता चलता है कि वर्ष के प्रारम्भ की फसल के समय वस्तुतः ५,४५,६३९ एकड़ भूमि में इस तरीके के अनुसार चावल उगाया जा रहा था। चालू वर्ष के अन्तिम प्राक्कलन के बारे में, तो तभी पता चलेगा जब कि सभी राज्यों में धान की फसल समाप्त हो जाये और उन से तिवेदन आ जाये।

(ख) जी हां।

भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर

*१०१५. **श्री तिम्मय्या :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में कितने सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को फिर से नौकरी पर रखा गया है ; और

(ख) इस कारखाने में सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को फिर से नौकरी पर रखने के क्या विशेष कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो।

(ख) जुलाई १९४८ के बाद से भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग में, कुछ सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को, अपने पिछले अनुभव के आधार पर रखा गया था, किन्तु अब केवल ो को छोड़ कर अन्य सभी के स्थान पर नये व्यक्तियों को रख लिया गया है। न ोनों में से एक के स्थान पर तो अगले महीने में ही दूसरे व्यक्ति को रखा जा रहा है किन्तु अन्य व्यक्ति को, जो कि डाक तथा तार विभाग का सेवा-निवृत्त टेलीफ़ोन इंजीनियर है और जिसे स्वचालित टेलीफ़ोन के पुर्जो आदि का विशेष अनुभव है एक वर्ष अ वा कुछ अधिक समय के लिए शायद र ा जायेगा।

स्वास्थ्य निरीक्षक

*१०१६. **श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) किन किन राज्यों में महिला स्वास्थ्य निरीक्षक तथा दाइयों को प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना चालू हो गई है ;

(ख) अब तक कितनी महिला स्वास्थ्य-निरीक्षक प्रशिक्षण पा चुकी हैं एवं उन्हें कहां कहां नियुक्त किया गया है ; और

(ग) आज कल कितनी महिलायें प्रशिक्षण पा रही हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृतकौर) : (क) महिला स्वास्थ्य-निरीक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था मध्य-प्रदेश, म ास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र, हैदराबाद और दिल्ली में की गई है। दाइयों के प्रशिक्षण के सुविधा की व्यवस्था आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, सौराष्ट्र, तथा हिमाचल प्रदेश में की गई है।

(ख) कोई भी नहीं, क्योंकि प्रशिक्षण समाप्त होने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) लगभग १००।

बेकारी

*१०१८. **श्री हेम राज :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न स्तरों की शिक्षा वाले व्यक्तियों के लिये उपलब्ध काम के अवसरों का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : विभिन्न स्तरों की शिक्षा वाले व्यक्तियों के लिये उपलब्ध काम के अवसरों का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही अब तक नहीं की है।

उर्वरक

*१०१९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में हमारे देश में प्रति वर्ष कितना (१) फ़ासफेटिक तथा (२) नाइट्रोजन वाला उर्वरक काम में लाया गया है ;

(ख) उर्वरक की जो खपत हुई है, क्या उस के लिये सरकार ने आर्थिक सहायता दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]।**

गन्ना

*१०२०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले गन्ने का कितना प्रतिशत गन्ना चीनी तथा कितना प्रतिशत गुड़ तथा खांडसारी बनाने के काम आता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : देश में गन्ने के कुल उत्पादन का २५ प्रतिशत चीनी, ५५ प्रतिशत गुड़ और ३ प्रतिशत खंडसारी बनाने के काम आता है।

चीनी उद्योग

*१०२२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों ने गन्ना पेरने के चालू मौसम में चीनी उद्योग को 'लोकोपयोगी सेवा' घोषित किया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २(ढ़) (६) के अधीन राज्य सरकार ही 'उपयुक्त सरकार' है जो चीनी उद्योग को 'लोकोपयोगी सेवा' घोषित कर सकती है। अब तक जो जानकारी मिली है वह सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६].

पर्यटक-यातायात

*१०२३. **श्री गणपति राम :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ तथा १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक कितने विदेशी पर्यटक बनारस आये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : १९५३-५४ में २८१८। १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक १५२३ व्यक्ति आये। ये अनुमानित आंकड़े हैं।

रेलवे टिकट

*१०२५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री १३ मई, १९५४ के तारांकित

प्रश्न संख्या २४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा तथा खड़गपुर के बीच के स्टेशनों से इस्तेमाल किये गये टिकटों के जमा करने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ स्टेशनों से इस्तेमाल किये गये टिकट कागज़ों के लिफाफों में भेजे जाते हैं जो प्राय: फट जाते हैं और टिकट रास्ते में ही खो जा हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ है कि दो स्टेशनों से नवम्बर तथा दिसम्बर १९५३ के महीनों के टिकट भेजने में देरी हुई है ।

(ख) उन दो स्टेशनों के स्टेशनमास्टरों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने के अतिरिक्त, जिन्होंने टिकट भेजने में देरी की थी, सभी रेलों के स्टेशनमास्टरों का ध्यान इस सम्बन्धी स्थायी आदेशों की ओर आकर्षित किया गया है कि इन आदेशों का पालन कठोरता के साथ होना चाहिए ;

(ग) कभी कभी, और वह भी अपवाद स्वरूप मामले में और इस प्रकार के आदेश फिर से जारी किये गये हैं कि एकत्र टिकट केवल उन्हीं विशेष थैलों में भेजे जायें जो इस प्रयोजन के लिए दिये जाते हैं ।

भूमिहीन श्रमिक

***१०२६. डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भूमि-हीन श्रमिकों को भूमि देने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ;

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक

***१०२७. श्री निरंजन जैना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में कितने प्रकार के उर्वरक तैयार किये जाते हैं और १९५३-५४ में प्रत्येक प्रकार के उर्वरक की कितनी मात्रा तैयार की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): १९५३-५४ में विभिन्न उर्वरकों की जो मात्रायें उत्पादित हुईं, वे नीचे दी जाती हैं :—

(१) अमोनियम सल्फेट ३,०७,१७० टन

(२) सुपरफास्फेट ६५,६५१ टन

(३) पुटाश म्यूरियेट २०० टन (अनुमानित)

बंगाल प्रान्तीय रेलवे में हड़ताल

***१०२९. श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल प्रान्तीय रेलवे के कमकरों ने १४ नम्बर, १९५४ से अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल कर दी

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर चुकी है या करने वाली है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) बंगाल प्रान्तीय रेलवे के प्रबन्धक-वर्ग ने कमकरों की मांगें पूरी नहीं की थीं ।

(ग) क्योंकि समझौता द्वारा निबटारा नहीं कराया जा सका , अतः सरकार ने २२ नवम्बर, १९५४ को यह झगड़ा न्याय-निर्णयन के लिए एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया । औद्योगिक विवाद अधि-नियम, १९४७ की धारा १०(३) के अधीन उसी दिन एक आदेश भी जारी किया गया जिस में बताया गया था कि हड़ताल को जारी रखना प्रतिषिद्ध है ।

उड़ीसा में गेहूं का अभाव

***१०३३. श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में गेहूं का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां डिपो खोले हैं ;

(ग) इन डिपुओं पर राज्य सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है ;

(घ) राज्य में गेहूं के स्टक की वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने यह प्रार्थना की है कि उन्हें केन्द्रीय संचय से गेहूं का संतरण किया जाये ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). उड़ीसा में गेहूं का अभाव नहीं है परन्तु यह बात ठीक है कि कृत्रिम प्रकार के कारणों से उड़ीसा की मांग संभर से कुछ अधिक मात्रा की रही है। कटक तथा सम्बलपुर में केन्द्रीय सरकार के दो डिपो हैं जिन से जनता को माल बेचा जाता है ।

(ग) इन डिपुओं पर उड़ीसा सरकार का नियन्त्रण नहीं है ।

(घ) ५-१२-५४ को कटक में ३३७ टन और सम्बलपुर में १५१ टन का स्टाक था । यह कुल ४८८ टन होता है इस में ८० टन और सम्मिलित कर देना चाहिये जो कि उड़ीसा को भेज दिया गया है । इस प्रकार कुल ५६८ टन का स्टाक भेजा गया था । राज्य की साधारण आवश्यकता लगभग ५०० टन प्रति मास की है ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

सकरी स्टेशन

***१०३५. श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्व रेलवे पर सकरी स्टेशन में कुछ सुधार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधार किये जायेंगे ; और

(ग) यात्री सुविधा निधि में से इस स्टेशन के लिए कितनी राशि नियत की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) क्योंकि इस स्टेशन पर पर्याप्त सुविधायें हैं, इसलिए अभी कोई बड़ा कार्य आरम्भ करने का विचार नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंचायतें

*१०४३. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है ग्राम स्वायत्त-सरकार की पुनःस्थापना करने के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत आयोग नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आज कल क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मुर्गी, आदि पालन उद्योग के उत्पादन सम्बन्धी सम्मेलन

*१०४६. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में मुर्गी आदि पालन उद्योग के उत्पादन के सम्बन्ध में एक सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस में कौन कौन से देश भाग लेंगे;

(ग) क्या सम्मेलन का व्यय केन्द्रीय सरकार उठायेगी ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिये कोई राशि स्वीकार की गई है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने सम्मेलन आयोजित किया है और उस ने निम्न देशों को उस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया :—

१. आस्ट्रेलिया
२. बर्मा
३ कम्बोडिया
४. श्री लंका
५. फ्रांस (हिन्द चीन के लिए)
६. भारत
७. इन्डोनेशिया
८. जापान
९. कोरिया
१० लाओस
११. नेपाल
१२. न्यूजीलैंड
१३. पाकिस्तान
१४. फिलीपाइन्ज़
१५. थाईलड
१६. इंगलैंड (मलाया के लिए)
१७. वियत नाम

(ग) तथा (घ). उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार लगभग ७,००० रुपये का व्यय उठायेगी ।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

*१०४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री पटल पर एक ऐसा विवरण, जिस में पंच वर्षीय योजना के अधीन भारत के वह राष्ट्रीय राजपथों पर बनने वाले पुलों की राज्यवार सूची तथा उन की अनुमानित लागत का वर्णन हो, रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रगति में विभिन्नता होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण, जिस में

अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस ४८१/५४**]

(ख) भिन्न राज्यों में भिन्न मात्रा में प्रगति होने के अनेक कारण हैं जिन में से मुख्य कारण ये हैं : (१) बुनियाद (आधार) भूमि, आदि जैसे प्राकृतिक तत्व; (२) पुल का आकर; (३) कुशल (शिल्पी) श्रम की उपलब्धि; (४) सम्बद्ध राज्य का लोक निर्माण विभाग जल सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह और प्रारम्भिक पूछताछ कर सके तथा पुल बनाने के काम को कराने के साथ साथ उस की देख भाल भी कर सके ।

मीन क्षेत्रों में भारतीयों का प्रशिक्षण

*१०४८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मई, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० ओ० के विशेषज्ञों द्वारा खोजे गए मछली के नवीन तरीकों का प्रशिक्षण किसी भारतीय को विदेशों में दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) उन की संख्या क्या है ; और

(घ) उन के प्रशिक्षण का व्यय किसने उठाया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में कृषि कालिज

*१०५१. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में एक कृषि कालिज खोलने के सम्बन्ध में किसी वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे निरीक्षणालय

*१०५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक रेलवे निरीक्षणालय ने कितनी दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल की है ; और

(ख) इस काल में इन दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल करने के अतिरिक्त निरीक्षणालय ने और क्या कार्य किया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १८ ।

(ख) प्रश्नास्पद काल में, रेलवे निरीक्षणालय ने वे सारे कार्य भी किये जो भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ४ के अधीन इस के हैं । इन कार्यों के मुख्यकर खुली लाइनों का, कालिक निरीक्षण; नई लाईनों का, यात्री यातायात के लिए खोलने से पहिले, निरीक्षण ; और नए प्रकार के इंजिनों तथा डिब्बों आदि को चलाने के लिए प्रार्थना-पत्रों की जांच, बड़े आकार के इंजिनों, आदि और ऐसे कार्यों का, जो निश्चित आकार से बड़े आकार के हों, निरीक्षण सम्मिलित है ।

काजु फल के डंठल

*१०५३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति वर्ष २ लाख टन काजू फल के डंठल नष्ट हो जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सामग्री को मानव उपभोग के काम लाने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं ; और यदि हां, तो योजनायें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । मद्रास सरकार ने कोड्डूर स्थित फल उत्पाद प्रयोगशाला में काज-फल के डं ल पर कुछ कार्य किया था और उन्होंने कुछ वस्तुओं को बनाने के ढंग निश्चित किये थे । उद्योग ने कदाचित् वस्तुओं का बनाना आरम्भ नहीं किया है और कदाचित् इस का यह कारण है कि वस्तुओं के लिए जनता की मांग नहीं है ।

व्यावसायिक रोग

***१०५४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या काफी बागान मज़दूरों में व्यावसायिक रोगों के सम्बन्ध में कोई अग्रिम सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस के तत्वावधान में ;

(ग) क्या सर्वेक्षण समाप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय कृषि कालिज

***१०५५. श्री डाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन के पैरा ५४ में सम्मिलित केन्द्रीय कृषि कालिज, दिल्ली को बन्द करने की सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है या वह उसे स्वीकार करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मामला सरकार के विचाराधीन है । केन्द्रीय कृषि कालिज को, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था से पृथक् शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में चलाने का विचार है ।

संयुक्त राज्य अमेरीका का अतिरिक्त गेंहूं

***१०५६. श्री गिडवानी :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री टी० के० चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरीका ने किन शर्तों पर भारत को अपना अतिरिक्त गेहूं देना स्वीकार किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार ने व १९५४-५५ के लिए ६ करोड़ ५ लाख डालर की विकास सहायता भेंट की है । भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि आगामी कई महीनों में इस राशि में से भारत १ करोड़ डालर से गेहूं खरीदेगा । गेहूं की यह खरीद अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन की जायेगी । खरीदे जाने वाले गेहूं में से आधा भाग अमरीकी ध्वजा वाले पोतों द्वारा उठाया जायेगा ।

समाचार-पत्रों के लिए विमान-भाड़ा दरें

***१०५७. श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समाचार-पत्रों को हवाई जहाज़ द्वारा लाने ले जाने के भाड़े की वर्तमान दरों में

कमी करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचराधीन है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय चावल गवेषणा केन्द्र, कटक

***१०५८ श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्थित केन्द्रीय चावल गवेषणा केन्द्र की सारे उड़ीसा राज्य में शाखायें हैं ;

(ख) यदि हैं, तो क्या कोरापट ज़िला (उड़ीसा) में जेपुर स्थित केन्द्रीय चावल गवेषणा उप-केन्द्र इसी के क्षेत्राधिकार में है ; और

(ग) इस उप-केन्द्र पर इस केन्द्र का किस प्रकार का नियंत्रण है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मिदनापुर में टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थान

६६९. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर ज़िले में उन नगरों के क्या नाम है जहां टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या दूसरे सब-डिवीजनों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने समय में योजना कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैं समझता हूं कि सब-डिवीज़न नगरों के बारे में पूछा गया है । यदि हां तो वे, (१) मिदनापुर (२) झाड़ (३) तमलूक हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३१-३-५६ ।

मिदनापुर में डाकखाने

६७०. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर ज़िले में खो गये नये डाकखानों के नाम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है जिस में मिदनापुर ज़िले के उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां वर्ष १९५३-५४ में नये डाकखाने खोले गये थे । [**देखिए** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७].

भूचाल-मापक (सीज़मोग्राफ)

६७१. सरदार हुक्म सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किन्हीं राज्यों में भूचाल-मापक लगाये गये हैं ; और

(ख) क्या भाकड़ा बांध के निकट कोई भूचाल-मापक लगाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है जिस में दिखाया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में किन किन स्थानों पर भूचाल-मापक लगाये गये हैं । [देखिए परिशिष्ट, ४ अनुबन्ध संख्या ६८].

(ख) हां, श्रीमान् ।

काजू सम्बन्धी गवेषणा योजनायें

६७२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा स्वीकृत की गई काजू सम्बन्धी गवेषणा योजनाओं के लिये अनुदानों अथवा ऋण के रुप में कोई सहायता दी गई है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास और बम्बई की सरकारों ने अभी तक अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया है जिस के परिणामस्वरूप अभी योजनाओं का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन तथा बम्बई राज्यों में काजू सम्बन्धी गवेषणा योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये हैं।

(ख) मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन योजनाओं पर काम हो रहा है। बम्बई सरकार वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य आरम्भ नहीं कर सकी है ।

(ग) मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन के दोनों केन्द्रों में जो कि बड़े महत्त्वपूर्ण काजू उत्पादक राज्य हैं, किये गये कार्य के परिणामों का बम्बई राज्य को भी पता लग जायेगा ।

पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर

६७३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान में पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों का पंजीयन किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त काल में काम दिलाऊ दफ्तरों की सहायता से कितने लोगों को नौकरी मिली है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) अक्टूबर, १९५१ से सितम्बर, १९५४ के दौरान में पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तरों में ४६,२११ भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण किया गया था ।

(ख) काम दिलाऊ दफ्तरों की सहायता से ७०९३ भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिली थी ।

रेलवे में भोजन व्यवस्था

६७४. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था के ठेके किन शर्तों पर दिये जाते हैं और १९५४ में अब तक ऐसे ठेकों से कितनी आय हुई है ; और

(ख) उन भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों की संख्या क्या है जिन्हें ठेकों का उल्लंघन करने के लिये दण्ड दिया गया है और गत तीन वर्ष के दौरान में उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ठेके निश्चित काल के लिये दिये जाते हैं और सेवाओं के सन्तोषजनक होने पर समय समय पर ठेकों का नवीकरण किया जाता है। ठेकेदारों को अच्छी प्रकार की वस्तुयें प्रशासन द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर बेचनी पड़ती हैं और उन्हें सारे ठेके अथवा उस के किसी भाग को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने, बन्धक रखने अथवा आगे ठेके पर देने से मना कर दिया

जाता है। वर्ष १९५३–५४ के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क लगभग २७,००,००० रुपये था।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान में २,६१० ठेकेदारों को दंड दिया गया, १,२१० मामलों में चेतावनी दी गई, १,२५८ मामलों में अर्थ-दंड दिया जाय, १३३ मामलों में ठेकेदारों के ठेके समाप्त कर दिये गये और ९ ठेके निलम्बित कर दिये गये।

रेलों में अत्यधिक भीड़

६७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी श्रेणी के डिब्बों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) १९५४ के दौरान में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये किन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीसरी श्रेणी के डिब्बों में भीड़ को कम करने के लिये जो कार्यवाही की गई है उस में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :

(१) १३० नई गाड़ियां चलाई ग हैं जो प्रति दिन ४,६९६ मील चलती हैं ;

(२) विद्यमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये जाने लगे हैं और उन का क्षेत्र बढ़ा दिया गगा है; और

(३) कुछ गाड़ियां अधिक बार चलने लगी हैं अर्थात् यदि पहले वे सप्ताह में दो बार चलती थीं तो अब तीन बार चलती हैं ; इत्यादि ।

(ख) १९५४ में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये जिन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उन में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं ;

(१) ८ गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के सोने के लिये डिब्बे लगाये गये हैं ;

(२) भोजन व्यवस्था के डिब्बे (डाइनिंग कार) और विश्रामालयों की सुविधायें तीसरी श्रेणी के यात्रियों को भी, दी गई हैं ;

(३) तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये उच्च श्रेणी के आने जाने के रास्ते खोल दिये गये हैं ; और

(४) निम्न व्यवस्था की गई है :

(क) तीसरी श्रेणी के रक्षण के लिये पृथक स्थान ।

(ख) तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये सीधे जाने वाले डिब्बे लगाना ।

(ग) तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षा गृहों में सूचना कार्यालय ।

(घ) साफ सुथरे शौचालय और मूत्रालय ।

(ङ) तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षा स्थानों में बिजली के पंखे और रौशनी ।

(च) तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बिजली के पंखे । प्रश्नाधीन वर्ष के पहले छः मास में ही २,९१८ पखों की व्यवस्था की गई थी ।

विमान उड़ानों सम्बन्धी विज्ञापन

६७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टर्नेशनल की हांगकांग तक उड़ान के बारे में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) क्या जनता ने इन विज्ञापनों के विषय का विरोध किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

६७७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्टूबर, १९५४ तक देश में, राज्यवार क्रमशः गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का कितनी मात्रा में पैदा किये गये ; और

(ख) उपरोक्त काल में, राज्यवार इन खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में उपभोग किया गया ; और

(ग) उपरोक्त काल में विभिन्न देशों से इन खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) क्योंकि भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन के अनुमान सामूहिक रूप से फसल के वर्ष के लिये ही तैयार किये जाते हैं इस लिये अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है । फिर भी चार विवरण लोक-सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिन में जुलाई-जून १९५३-५४ के कृषि वर्ष में देश में, राज्यवार, पैदा किये गये गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के अनुमान दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९].

(ख) अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि देश में इन खाद्यान्नों की राज्यवार खपत के अनुमान नियमित रूप से नहीं बनाये जाते हैं ।

(ग) जनवरी से अक्तुबर १९५४ तक के समय में जौ और मक्का का आयात नहीं किया गया था। गेहूं और चावल के बारे में निम्न विवरण से नवीनतम स्थिति का पता चल सकता है :

(टन)

अनाज	१-१-५४ से २९-९-५४ तक भारत में आयात की गई मात्रा (बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)
१ गेहूं	८७,६३७
२ चावल	३,२६,६३०*

*इस में २२,१५७ टन वह चावल भी सम्मिलित है जो श्री लंका सरकार से उस देशीय चावल के बदले में प्राप्त किया गया जो उन्हें भेजा जाना है ।

पाशाभाई औज़ार

६७८. **श्री डाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की उस सिफारिश को जो उन के सातवें प्रतिवेदन के पैरा २७ में दी गई है कि पाशाभाई औज़ारों को तब तक फिर से चालू न

किया जाये जब तक विभिन्न राज्य इस के आदेश न ें, स्वीकार कर लिया है; और

(ख) उन पाशाभाई औज़ारों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक फिर से चालू नहीं किया गया है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां, सिफारिश स्वीकार कर ली है।

(ख) १२१८, जिन में से ३४२ औज़ार फिर से चालू किये जाने के योग्य नहीं हैं।

सामान खरीदने की नीति

६७९. श्री डाभी :
श्री मुरारका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जो उन के सातवें प्रतिवेदन के पैरा १७ में उस हानि का उत्तरदायित्व निश्चित करने के बारे में थी जो ट्रैक्टरों, फालतू पुर्जों, सामान, अनुपयुक्त और अनार्थिक डीजल ट्रकों इत्यादि को बिना किसी योजना और सोचविचार के खरीदने के कारण हुई; और

(ख) ट्रैक्टरों और फालतू सामान इत्यादि के खरीदने में अनियमितताओं के लिये दोषी ठहराये गये पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन के कार्य संचालन के बारे में प्राक्कलन समिति द्वारा अपने सातवें प्रतिवेदन में दी गई भिन्न भिन्न सिफारिशों का अभी परीक्षण किया जा रहा है। आशा है कि अगले कुछ सप्ताहों में उन पर सरकार के आदेश मिल जायेंगे।

रेडियो लाइसेंस फीस

६८०. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में रेडियो लाइसेंस फ़ीस के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) उसी कालावधि में डाक व तार विभाग ने और कहां कहां से लाइसेंस फ़ीस प्राप्त की है; तथा

(ग) इस धन में से विभाग ने कितने प्रतिशत धन, एकत्रित करने के खर्चे के रूप में, लिया है?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह जानकारी इस विवरण में दी गई है, जिसे लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०].

(ख) मेरा विचार है कि माननीय सदस्य, लाइसेंसों को देर से प्राप्त करने के कारण, लिए गए अधिकार की ओर निर्देश कर रहे हैं। इस विचार के अनुसार अपेक्षित जानकारी उक्त विवरण में ही दी हुई है।

(ग) इस समय भारतीय डाक व तार विभाग, इन लाइसेंसों को जारी करने के लिए प्रत्येक लाइसेंस पर आठ आने रख लेता है।

विमानों की गतिविधि

६८१. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन कौन से विमान-क्षेत्र हैं जो वाणिज्यिक असैनिक

उड्डयन के विमानों की गतिविधि पर बेतार नियंत्रण के लिए केन्द्रों के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे विमान-क्षेत्र नवीनतम आधुनिक वैज्ञानिक सामान और यन्त्रों से सज्जित हैं ;

(ग) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के विमान-क्षेत्रों पर सरकार ने कुल कितना धन लगाया है ;

(घ) क्या इन में और अधिक सुधार किए जाने का विचार है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो उस पर कितना खर्च आएगा और कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ऐसे विमान-क्षेत्रों के नाम निम्न-लिखित हैं :—

१. अगरतल्ला
२. अहमदाबाद
३. अकोला
४. इलाहाबाद
५. अमृतसर
६. आसनसोल
७. औरंगाबाद
८. बगडोगरा
९. बलूरघाट
१०. बनारस
११. बंगलौर
१२. बड़ौदा
१३. बैलगाम
१४. बैलोनिया
१५. भावनगर
१६. भोपाल
१७. भुवनेश्वर
१८. भुज
१९. बम्बई (जुहू)
२०. बम्बई (सांटा क्रूज़)
२१. कलकत्ता (बैरकपुर—आई०ए० एफ०)
२२. कलकत्ता (डमडम)
२३. चकुलिया
२४. कोचीन (नौसेना/असैनिक)
२५. कोयम्बटूर
२६. दिल्ली (सफ़दरजंग)
२७. दिल्ली (पालम—आई० ए० एफ०)
२८. गौहाटी
२९. गया
३०. गोरखपुर
३१. गवालियर
३२. हैदराबाद (वेगमपेट)
३३. इम्फाल
३४. जयपुर
३५. जम्मू
३६. जामनगर (आई० ए० एफ०—असैनिक)
३७. झरसुगुडा
३८. जोधपुर (आई० ए० एफ०—असैनिक)
३९. जोरहाट (आई० ए० एफ०)
४०. कैलाशहर
४१. कमलपुर
४२. कानपुर (चकेरी—आई० ए० एफ०)
४३. केशोद
४४. खोवाई
४५. कोटाह
४६. कुंभीग्राम
४७. ललितपुर
४८. लीलाबाड़ी
४९. लखनऊ
५०. मद्रास
५१. मंगलौर
५२. मोहनबाड़ी
५३. मुज़फ़्फ़रपुर
५४. नागपुर
५५. पासीघाट
५६. पठानकोट

५७. पटना
५८. पूना (आई० ए० एफ०)
५९. पोरबन्दर
६०. रायपुर
६१. राजकोट
६२. रांची
६३. श्रीनगर (आई० ए० एफ०)
६४. तेज़पुर
६५. तिरुचिरापल्ली
६६. त्रिवेंद्रम्
६७. विजयवाड़ा
६८. विशाखापटनम्
६९. वारंगल

(ख) कुल सामान तो आधुनिक तथा बिल्कुल नवीन है और कुछ इतना अधिक नवीन नहीं है, परन्तु वहां पर किया जाने वाला कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप है। वह सामान, जो नवीन नहीं है हटाया जाकर उस के स्थान पर धीरे धीरे नया सामान रखा जा रहा है।

(ग) १९२ लाख रुपये

(घ) हां, श्रीमान्।

(ङ) ८३ विमान-क्षेत्रों के लिए लगभग २५२ लाख रुपये का खर्चा मार्च, १९५६ तक, तथा लगभग १०० विमान-क्षेत्रों के लिए लगभग ४६० लाख रुपये का खर्चा मार्च १,९६१ तक।

होमियोपैथिक प्रणाली

६८२. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जिन्होंने औषधियों की होमियोपैथिक प्रणाली के सम्बन्ध में अधिनियम बनाए हैं ;

(ख) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने होमियोपैथिक राज्य विभाग बना लिए हैं ; तथा

(ग) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने होमियोपैथिक डाक्टरों को पंजीवद्ध कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) बम्बई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, त्रावनकोर-कोचीन तथा भोपाल।

(ख) पश्चिमी बंगाल।

(ग) बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा हैदराबाद।

ट्रैक्टरों का आयात

**६८३. { श्री एम० एल० द्विवेदी :
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :**

क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में विदेशों से ११,५७० ट्रैक्टर आयात किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन का मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां। पहली अप्रैल, १९५१ से ३१ मार्च १९५४ तक।

(ख) १०,७१,१७,००७ रूपये।

भारतीय नौवहन

६८४. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय नौवहन समवाय जहाज़ बनाने के ठेके जर्मन सार्थों को दे रहे हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो (१) ऐसे कौन कौन से समवाय हैं जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में ऐसे ठेके दिए हैं, (२) ऐसे कौन कौन से सार्थ हैं जिन्होंने जहाजों का संभरण करना स्वीकार कर लिया, (३) अब तक संभरित किए गए जहाजों की संख्या, मूल्य तथा टन भार क्या हैं ; तथा

(ग) क्या कारण है कि यह संभरण, विशाखापटनम् के नौ-प्रांगण से न हो सका ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ७१]

(ग) विशाखापटनम् पोत निर्माण प्रांगण में जहाज बनवाने की मांग मुख्य रूप से इसलिए नहीं रखी गयी कि लगभग १९५६ के अन्त तक के लिए मांगें पहले ही आई हुई थीं और सम्बन्धित भारतीय नौवहन समवाय शीघ्रातिशीघ्र अतिरिक्त जहाज चाहते थे ताकि वे विदेश-व्यापार के सम्बन्ध में की गई अपनी वाग्बद्धता को पूर्ण कर सकें ।

नये स्टेशनों का खोला जाना

६८५. श्री झूलन सिंह: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की सेवान-गोरखपुर लूप लाइन के सासामूसा और जलालपुर स्टेशनों के बीच नये स्टेशन खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलअेशन) : (क) तथा (ख). सासामूसा और जलालपुर स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर पहले पहल १९५२-५३ में विचार किया गया था, किन्तु वित्तीय औचित्य न होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया, हाल ही में इस सम्बन्ध में एक नया आवेदन पत्र आया है और इस मामले की पुनः जांच की जा रही है ।

कोझीकोडे में सरकारी उद्जनन कारखाना

६८६. श्री झूलन सिंह: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोझीकोडे में स्थित सरकारी उद्जनन कारखाने की क्षमता और उत्पादन के विषय में क्या स्थिति है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सरकार ने, अभी तक, वाणिज्यिक आधार पर वनस्पति का उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है ।

इस कारखाने की उत्पादन क्षमता **१० टन वनस्पति प्रति दिन है । इसके अतिरिक्त**, यह प्रतिदिन ५ टन तेल को साफ कर सकता है ।

मद्रास सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह या तो उस कारखाने को बेच देगी या पट्टे पर दे देगी । इस दौरान में यह कारखाना, निजी समवायें की मांगों पर वनस्पति तेल को साफ़ करने के कार्य के अतिरिक्त, मद्रास सरकार की केराला साबुन संस्था के द्वारा अपेक्षित मूंगफली के तेल को भी साफ़ करने का कार्य करता है ।

वाइकाउंट विमान

६८७. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसे भारतीय वायु-पथ निगम ने सिफारिश की है डकोटा-विमानों के स्थान पर नये वाइकाऊंट विमान लाने के

लिए व्यादेश देने में देर क्यों लग रही है ; तथा

(ख) सरकार को भारतीय वायुपथ निगम की यह सिफारिश प्राप्त हुए कितना समय हो चुका है कि लम्बी यात्राओं के लिये डकोटा विमानों के स्थान पर वाइकाऊंट विमान प्रयुक्त किये जायें ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). सरकार को भारतीय वायु-पथ निगम की यह सिफारिश, कि पांच वाइकाऊंट विमान खरीदे जायें, गत जुलाई में प्राप्त हुई थी। किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार यह चाहती है कि वह वाइ-काऊंट और कानवोर—इन दोनों प्रकार के विमानों—की शिल्पिक उपयोगिता, चालू खर्चे, तथा अन्य विशेषताओं की दृष्टि से एक पूर्ण और ठीक ठीक तुलना कर ले। और इसी विचारानुसार यह मामला तीन शिल्पिक विशेषज्ञों की समिति को निर्देशित कर दिया गया है। यह समिति, दोनों निर्माताओं के प्रतिनिधियों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर दे कर, आंकड़ों का ध्यान पूर्वक परीक्षण कर रही है, और आशा है कि लगभग दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

करनूल में विमान पटरी

६८८. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लगभग पहली अप्रैल, १९५५ तक करनूल में एक हवाई पटरी चालू हो जायेगी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या हैदराबाद, के मार्ग से हो कर मद्रास से दिल्ली आने वाले सभी यात्री विमान करनूल में ठहरा करेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनायें

६८९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रेलवे मंत्री** निम्नलिखित बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ और १९५४ में आज की तिथि तक कितनी रेल दुर्घटनायें हुई ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना किस प्रकार की थी ;

(ग) कितनी दुर्घटनायें मालगाड़ियों की, कितनी सवारी गाड़ियों की, कितनी केवल इंजिनों की और अन्य प्रकार की थीं ;

(घ) इन दुर्घटनाओं में कितने सवारी डिब्बों, कितने माल डिब्बों, कितने इंजिनों, और अन्य सामान को क्षति पहुंची ;

(ङ) इस टूटफूट से हुई कुल क्षति का मूल्य कितना है ;

(च) कितने गज रेल की पटरी को क्षति पहुंची और उन्हें फिर से ठीक कराने में कितना व्यय हुआ ;

(छ) इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई जांचों के द्वारा इन के क्या सामान्य कारण प्रकट हुए ; और

(ज) क्या इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है, और यदि हां, तो उस के विवरण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ज). आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। सूचना आने पर विस्तृत विवरण सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

दिल्ली में ट्राम गाड़ियां

६९०. **श्री राधा रमण :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर में कुल कितनी ट्राम गाड़ियां चलती हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और अन्त में वे बिल्कुल समाप्त हो जायेंगी ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो, अभी तक कितनी ट्राम गाड़ियां कम की जा चुकी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अठारह ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) आठ ।

पलेजाघाट पर कोयले की चोरी

६९१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पलेजाघाट (उत्तर-पूर्वी रेलवे) पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयला चुरा कर बेच दिया जाता है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि रेलवे प्राधिकारियों को इस प्रकार की शिकायत करने के उपरान्त भी इस के विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) जी नहीं, एक शिकायत आने पर तत्काल ही जांच की गई थी . किन्तु कोयले की चोरी का आरोप सिद्ध न हो सका ।

रेलगाड़ी और बस की टक्कर

६९२. **डा० रामा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ अक्टूबर, १९५४ को दक्षिण रेलवे पर दलासुनूर के फाटक पर एक रेल गाड़ी और बस में टक्कर हो गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मरे या घायल हुए थे ; और

(ग) यह दुर्घटना कैसे हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २१ अक्तूबर, १९५४ को २२ अक्टबर १९५४ को नहीं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, लगभग ९–२० बजे दक्षिण रेलवे की छोटी लाइन के चिकबल्लापुर-बांगरपेट विभाग पर श्री निवासपुर और दलासनूर के बीच ११८० डाउन पैसेंजर २२/१५–१४ मील पर स्थित खाली फाटक पर एक बस से टकरा गई थी ।

(ख) तीन व्यक्ति मरे और चार घायल हुए थे । वे सब बस में यात्रा कर रहे थे ।

(ग) दुर्घटना का कारण यह था कि जब गाड़ी आ रही थी, तो बस के ड्राइवर ने खाली फाटक को पार करने की कोशिश की थी ।

रेलवे कर्मचारी

६९३. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक सम्भरण विभाग, उड़ीसा के किन्हीं भूतपूर्व कर्मचारियों को रेलवे में ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सेवा को किन किन श्रेणियों में नियुक्त किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"कटाई के बाद भुगतान" ऋण

६९४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में उड़ीसा राज्य में गन्ना उगाने वालों को उर्वरक के लिए "कटाई के बाद भुगतान" ऋण दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली परिवहन सेवा का कार्यकरण

६९५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली परिवहन बस ड्राईवरों का बसों में त्रुटियों के कारण अर्थात् आगे और पीछे की बत्तियां और स्पीडोमीटर के न होने के कारण कितनी वार चालान किया ;

(ख) कितने ड्राईवरों को न्यायालयों द्वारा दंड दिया गया ; और

(ग) इस दंड के कारण कितने ड्राईवरों को विभाग द्वारा सेवा से निकाल दिया गया ;

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीन ।

(ख) एक ड्राइवर के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है और दो औरों पर न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है ।

(ग) कोई नहीं ।

डाक कर्मचारियों के लिए निवास स्थान

६९६. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में कांगड़ा और अम्बाला पोस्टल डिवीज़नों में उपनगरीय क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण के लिए कितनी राशियों की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) उक्त डिवीजनों में इन वर्षों में विभिन्न स्थानों पर वस्तुतः कितनी राशियां खर्च की गई हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ७२].

डाक कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ता और पहाड़ भत्ता

६९७. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा और अम्बाला पोस्टल डिवीज़नों में किन किन स्थानों पर डाक और तार कर्मचारियों को प्रतिकर और पहाड़ भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ख) ये भत्ते कर्मचारियों को किस आधार पर दिये जाते हैं ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३].

(ख) प्रतिकर (नगर) और किराया मकान भत्ते सामान्यतया ऐसे नगरों में दिये जाते हैं, जिन की जन संख्या ५ लाख से

अधिक होती है । सामान्यतया मकान के किराये का भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो एक लाख से काफ़ी अधिक अर्थात् लगभग १५ प्रति शत अधिक जन संख्या वाले नगरों में रहते हैं और जिन का वेतन १०० रुपये प्रति मास से अधिक होता है । जहां कहीं उचित हो खराब जल वायु वाले स्थानों पर अधिक खर्च को पूरा करने के लिए, पहाड़ी स्थानों पर अधिक जीवन व्यय को पूरा करने के लिए और सुदूरवर्ती स्थानों पर सेवा के आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए भी भत्ते दिये जाते हैं ।

दिल्ली उपनगरीय गाड़ियां

६९८. **श्री गिडवानी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे का नई दिल्ली और विनय नगर के बीच उपनगरीय रेलवे सर्विस चलाने का विचार है ;

(ख) बीच के स्टेशन कौन कौन से होंगे ; और

(ग) यह सर्विस कब शुरू होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) बीच के स्टेशनों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया, किन्तु इन स्थानों पर गाड़ी ठहराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(१) हज़रत निज़ामुद्दीन

(२) लाजपत नगर

(३) सेवा नगर

(४) लोधी कालोनी ।

(ग) इस सर्विस को १-१-५५ से शुरू करने का विचार है ।

डीज़ल रेल कारें

६९९. **श्री जी० एल० चौधरी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक इटली से कितनी डीज़ल रेल कारें खरीदी गई हैं ;

(ख) क्या वे सभी कारें भारत पहुंच गई हैं ; और

(ग) इन कारों के मूल्य जापान से खरीदी गई कारों की तुलना में कैसे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १२ ;

(ख) नहीं । मार्च, १९५५ से मिलने लगेगी ।

(ग) इटली से आनेवाली दो रेल-कारों की यूनिट पर लगभग ७·५ लाख और जापान से आनेवाली यूनिट पर ५·१ लाख रुपये लागत आती है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

७००. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी—जून १९५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने कुल कितनी भूमि में (१) कृषि योग्य बनाने का काम, (२) जंगल साफ करने का काम और (३) अन्य कोई काम किया है ;

(ख) यह किन राज्यों में किया गया था ;

(ग) प्रत्येक मामले में हल चलाने के लिए प्रति एकड़ कितनी लागत ली गई थी;

(घ) कितने ट्रैक्टर वस्तुतः सारा सीज़न काम करते रहे और कितने आंशिक रूप से ; और

(ङ) हल चलाने के व्यय का हिसाब लगाने के लिए ईंधन और पुर्जों के लिए कितना व्यय सम्मिलित किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]

नागपुर का काम दिलाऊ दफ्तर

७०१. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५४ से अब तक नागपुर के काम दिलाऊ दफ्तर में कुल कितने अभ्यर्थी पंजीबद्ध हो चुके हैं ।

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई ;

(ग) कितने शिल्पिक, क्लर्क तथा अन्य लोग नियुक्त हुये ; और

(घ) पहले के दो वर्षों के आंकड़ों के मुकाबले में यह आंकड़े कैसे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) १ जनवरी, १९५४ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक १६,४२८ अभ्यर्थी पंजीबद्ध हो चुके थे ।

(ख) और (ग). १,३१३ व्यक्तियों को काम दिलाया गया जिनमें ४१७ शिल्पिक थे, १५८ क्लर्क और ७३८ अन्य व्यावसायिक श्रेणियों के थे ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]

यात्री सुविधायें

७०२. **श्री अमजद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू साल में ३१ अक्तूबर, १९५४ तक तृतीय श्रेणी के कितने डिब्बों में पंखों की व्यवस्था की गई ;

(ख) ये पंखे किस आधार पर लगाये जा रहे हैं ;

(ग) इस साल तृतीय श्रेणी के डिब्बों में कुल कितने पंखों के लगने की आशा है ;

(घ) क्या यह सच है कि काम बहुत धीमी गति से हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५७२ ।

(ख) ९ यात्रियों के लिए एक पंखा ।

(ग) ६१४४ ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप

७०३. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५४ तक विभिन्न राज्यों में कुल कितने नलकूप लगाए गये ;

(ख) अभी तक राज्यवार कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) राज्यवार उनमें से कितनों में सफलता मिली ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग). उपलब्ध नवीनतम सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६] ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 7-4-9...
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
तांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . २७६३

श्री टेक चन्द . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २६४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६६

डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६६

श्री के० के० देसाई २७६८–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६६

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६६–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६६–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७६

वाद-विवाद स्थगित २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई २७८२–८३

श्री आर० के० चौधरी २७८७

राज्य-सभा से सन्देश २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

लोक-सभा

शुक्रवार १० दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

पटल पर रखा गया पत्र

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं समुद्र सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा प्रविष्ट समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अधीन, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या ११५, दिनांक २ अक्टूबर, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—४७०/५४]**

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा डा० काटजू द्वारा कल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी:

> "निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी रखे गये हैं। अतः मुख्य प्रस्ताव के विचार के साथ साथ उन संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : इस अधिनियम के बारे में कुछ कहने के पूर्व हमें यह कहना है कि ७००० व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की हुई याचिकायें पहले ही पेश की जा चुकी हैं। मेरे पास दो और याचिकायें हैं। एक बम्बई के क़रीब ७५ वकीलों की ओर से है और दूसरी, कलकत्ता के लगभग ८५ वकीलों की ओर से है। दोनों याचिकायों का यह आशय है कि वे सभी निवारक निरोध अधिनियम की अवधि को बढ़ाये जाने के विरुद्ध हैं । मेरा संशोधन यह है कि यह अधिनियम जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये । मैं ने कल बताया था कि निवारक निरोध अधिनियम सन् १९४० से किसी न किसी रूप में देश के सामने है । उस समय वह भारत सुरक्षा अधिनियम, जन सुरक्षा अधिनियम अथवा जन संरक्षण अधिनियम के नाम से था । १९५० से वह निवारक निरोध अधिनियम के रूप में कार्य कर रहा है । इस अधिनियम का उद्देश्य यही रहा है कि बिना मुक़दमा चलाये व्यक्तियों को जेल में बन्द रखा जा सके ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

१९५० और १९५१ में तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल और श्री राजगोपालाचार्य ने क्षमायाचना करते हुये

[श्री ए० के० गोपालन]

इस बात के लिये खेद प्रकट किया था कि परिस्थितियों से बाध्य हो कर उन्हें वह अधिनियम संसद् के सम्मुख रखना पड़ा था । किन्तु वर्तमान गृह मंत्री का रुख कल इस प्रकार का नहीं था, वरन् उन्होंने मूलभूत स्वतंत्रता की कल्पना का ही मज़ाक़ उड़ाया । हमें अत्यन्त खेद है कि ऐसे मूलभूत सिद्धान्तों का मज़ाक उड़ाया गया है । यह अधिनियम एक विधि हीन अधिनियम है और वह मूलभूत अधिकारों और स्वतन्त्रता तथा मानवी अधिकारों की पवित्रता सम्बन्धी सभी उपबन्धों को रौंदता है । यह विधेयक अत्याचार का एक साधन है ।

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस महाजन ने कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसी विधि नहीं है जो शांतिकाल में लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेल में बन्द रखे । वास्तव में जिस सरकार को शांतिकाल में ऐसी विधि की आवश्यकता होती है, वह सभ्य सरकार नहीं है । इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने भी इसी प्रकार कहा है कि शांतिकाल में निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये । अनेक ऐसे मामले हैं जहां बन्दियों को इसलिये छोड़ दिया गया है कि उन्हें रोक रखने के लिये कोई आधार नहीं था । लोगों को मुक्त करते समय उन्होंने इस अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न किया था और कहा था कि दुनिया के किसी सभ्य देश में ऐसे अधिनियम का उपयोग नहीं किया जाता है । यह १९५२ में इस देश के उच्चतम न्यायिक अभिकरणों द्वारा कहा गया था ।

लोकतन्त्रात्मक सरकार के लिये यह प्रशंसनीय नहीं है कि वह साधारण विधेयकों से जनता पर शासन करने में असमर्थता प्रकट करे । यह निन्दा की बात है कि सरकार यह नहीं समझ पाती कि लोकतन्त्र अविभाज्य वस्तु है और प्राधिकारी एक ओर उसके मूलभत सिद्धान्तों का उल्लंघन और दूसरी ओर उसमें विश्वास की घोषणा एक साथ नहीं कर सकते हैं । निवारक निरोध अधिनियम जैसे अधिनियम व्यक्ति स्वातन्त्रय तथा विचार स्वातन्त्र्य का स्पष्ट उल्लंघन है । लोकतंत्रात्मक अधिकारों पर आक्रमण करने के लिये यह कोई तर्क नहीं है कि अमुक लोकतन्त्र अभी निर्माण अवस्था में है । इसके विपरीत यदि लोकतन्त्र में विश्वास की वृद्धि करनी हो, तो यह और आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक प्रकृति और रूप में लोकतंत्र का पालन किया जाये ।

अगली बात यह है कि वही लोग जिन्हें ब्रिटिश शासन काल में इस अधिनियम के अधीन बिना किसी कार्यवाही के जेल में बन्द रखा गया था, आज इस प्रकार की विधि को अधिनियमत करना आवश्यक समझते हैं । उस समय उन्होंने इसे जनता की स्वतन्त्रता और अधिकारों के प्रतिकूल समझा था । आज वह यह तर्क उपस्थित करते हैं कि अब समय बदल गया है । किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अंग्रेज़ों के यहां रहते जो चीज़ें बुरी थीं या जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते थे, आज एकाएकी कैसे अच्छी और सह्य हो गयी हैं । यदि माननीय गृह मंत्री का यह तर्क हो कि अब विदेशी शक्ति नहीं है और अब जनता के प्रतिनिधि सत्तारूढ़ हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि उन देशों में भी, जो विदेशी शक्तियों द्वारा शासित नहीं हैं, जैसे इंगलैंड, अमेरिका फ़्रांस आदि, वहां भी ऐसी कोई निवारक निरोध अधिनियम नहीं है जिसका शान्तिकाल में उपयोग किया जाता हो । केवल युद्ध काल में उसका उपयोग किया जाता है ।

७ मई, १९५१ को अपने निर्णय में जस्टिस बोस ने यह कहा था कि संविधान निर्माताओं की कभी यह कल्पना नहीं थी कि जनता को दी गई स्वतन्त्रतायें भ्रमात्मक और निरर्थक हों और कोई भी व्यक्ति उनके साथ चाहे जिस तरह खेल सके । वे भारत की जनता को निर्जीव, भावनाहीन, मिट्टी का पुतला नहीं बनाना चाहते थे किन्तु उसमें लोकतन्त्रात्मक ढंग का विकास करना चाहते थे। संविधान भारत की सर्वसाधारण जनता के लिये बनाया गया है न कि केवल वकीलों और प्राधिकारियों के लिये । संविधान में कहा गया है कि आन्तरिक अथवा बाह्य आपात काल में मूलभूत अधिकार तथा स्वातंत्र्य वापस ले लिये जा सकते हैं । कल माननीय गृह मंत्री के सारे भाषण में यही सुनायी पड़ता था कि देश में आपात कालीन स्थिति है और वह स्थिति ऐसी है कि निवारक निरोध अधिनियम को न केवल एक वर्ष के लिये वरन् अगले तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जाना चाहिये ।

तीन वर्ष के बाद यदि आपत्ति टलने वाली हो, तो यह आपत्ति जनता की आपत्ति नहीं है बल्कि और कुछ है, क्योंकि तीन वर्ष के बाद नया निर्वाचन होगा और बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है । किन्तु इन तीन वर्षों के लिये अधिनियम की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री ने कोई कारण नहीं बताये हैं । गृह मंत्री कहते हैं कि १८४८ में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र बनाया था, अतः १९५४ में निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ायी जानी चाहिये । विधेयक की अवधि बढ़ाने के लिये यह भी क्या कोई कारण है ? कम्युनिस्ट दल के अन्य संकल्प भी हैं । यदि उनका यह अर्थ हो कि निवारक निरोध अधिनियम अवश्य जारी रखा जाना चाहिये, तो उसे देश की साधारण विधि बना दिया जाय ।

माननीय गृह मंत्री ने यह स्पष्ट बताया था कि अनेक राज्यों में किसी को निरुद्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया है और कुछ राज्यों में, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, उन की संख्या बहुत थोड़ी है । इस कथन से उन्होंने ही यह स्वीकार कर लिया है कि इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है । किये गये अपराध और निरुद्ध किये गये लोगों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भी है जिस को देख कर कोई भी यह कह सकता है कि देश की साधारण विधि पर्याप्त है ।

आज देश की स्थिति क्या है ? लगभग पन्द्रह दिन पूर्व हमारे प्रधान मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बहुत अधिक उन्नति हुई है, विकास हुआ है और आज देश में शान्ति और समृद्धि है । यदि ऐसी स्थिति हो तो निवारक निरोध अधिनियम की अवधि और तीन वर्षों के लिये क्यों बढ़ायी जा रही है? या तो उनका कथन ग़लत है या देश में शान्ति और समृद्धि नहीं है और तभी यह अधिनियम जारी रखा जा सकता है। शांति, प्रगति, समृद्धि और दूसरी ओर निवारक निरोध अधिनियम साथ साथ नहीं रह सकते हैं । यदि शांति और प्रगति की बातें सच हैं तो जनता में कोई असन्तोष नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा और फिर निवारक निरोध अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं होगी । अभी हाल ही में दण्ड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार संशोधित की गयी है कि किसी प्रकार की स्थिति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है और शीघ्र निर्णय दिया जा सकता है । इसी प्रकार अन्य विधियों में भी अनेक उपबन्ध हैं जिन से हम अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं । यदि आवश्यक हो तो हम उन में समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी

[श्री ए० के० गोपालन]

कर सकते हैं, अतः ऐसी अवस्था में निवारक निरोध अधिनियम की अवधि को क्यों बढ़ाया जाय ?

अब एक पुराना तर्क यह है कि अपराध करने के बाद किसी व्यक्ति को दण्ड देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि अपराध का निवारण कर दिया जाय । यदि ऐसा हो तो सभी विनियमनकारी विधियां रद्द कर दी जायें और निवारक निरोध में सभी संभव अपराधों को शामिल कर दिया जाये । ऐसी स्थिति में विधि की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी । लोगों को निरुद्ध कर के सभी अपराधों का निवारण किया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपराध करे, तो उस पर वर्तमान विधि के अधीन अभियोग लगाया जाय और न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिये उसे पेश किया जाय । अतः साधारण विधि के अधीन उसे न्यायालय की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा । सभी सभ्य देशों में यही प्रथा है ।

१९४७ से इस विधि के अधीन लगाये गये अनेक अभियोग उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निराधार घोषित किये गये हैं । यदि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आकर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय, तो यह साफ़ दिखायी पड़ेगा कि अभियोग में कुछ सार नहीं होता है । अभियोग का आधार किसी व्यक्ति का सन्देह होता है जो उसकी समझ पर निर्भर होता है । उसकी समझ ग़लत भी हो सकती है । अतः यह देखना आवश्यक है कि देश में ऐसी विधियां हों जिसके अधीन हम अपराधी को किसी अपराध के लिये दण्डित कर सकें । यही पद्धति होनी चाहिये, न कि निवारक निरोध अधिनियम जिसके अधीन किसी व्यक्ति के सन्देह पर, किसी व्यक्ति की इच्छा पर, किसी व्यक्ति को जेल में बन्द कर दिया जाय । १९५१ में, श्री राजगोपालाचार्य ने कहा था कि इस प्रकार के निवारक विधेयकों से हमारी कठिनाइयां और समस्यायें दूर नहीं होंगी । हमें जनता की दशा में सुधार करने के लिये रचनात्मक उपायों का आश्रय लेना होगा । हमें जनता को सुखी और सन्तुष्ट बनाना होगा । हम जानते हैं कि यही सर्वोत्तम निवारक उपाय है ।

तीन वर्ष तक चलते रहने पर भी निवारक निरोध अधिनियम लोगों को सुखी बनाने में सफल नहीं हुआ है । सरकार इस से देश में फैली अव्यवस्था को दूर नहीं कर सकती है । जनता के असन्तोष का क्या कारण है ? देश की आर्थिक दशा ही इसका एक मात्र कारण है । आज देश में चारों ओर निराशा की भावना व्याप्त है, जनता इस से पार नहीं पा सक रही है । सरकार ने इस का क्या हल सोचा है ?

चारों ओर आन्दोलन ही आन्दोलन हो रहे हैं । इन आन्दोलनों का कारण क्या है ? सरकार को क्या करना चाहिये ? क्या तीन वर्ष तक इस निवारक निरोध अधिनियम को बढ़ाने से यह संकट दूर हो सकेगा ?

कल माननीय मंत्री ने अपने भाषण में साम्यवादी दल की नीति की आलोचना की थी । मैं साम्यवादी दल की नीति के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय मंत्री की आलोचना का आधार क्या है ?

हम ने स्पेन, जर्मनी, ब्रिटिश गियाना में हुई घटनाओं को देखा । वहां की जनता क्या चाहती है ? वहां सत्तारूढ़ दल ने क्या किया ? इतना ही नहीं । त्रावनकोर-कोचीन के निर्वाचनों में एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि यदि साम्यवादी चुनाव में

जीत भी जायें तो भी हम उन को शक्ति में नहीं आने देंगे। जब ऐसी बातें कही जायें तो फिर हम क्या करें? केवल संसदीय तरीक़ों से इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम अपने अनुभव से जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल समाज का जनतंत्रात्मक परिवर्तन नहीं होने देगा। अतः रोटी, भूमि और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये हमें मज़दूरों और किसानों का संगठन करना पड़ेगा। यदि वे आन्दोलन न करते, तो जो कुछ उन्हें आज प्राप्त है, वह भी उन के पास न होता। अतः बाहर संघर्ष का होना अनिवार्य है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को निरुद्ध करने के क्या कारण दिये गये हैं? कहा गया है कि देश में किसान आन्दोलन है, श्रमिक आन्दोलन है। मैं कहता हूं कि यदि देश में आन्दोलन हैं, हड़तालें हैं और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें हैं, तो इस का कारण यह है कि सरकार लोगों की मांगों की उपेक्षा करती है। उत्तर प्रदेश में नहरी पानी की दरों में वृद्धि के विरुद्ध जो आन्दोलन था उस के बारे में हम जानते हैं। यह एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन था किन्तु पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाईं। मनीपुर में भी इसी तरह लोगों पर लाठियां चलाई गई थीं और उन के प्रतिनिधियों की बात को बिल्कुल नहीं सुना गया था। इन सब बातों का मूल कारण क्या है? जब तक कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार न किया जाये और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी न हों, असन्तोष और आन्दोलन जारी रहेंगे। मैं मलाबार का उदारहण देता हूं। वहां लगभग २००० एकड़ परती भूमि बेकार पड़ी हुई है, जो सरकार के हाथ में है। लोगों ने और मैं ने स्वयं याचिकायें भेजी हैं कि इस भूमि में कृषि की जाये। दो साल से आन्दोलन चल रहा है किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब सत्याग्रह शुरू हो जायगा, तो लाठियां और गोलियां चलाई जायेंगी और कहा जायेगा कि सत्याग्रही समाज विरोधी हैं और हिंसा में विश्वास रखते हैं। उत्तरदायित्व उन लोगों के सर पर थोपा जायेगा जिनका कोई दोष नहीं। आप तो बेदखली जैसी चीज़ को रोकते के लिए कोई विधान नहीं बनाते। जो लोग बेदखलियों का विरोध करते हैं, उन्हें 'समाज-विरोधी' कहा जाता है और जो लोग बेदखलियों के लिये उत्तरदायी हैं, उन की रक्षा की जाती है। मैं केवल इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि आन्दोलन और हड़तालें इस लिये होते हैं, क्योंकि सरकार देश की स्थिति की ओर ध्यान नहीं देती और इन का कारण समझने का प्रयत्न नहीं करती और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पग नहीं उठाती।

माननीय गृहमंत्री ने दावा किया है कि वह सारे देश के जनमत की प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उन से कहता हूं कि यदि ऐसी बात है और यदि निवारक निरोध अधिनियम एक अच्छी चीज़ है, तो इस पर आने वाले चुनावों में लोगों की राय क्यों न ली जाय? एक ओर तो सरकार कहती है कि देश की स्थिति इतनी ख़राब है कि यह अधिनियम आवश्यक है किन्तु दूसरी ओर वह कहती है कि हर जगह शान्ति और सुख का राज है। डा० काटजू कहते हैं कि देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये निवारक निरोध अधिनियम आवश्यक है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। यह तीन सालों के लिये बढ़ाया जा रहा है, ताकि अगले चनावों को जीता जा सके। तीन वर्षों से पहले ही चुनाव शुरू हो जायेंगे। किसान आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन और राजनीतिक दलों के आन्दोलन के बहाने सरकार सब विरोधियों को जेलों में डालने के लिय यह अधिनियम बना रही है, शान्ति और व्य-

[श्री ए० के० गोपालन]

वस्था बनाये रखने के लिये नहीं । यह उन लोगों को और राजनीतिक दलों को दबाने के लिये है, जो जनता की मांगों का समर्थन करते हैं, जो उन की ओर से लड़ते हैं और उन की सहायता के लिये आगे आते हैं । मैं कहता हूं कि इस अधिनियम को चुनाव का प्रश्न बनाया जाये और उन से पूछा जाये कि क्या वे इसे बढ़ाना चाहेंगे या नहीं । यदि वे नहीं चाहते, तो साधारण विधि लागू होनी चाहिये और इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ानी चाहिये ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक--मध्य) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जनतंत्र के हित में और देश के शान्तिपूर्ण विकास के लिये ऐसा विधेयक कुछ वर्षों के लिये अत्यावश्यक है ।

हमारे देश में आज कल क्या हो रहा है ? जन साधारण की अपेक्षा माननीय गृह-मंत्री के पास अधिक जानकारी होगी । मैं लोगों के सम्पर्क में आता हूं और कह सकता हूं कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें जनतन्त्र में और शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास नहीं है । वे हिंसात्मक तरीकों से जनतंत्र को उखाड़ कर तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं । इस प्रयोजन के लिये वे विद्यार्थियों, किसानों आदि को भड़का कर उन की छोटी मोटी शिकायतों का अनुचित लाभ उठाते हैं ।

निस्सन्देह देश में शान्ति है और शान्तिपूर्ण तरीके से काम हो रहा है । पिछले सात वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है । किन्तु यह सब कुछ भारतीय साम्यवादियों के विरोध के बावजूद हुआ है । उन्होंने हमें कोई सहायता नहीं दी ।

हमें बताया जाता है कि देश में जो आन्दोलन चल रहे हैं, वे श्रमिकों और विद्यार्थियों के हित के लिये हैं । मान लीजिये किसी कालेज के प्रिंसिपल की अवधि समाप्त होने को है । विद्यार्थी चाहते हैं कि उस की अवधि दो वर्ष के लिये और बढ़ाई जाये । यदि प्राधिकारी इस बात को ठीक न समझते हों, तो विद्यार्थी कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं और कहते हैं कि वे एक जलूस निकालेंगे । फिर एक पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार १०० गुंडे जलूस में शामिल हो जाते हैं । कुछ आन्दोलन करने वाले एक कोने में एसिड बम ले कर खड़े होते हैं और इमारतें जलाने और सम्पत्ति नष्ट करने और संचार को अव्यवस्थित करने के लिये तैयार होते हैं । क्या यह सब कुछ होने देना चाहिये ? एक तर्क यह दिया गया था कि जब घटना हो जाती है, तब उस के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है । मेरे विचार में घटना को पहले से रोक देना अधिक अच्छा होता है । जब करोड़ों रुपये की हानि हो जाये, तब न्यायालय में जाने से क्या लाभ है ? क्या आप का अभिप्राय यह है कि पहले विद्यार्थियों और गुंडों को हिंसात्मक कार्य करने, संचार में गड़बड़ पैदा करने और मकान जलाने देना चाहिये और इसके बाद सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ? लोग इस प्रकार की सरकार नहीं चाहते । यदि यह अधिनियम न हो, तो इस प्रकार की घटनायें बार बार होती रहेंगी ।

कहा गया है कि अपराधियों को साधारण विधि के अन्तर्गत दण्ड क्यों न दिया जाये । साधारण अपराधियों के विरुद्ध साधारण विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु असाधारण अपराधियों के लिये कोई असाधारण विधि अत्यन्त आवश्यक है । आखिर इस देश में जनतंत्र स्थापित

हुये अभी सात साल हुये हैं । इस अवधि में देश स्वतन्त्रता के वातावरण में जितना लाभप्रद काम हुआ है, और जितनी सफलतायें प्राप्त हुई हैं, क्या उन सब को कुछ हिंसात्मक लोगों द्वारा नष्ट करा दिया जाये ? यदि हम लोगों को जनतंत्र के नाम से ही जनतंत्र पर आघात करने दें, तो इस देश में जनतंत्र समाप्त हो जायेगा । देश में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्हें न केवल जनतंत्र में विश्वास नहीं हैं, बल्कि जिन्हें बाहर से अनुदेश प्राप्त होते हैं । वे केवल इन अनुदेशों का अनुसरण करते हैं । हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग सदा अपने देश की हर चीज़ की बुराई करने के लिये तैयार रहते हैं ।

एक माननीय मित्र ने कहा है कि किसी सभ्य देश में ऐसा अधिनियम नहीं है । मेरे विचार में रूस एक सभ्य देश है । वहां किस प्रकार की स्वतन्त्रता है ? ट्राटस्की और बेरिया के उदारहणों से क्या प्रकट होता है ? यहां निरुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने और सम्बन्धियों से मिलने की सुविधायें दी जाती हैं ? क्या रूस में ऐसा होता है ?

यह कहा गया है कि अन्य सभ्य देशों में अधिक नागरिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दी गई है । रूस भी एक सभ्य देश है परन्तु वहां कोई नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है जिसकी तुलना भारत के साम्यवादियों तथा दूसरे व्यक्तियों को प्राप्त नागरिक स्वतन्त्रता से की जा सके ।

हो सकता है कि इस अधिनियम द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को उसके अपने हिंसात्मक कार्यों के लिये निरुद्ध किया गया हो परन्तु किसी दल को दबाने का प्रयत्न नहीं किया गया ।

कहा गया है कि निर्वाचन हो रहे हैं इसी लिये हम इस अधिनियम को चाहते हैं । इस से कड़ा अधिनियम होते हुये भी हम निर्वाचन जीत चुके हैं, क्योंकि लोग हमें और हमारे कामों को अच्छी प्रकार जानते हैं । लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं । हम आंध्र के लोगों को बता देंगे कि ऐसे अधिनियम की आवश्यकता थी जो कि हम पारित कर रहे हैं । इसके लिये हमें चाहे कोई भी परिणाम भुगतने पड़ें परन्तु हम सदा सत्य के पक्ष में रहेंगे ।

देश की वर्तमान दशा को देखते हुये एसे विधान की बड़ी आवश्यकता है । जहां तक सम्भव हो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे ।

इस में पहले से कई सुधार कर दिये गये हैं । यह उचित परीक्षण की व्यवस्था करता है । कारावास की परिभाषा की गई है और किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिये उसके आधार बताये जाते हैं । चाहे इस समय देश में शान्ति है और प्रगति हो रही है और वह होनी भी चाहिये । हम नहीं चाहते कि इस शान्ति को भंग किया जाये और देश में हिंसात्मक घटनायें हों । आन्दोलन तो चलते ही रहते हैं परन्तु वे शान्तिपूर्ण ढंग से चलने चाहियें । इस प्रकार नहीं कि हम संचार साधनों की व्यवस्था करते रहें और कुछ लोग उन्हें नष्ट करते रहें । यदि आप गुप्त रूप से शस्त्र एकत्रित करते हैं और विद्यार्थियों को भड़का कर उनसे हिंसात्मक कार्य करवाते हैं तो हम अवश्य उसे रोकेंगे । क्योंकि ऐसा न करना कर्तव्य से विमुख होना होगा ।

हम भी लोगों की राय को जानते हैं । वे अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय में इस अधिनियम की बड़ी आवश्यकता है । जनता जानती है कि हम लोकतन्त्रवादी हैं और स्वयं साम्यवादी ही लोकतन्त्रवादी नहीं हैं । संविधि पुस्तक में इस प्रकार का विधान न रहने से गत सात वर्ष में किया गया कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा और लोकतन्त्र के

[श्री जी० एच० देशपांडे]

स्थान पर सर्वाधिकारवादी राज्य स्थापित हो जायेगा। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री वीरस्वामी (मयूरम---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : लोकतन्त्र को चाहने वाली उस सरकार के लिये, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यह बड़ी लज्जा की बात है कि निवारक निरोध अधिनियम को इस देश की संविधि पुस्तक पर चार वर्ष के लिये रखा गया है और गृह-कार्य मंत्री अधिक तीन वर्ष तक इसे रखना चाहते हैं। देश के किस भाग में आतंक फैला हुआ है जिसके कारण वह ऐसा करना चाहते हैं ? स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् देश में कई प्रकार की क्रान्तियां हो सकती थीं। अनुसूचित जातियों के लोग भी क्रान्ति कर सकते थे जिनके साथ ब्राह्मणों और सवर्ण हिन्दुओं ने बहुत बुरा व्यवहार किया है और अब भी कर रहे हैं परन्तु वे स्वतन्त्रता की आशा में, जो कि उन का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे सहन किये जा रहे हैं। डा० अम्बेडकर भी देश में गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। मज़दूर लोग भी, जो कि हमारी जनसंख्या का ९० प्रतिशत भाग हैं वर्तमान सरकार के विरुद्ध क्रान्ति कर सकते थे परन्तु वे देश की शान्ति को भंग करके गतिरोध नहीं पैदा करना चाहते और वे आशा करते हैं कि उनकी समस्याओं का शान्तिपूर्ण और लोकतन्त्रवादी ढंग में हल किया जायगा। इसी लिये उन्होंने क्रान्ति नहीं की है।

देश में लगभग ४००० जातियां हैं और निम्न जातियों के लोग सरकार के विरुद्ध क्रान्ति कर सकते हैं कि इसने जाति प्रथा को समाप्त नहीं किया है परन्तु वे देश की शान्तिपूर्ण प्रगति में अड़चन नहीं पैदा करना चाहते।

जबकि साम्यवादी दल समेत सब दलों ने लोकतन्त्र प्रणाली पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है तो इस अधिनियम की कालावधि को तीन वर्ष और बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? दक्षिण में १६ वर्ष से हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है परन्तु इस से किसी को हानि नहीं हो रही बल्कि हैदराबाद पर पुलिस कार्यवाही के समय इसे रोक दिया गया था ताकि सरकार से पूरा सहयोग किया जा सके। वे लोग इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि दक्षिण के लोगों पर हिन्दी राष्ट्रीय और सरकारी भाषा के रूप में क्यों ठूंस दी गई है। यदि वे लोग चाहें तो उनके लाखों कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध क्रान्ति में उठ सकते हैं परन्तु हम लोग सभ्य हैं और हम लोकतन्त्र और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम शान्तिपूर्ण ढंग से अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं।

बैंक के झगड़ों के कारण देश में बड़ा आतंक फैल रहा था परन्तु इस झगड़े का समझौता विपक्ष दल के नेताओं के सहयोग से हो गया। जब कि विपक्षी दल इतना सहयोग दे रहे हैं, सत्तारूढ़ दल और विशेषकर गृहकार्य मंत्री को इस विधान की कालावधि बढ़ाने का निश्चय नहीं करना चाहिये था। सब विपक्षी दल अपना संगठन बना कर आंध्र निर्वाचन में कांग्रेस को पराजित कर सकते हैं मुझे इस बात की आशा भी है। यदि विश्वयुद्ध हो जाये और भारत को खतरा हो तो निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता हो सकती है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस दल के लोग समझते हैं कि उनके अतिरिक्त और कोई देशभक्त नहीं है और केवल वही अहिंसा में विश्वास रखते हैं परन्तु १९४२ में क्या हुआ था ?

यदि सत्तारूढ़ दल, विशेषकर गृह-कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य उपमंत्री को लोकतन्त्र में विश्वास है और यदि वे भारतीय संविधान

का सम्मान करना चाहते हैं तो उन्हें इस विधान को छोड़ देना चाहिये और ऐसा करके विपक्षी दलों की सद्भावना और सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं जानता हूं कि सब लोग इस अधिनियम को अवांछनीय समझते हैं और इस के पक्ष में बोलने वाले भी यही कहते हैं कि यह अवांछनीय है परन्तु देश की वर्तमान परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक है । परन्तु मुझे आश्चर्य है कि प्रस्तावक ने इस बार इस अधिनियम की आवश्यकता के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा । १९५२ में इसे जारी रखने के तीन कारण अर्थात् विश्व स्थिति के कारण असाधारण शक्तियों की आवश्यकता, आंशिक विनियन्त्रण की नीति और कुछ दलों की ऐसी गतिविधियां जो लोगों को धार्मिक जोश दिला कर उनका अनुचित लाभ उठाते हुये की जाती थीं, बताये जाते थे । परन्तु अब इन में से कोई भी विद्यमान नहीं । हमारे प्रधान मंत्री की राजनीतिज्ञता से विश्व की स्थिति सुधर चुकी है । विनियन्त्रण की नीति भी सफलता प्राप्त कर चुकी है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है । यदि हमारी अवस्था इतनी अच्छी है तो इस विधान की अब क्या आवश्यकता है । दिये गये आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पिछले वर्ष भारत की रक्षा, भारत में विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्ध अथवा भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्यवाही करने से रोकने के लिये केवल तीन व्यक्ति निरुद्ध किये गये थे । रसद और आवश्यक सेवाओं में अड़चन डालने के कारण २ व्यक्ति गिरफ्तार तथा निरुद्ध किये गये । इन पर देश की साधारण विधि के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती थी । इसी प्रकार अवैध हड़तालों को प्रोत्साहित करने वालों पर भी साधारण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

सरदार पटेल, जिन्होंने यह विधान प्रस्तुत किया, स्वयं से संविधि-पुस्तक में रखने में संकोच अनुभव कर रहे थे और उस समय इसे केवल एक वर्ष के लिये लागू किया गया था परन्तु अब इसे तीन वर्ष तक के लिये, बिना हमें कोई उचित आधार बताये, जारी रखा जा रहा है ।

ऐसे विधान की उस समय आवश्यकता होती है जब यह भय हो कि लोगों के किसी छोटे से गुट की कार्यवाहियों के कारण लाखों लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता नष्ट हो जायेगी । कौन लोग हैं जो ऐसी कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं ? इस विधान के औचित्य को प्रकट करने के लिये श्री राजगोपालाचार्य और सरदार पटेल साम्यवादी दल की ओर संकेत करते रहे हैं और उनका कहना था कि साम्यवादी लोग देश की स्वतन्त्रता को नष्ट करना चाहते हैं । इस विधान का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र नष्ट करने वालों के खिलाफ स्वतन्त्रता चाहने वालों और लोकतन्त्र के दावेदारों का संयुक्त मोर्चा तैयार करना था । परन्तु राजनैतिक दलों ने सरकार के विरुद्ध ही संयुक्त मोर्चा बनाया है ।

पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया तो स्वर्गीय डा० एस० पी० मुकर्जी, श्री चटर्जी, श्री सारंगधर दास, सरदार हुक्म सिंह तथा अन्य कई सदस्यों ने बताया था कि उनके राजनैतिक दलों और कार्यवाहियों के विरुद्ध इसी अधिनियम का प्रयोग किया गया था ।

फिर हमें कहा जाता है कि इस अधिनियम का प्रयोग राजनैतिक दलों पर नहीं किया जा रहा है परन्तु हम देखते हैं कि १९५३ और १९५४ में कई राजनैतिक दलों के लोग गिरफ्तार किये गये और निरुद्ध किये गये । मैं यह बात तो समझ सकता हूं कि यह विधेयक गुंडों तथा डाकुओं की

[श्री अशोक मेहता]

गतिविधियों के निवारण के लिये है किन्तु उनके साथ सम्मानित राजनैतिक कार्यकर्ता क्यों सम्मिलित किये जायें । गुंडों की गतिविधियां गुंडा अधिनियम बना कर रोकी जा सकती हैं ।

श्री राजगोपालाचार्य ने एक समय कहा था कि ज्यों ज्यों स्थिति सुधरती जाती है त्यों त्यों विरोधी सत्तायें भी अपनी गतिविधियों को बदलती जा रही हैं । इसलिये हमें उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिये नये ढंग से चलना है और सारी बात उसी प्रकार से चल रही है ।

साम्यवादी दल ने अपना तरीका बदल लिया है । यदि आप समझते हैं कि वह प्रजातन्त्र को नष्ट करने पर तुले हुये हैं और आप उन का मुकाबला करना चाहते हैं, तो इस विधि के द्वारा आप की लक्ष्य-सिद्धि नहीं होगी । उनके परिवर्तित तरीके का मुकाबला करने के लिये आप को भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा ।

यद्यपि सरदार पटेल और यह सभा इसके पक्ष में नहीं थे, परन्तु सरदार पटेल ने कहा था कि इस प्रजातन्त्रीय देश में प्रजातंत्रीय उपायों से प्रजातन्त्रीय संगठनों को सरकार बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है परन्तु हिंसात्मक उपायों द्वारा प्रजातन्त्र को नष्ट करने की इच्छा रखने वालों को यह अधिकार नहीं दिया जायेगा, और उन्हें प्रजातंत्रीय निर्वाचन का बिल्कुल लाभ नहीं उठाने दिया जायेगा । अन्य देशों में प्रजातन्त्र को बचाने के लिये इस प्रकार की विधियां हैं, परन्तु हम उस प्रकार की विधि नहीं चाहते, क्योंकि हमें देश की जनता की प्रजातन्त्र सम्बन्धी आस्था पर पूरा विश्वास है, और हम प्रजातंत्र के लिये सब प्रकार के जोखिम उठाने को तैयार हैं

हमने सोच समझ कर यह निर्णय किया है कि हम "शत्रु दल" के व्यक्तियों को विधान-सभाओं या संसद् में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम ऐसा दृष्टिकोण निर्माण कर सकेंगे जो देश के लिये लाभदायक हो । आज इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है । गृह-कार्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों को मिला कर ऐसी एक समिति क्यों नहीं बनाते, ताकि यदि किसी राजनीतिक दल के कृत्य द्वारा कहीं पर देश की सुरक्षा या प्रजातन्त्र के नष्ट होने की सम्भावना हो, तो इस समिति का, जो सरकारी नहीं बल्कि सब राजनीतिक दलों की संयुक्त समिति है, निर्णय सर्वमान्य हो सके ?

सरकारी सदस्यों के समान हम भी प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के रक्षक हैं, परन्तु जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, हम वैसा नहीं होने देंगे । उदाहरणार्थ, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में, जिन्होंने भी उनकी सहायता की, सरकार ने उनको धमकी दी और उनके विषय में बुरा भला कहा, तथा एक वैध हड़ताल को समाज विरोधी अथवा साम्यवादी दल द्वारा पोषित बतला कर उस की निन्दा की । क्या इस प्रकार हड़ताल रोकी जा सकती थी ? अनेक प्रकार की गड़बड़ें हो सकती थीं, परन्तु इस सभा का प्रत्येक वर्ग उस स्थिति को न आने देने के लिये प्रयत्नशील था । आचार्य कृपालानी ने अग्रसर होकर उस भयानक स्थिति को रोका परन्तु सरकार समझती है कि पुलिस के द्वारा ही शान्ति स्थापित की जा सकती है । वह हम लोगों का समाज पर कुछ भी प्रभाव नहीं समझती । यही कारण है कि सरकार के विरुद्ध इतना बड़ा संयुक्त विरोधी दल बन गया है ।

हम प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता की सुरक्षा में कम दिलचस्पी नहीं रखते । परन्तु सरकार

की इस नीति के द्वारा न तो साम्यवादी अशक्त हो सकते हैं और न ही स्वतन्त्रता या प्रजातन्त्रोपयोगी वातावरण ही तैयार हो सकता है। अतः मेरी यह अपील है कि यदि कोई राजनीतिक दल दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे रोकने के लिये लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार की विधि नहीं बनानी चाहिये, जिससे प्रजातन्त्र की शक्तियां छिन्न भिन्न हो जायें।

श्री राजगोपालाचार्य ने विश्वास दिलाया था कि यदि इस विधि का कहीं दुरुपयोग हुआ तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी, तथा इस कृत्य को राज्य-अभक्ति समझा जायेगा। हालांकि सभा के समक्ष इस शक्ति के दुरुपयोग के कई मामले प्रस्तुत हुये हैं, परन्तु एक भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः ऐसी विधि को संविधि-पुस्तक में रखना वांछनीय अथवा उचित नहीं है।

इस विधेयक में जम्मू तथा काश्मीर को इस अधिनियम के पर्यावलोकन से हटाने वाला संशोधन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि उस राज्य का निवारक निरोध अधिनियम इस से भी बुरा है। क्योंकि उस के अनुसार ज़िला-धीश के अतिरिक्त कई अन्य अधिकारी भी गिरफ्तारी कर सकते हैं और निरोध आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरे, परामर्शदाता बोर्ड के सभापति पद के लिये उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है। तीसरे, वहां निरोध की अवधि पांच वर्ष है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

चौथे, वहां पर, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक शान्ति भंग होने की आशंका वाले व्यवहार के अपराध में निरुद्ध व्यक्ति के मामले में परामर्शदाता बोर्ड का परामर्श लेना भी अनिवार्य नहीं है। पांचवें यदि सरकार यह समझती है कि जिस आधार पर उस व्यक्ति को नज़रबन्द किया गया था, वह अभी वर्तमान है, तो उस के निरोध आदेश का नवीकरण किया जा सकता है। मूल विधेयक में सुधार की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु तो भी तीन वर्ष के लिये इसे यथापूर्व रखने के लिये कहा जाता है। मूल अधिनियम में कोई सुधार लाने की बजाये एक अधिक दोषपूर्ण अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करना सर्वथा अनुचित है।

जम्मू और काश्मीर के मामले में मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो लोग जनता के आदर के भाजन हैं, आज वे निरुद्ध हैं। वहां इस विषय में लोगों में बड़ा असन्तोष है। वहां की जनता की भावना का आदर करने की बजाये आप उन पर एक अधिक गन्दा अधिनियम लागू करना चाहते हैं। क्या इस प्रकार उनका सहयोग, विश्वास तथा उनकी सद्भावना प्राप्त की जा सकती है? ऐसे राज्यों में जहां इस अधिनियम के अधीन कोई निरुद्ध नहीं किया गया, वहां पर इस अधिनियम को लागू न करने की बात समझ में आ सकती है, परन्तु ऐसे राज्यों से तो यह अधिनियम नहीं हटाया गया है। केवल जम्मू और काश्मीर से ही इसे हटाया जा रहा है और उस पर इससे अधिक गन्दा आधिनियम थोपा जा रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि गृह-कार्य मंत्री ने इस अधिनियम को तीन वर्ष के लिये जारी रखने की आवश्यकता क्यों नहीं बताई, जबकि सरदार पटेल और श्री राजगोपालाचारी ने इस से कठिन परिस्थितियों में भी इसे एक समय केवल एक वर्ष के लिये रखने का उपबन्ध किया था? दूसरे, मंत्री महोदय ने इस का भी कोई कारण नहीं बताया कि जम्मू तथा काश्मीर पर यह अधिनियम क्यों लागू न किया जाये। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि यदि मंत्री महोदय

[श्री अशोक मेहता]

हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते और इस विधेयक को वापस नहीं लेते, तो इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का कारण अवश्य बतायेंगे। जिस विधि के लिये आप सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का सहयोग चाहते हैं, वह केवल दल विशेष का बहुमत प्राप्त होने से ही पारित नहीं हो जानी चाहिये।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले दो सालों में, और खास कर पिछले साल १९५४ में, सारे देश में नज़रबन्दी के इस कानून को हमारी प्रान्तीय सरकारों ने बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल किया है। सावधानी ही नहीं, मैं ने जो लिस्ट देखी है उस में देखा है कि कई प्रान्तों ने, कई राज्यों ने, कई राज्यों की सरकारों ने, इस कानून का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं उन राज्यों को इस बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस विशेष कानून का जो इस सावधानी के साथ इस्तेमाल हुआ इसका श्रेय, इस का धन्यवाद, इस पार्लियामेंट को है जिस ने बहुत सावधानी के साथ इस कानून को बनाया था और उस में इतने प्रतिबन्ध, इतनी रोक, रख दी थी कि कोई भी सरकार, या पुलिस के अधिकारी अथवा मैजिस्ट्रेट इस का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन, जब मैं ने सरकारी रिपोर्ट को बड़े ग़ौर के साथ देखा तो मेरी समझ मे नहीं आया कि जब इतनी कम गिरफ्तारियां की गई हैं,—सिर्फ २८०—तब इस कानून के रखने की क्या ज़रूरत है ? और गिरफ्तार लोगों में भी मैं ने देखा है कि तरह तरह के लोग हैं, यहां तक कि मैं ने कुछ कांग्रेसमैनों के नाम भी देखे हैं जिन को डिटेन किया गया है, नज़रबन्द किया गया है और लिख दिया गया है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कारण।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेस वर्कर डेटीन्यू किया गया है।

श्री एम० पी० मिश्र : गुंडों, डकैतों और तरह तरह के लोगों को इस कानून में पकड़ा गया है। मैं समझता हूं और ला मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी इस बात को मानेंगे कि देश के जो साधारण क़ानून हैं उन क़ानूनों में बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है कि ऐसे आदमियों को मुकदमा चला कर जेलों में डाला जाय। और अगर देश के साधारण क़ानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस के ज़रिये उस आदमी पर मुकदमा चलाया जाय, उस को जेल में रक्खा जाय, उस को सज़ा दी जाय जो डकैतों को अपने यहां जगह देता है या जो और तरह के बेजा जुर्म समाज के प्रति करता है, तो मैं समझता हूं कि सब से पहले ज़रूरी है कि देश के उन साधारण क़ानूनों में सुधार किया जाय और उस में ऐसी बातें लाई जायें, ऐसे कानून बनाये जायें कि जो आदमी डकैतों को अपने घर में जगह देता है उन पर मुकदमे चलाये जा सकें और उन को जेल भेजा जा सके, उन को सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। लेकिन अगर उन के लिये इस क़ानून के इस्तेमाल किये बिना काम न चलता हो तो मैं समझता हूं कि तब और सारे क़ानूनों को छोड़ दिया जाय, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटाया जाय और प्रिवेन्टिव डिटेन्शन से ही काम लिया जाय।

इस लिये मैं कहता हूं कि यह क़ानून-विशेष है। और मुझे याद है कि १९५० में जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने पहले पहल इस क़ानून को सदन केसामने रखा था उसको

पेश करते हुये पहले दिन कहा था कि मुझे दो दिन और दो रात नींद नहीं आई और मैं बराबर इस कानून को बनाने की ही बात सोचता रहा । हमें मालूम है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस वक्त एक फैसला दिया था और उस फैसले की रू से कम्युनिस्ट पार्टी के करीब करीब ३०० या ४०० आदमी छूट जाने वाले थे । उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी रणदिवे के नेतृत्व में थी और बम्ब, गैस और तरह तरह की खतरनाक़ चीज़ें तैयार कर रही थी । हम एक बहुत खतरनाक़ हालत में से गुज़र रहे थे और यह क़ानून ज़रूरी सा हो गया था । इतना होने पर भी सरदार पटेल को इतनी फिक्र थी, लोक तन्त्र की उन्हें इतनी चिन्ता थी कि दो रात तक उन्हें नींद नहीं आई । आज मुझे खुशी होती है यह सुन कर कि श्री गोपालन कहते हैं कि कम्युनिस्ट धोषणा पत्र सौ वर्ष पुराना है, और उसे इस कानून का आधार नहीं माना जाये । क्या वह कहने को तैयार हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस रास्ते को छोड़ दिया है और लोकतन्त्रीय रास्ता अपना लिया है ? लेकिन यह ऐसी बात नहीं है । यह तो सिर्फ बातें ही बातें हैं । १८४८ में जो घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने लिखा था उस पर अब भी यह लोग कायम हैं और उसको बदलने के लिये तैयार नहीं हैं । असल जड़ तो वही है ।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो मानते हैं ।

श्री एम० पी० मिश्र : मैं नहीं मानता । तो कम्युनिस्ट पार्टी अब भी उन्हीं तरीक़ों पर चलती है । उस के बुनियादी सिद्धान्तों में कोई फर्क नहीं आया है । आज भी ये लोग अपने हाथों में पिस्तौल, बम्ब इत्यादि ले कर अपने आबजैक्ट्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं । मैं फिर कहता हूं कि उन्होंने अपने मौलिक रास्ते नहीं बदले हैं । और उनके जो बुनियादी रास्ते और तरीक़े हैं वे सभी लोगों को मालूम हैं । वे जो बातें करते हैं सिर्फ जनता को भ्रम में डालने के लिये करते हैं । लेकिन इस बात के बारे में सरकार को या किसी भी दूसरे आदमी को जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखता है और जिस को आज़ादी से प्यार है कोई शक़ नहीं है कि इनकी बुनियादी पालिसियां वही हैं जो पहले हुआ करती थीं और उन में कोई अन्तर नहीं आया है । वे तो सरकार को बदलना नहीं चाहते, वे तो सरकार को उखाड़ फैंकना चाहते हैं । सरकार को बदलने के लिये हिन्दुस्तान में कई पार्टियां हैं जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और हर एक को वैधानिक तरीक़ों से सरकार को बदलने का हक़ भी है । हमारे संविधान ने उन्हें यह हक़ दे रखा है । लेकिन कम्युनिस्ट सरकार को बदलने में विश्वास नहीं करते वे तो राज्य को बदलने में विश्वास करते हैं । राज्य और सरकार में बहुत बड़ा अन्तर है । और कम्यूनिस्टों को हमारी सरकार क्या, इस राज्य में विश्वास नहीं है, वे तो इस राज्य को किसी न किसी तरह से उखाड़ फैंकना चाहते हैं । वे राज्य के प्रति वफादार नहीं, उनकी वफ़ादारी तो किसी और ही के प्रति है । उन का बुनियादी रास्ता साफ़ है और इस में कोई भी शक़ नहीं है । वे तो कहते हैं कि हम रणदिवे वाले रास्ते से हट गये हैं और जोशी साहब वाला रास्ता भी हम ने त्याग दिया है लेकिन ये सब ग़लत है ।

कम्युनिस्टों की नीति है लोगों को भड़काने की और देश में असन्तोष पैदा करने की । वे तो हड़तालों में विश्वास रखते हैं और हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हड़ताल करवायें और लोगों में असन्तोष पैदा करें । मेरे दोस्तों ने कहा कि इस कानून का उन हड़तालियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जायगा और इसी तरह दूसरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जायगा ।

[श्री एम० पी० मिश्र]

मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हड़ताल के बारे में तो दूसरा क़ानून है जिस के ज़रिये से कि एक हड़ताल ग़ैर क़ानूनी ठहराई जा सकती है और उसमें इस क़ानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल होने वाली थी और इसको ग़ैरकानूनी घोषित करने के लिये दूसरा क़ानून काम में लाया जाने वाला था।

कम्युनिस्टों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संघटन है। अभी कल ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक पैम्फलेट मोस्को से निकला है। उस में बताया गया है कि को-एगज़िस्टैंस को, सह-अस्तित्व को, कम्युनिस्ट क्या समझते हैं और हम लोग उससे क्या अर्थ निकालते हैं।

तो कम्युनिस्टों का ध्येय देशों पर कब्ज़ा करना है। लेकिन अभी ऐटम बम्ब का खतरा है, लड़ाई छिड़ जाने का खतरा है, इस लिये वे धीरे धीरे काम कर के संसार पर कब्ज़ा करेंगे। उनके मुताबिक़ को-एग-ज़िस्टैंस के ये मानी हैं। तो इस में किसी को शक़ नहीं होना चाहिये और यह बात बिल्कुल साफ़ है कि इनका एक अन्तर्राष्ट्रीय संघटन है और ये जिस देश में रहते हैं उसके वफादार नहीं हैं। इनकी पालिसी यहां पर नहीं बनती, यह तो कहीं और से ही डिक्टेट की जाती है। ये राज्य को उखाड़ फैंकना चाहते हैं और उसकी जगह अपनी सरकार, अपनी तबीयत की सरकार, जिस में प्रजा तन्त्र न रहे, स्था-पित करना चाहते हैं। क्योंकि उनका जब राज होगा तो वहां पर प्रजा तंत्र का नाम नहीं रहेगा। आज रात को आदमी सो रहा होगा तो कल जेल भेज दिया जायगा। और उसको इस बात की खबर तक नहीं दी जायगी। उस पर कोई मुक़दमा नहीं चलाया जायगा। हड़ताल की ही मिसाल ले लीजिये। मैं पूछना चाहता हूं कि किस कम्युनिस्ट देश में हड़ताल जायज़ है? कहीं भी नहीं। वहां पर तो मज़दूर हड़ताल कर ही नहीं सकते। यहां हड़ताल करना भी एक फण्डामेंटल राइट है जो कि मज़दूरों को दिया गया है, यह इनका बुनियादी हक़ है। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में हड़तालें नहीं होती हैं क्योंकि वहां उनका यह हक़ तसलीम ही नहीं किया गया है।

इस ऐक्ट के मातहत एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिये जेल में रखा जा सकता है और इस दौरान में उसके केस की बाकायदा तौर पर एक ट्रिब्यूनल के ज़रिये जांच भी की जाती है। अगर कोई एमरजेंसी आ जाये, भगवान न करे कि वह आये, तो हमें कांस्टीट्यूशन को स्थगित करना पड़ेगा और सरकार को भी विशेष अधिकार देने पड़ेंगे और पार्लियामेंट को भी बन्द कर देना पड़ेगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जन संघ भी इस देश में दो खतरनाक़ संस्थायें हैं जिन का हमें ध्यान रखना होगा। हिन्दू महा सभा के कुछ लोगों के नाम तो देखने में आते हैं जिन को इस ऐक्ट के मातहत बन्द रखा गया है। लेकिन इन दो संस्थाओं में से किसी का नाम देखने में नहीं आता। ये दोनों संस्थाओं का भी लोकतन्त्रात्मक तरीक़ों में विश्वास नहीं है। ये देश में एक ऐसा राज कायम करना चाहती हैं जैसा कि चार पांच हज़ार साल पहले हुआ करता था और जिसमें एक ही जाति के लोग रहेंगे। ऐसे राज्य में किसी दूसरी जाति के लोगों के लिये कोई स्थान नहीं होगा और न ही ऐसे राज्य को हम लोक राज्य कह सकेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे: यह आप किस तरह से कह सकते हैं?

श्री बोगावत : यह उनकी अपनी राय है।

श्री एम० पी० मिश्र : मैं आप की पालिसी को भी समझता हूं। आप भी प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते। यह भी मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या कर रहा है और किन सिद्धान्तों में वह विश्वास रखता है। मैं ने श्री गोलवलकर से भी इस बारे में बातचीत की है और मैं जानता हूं कि उनके दिमाग़ में क्या है। वे भी कम्यूनिस्टों की तरह इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमें अपना रास्ता कहीं और ढूंडना होगा।

तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार डंडे के ज़ोर से हकूमत नहीं कर सकती। हमारी एक प्रजावादी और लोक वादी सरकार है और जो कुछ भी यह कर रही है लोगों के हित के लिये कर रही है। देश में आज कांग्रेस का राज है और जनता कांग्रेस के पीछे है। जनता ने उसे वोट दिया है। कल अगर जनता कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी तो कांग्रेस हट जायगी। तो हमें अपने विरोधियों से राजनीतिक मोर्चे पर लड़ना चाहिये। कम्युनिस्ट यूनीवर्सिटियों में जाते हैं, वहां अपनी सेलें बनाते हैं। उनके संगठन के हमेशा दो रूप रहते हैं, एक कानूनी और दूसरा ग़ैर-कानूनी। वह सोसाइटियां बनाते हैं, वह प्रचार करते हैं और उनका प्रचार बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रचार को आप कैसे रोक सकते हैं। आप रूसी साहित्य को कैसे रोक सकते हैं? वे लोग भाषण देते हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं? यह छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने से आप उनको कैसे रोक सकते हैं? जो भी देश में विरोधी दल हैं उनसे लड़ने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम उनसे जनता के बीच में लड़ें, हम उन से उन मोर्चों पर लड़ें जिन पर कि वह हम से लड़ते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जायगा तो इससे तो पुलिस को आसानी हो जायगी। जो दल भी लड़ना चाहेगा उसको आसानी हो जायगी। वह यह समझेगा कि पुलिस हमारी तरफ़ से लड़ लेगी हमको क्या करना है। इसलिये यह ग़लत चीज़ है। हमको तो इन सब दलों से राजनीतिक मोर्चे पर ही लड़ना चाहिये। ऐसा हो सकता है कि बहुत ख़तरनाक वक्त आ जाय और इस तरह के कानून की आवश्यकता पड़ जाय। हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाय कि इससे भी सख्त कानून की आवश्यकता पड़ जाय। तो उस परिस्थिति के लिये यह चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सरकार ने पेश की है उसके अनुसार तो अधिकांश चोर और डकैतों के विरुद्ध यह कानून काम में लाया गया है, जिनके लिये कि पुलिस के पास काफी ताकत है। आपको पुलिस विभाग के अधिकारियों से इसके लिये पूछना चाहिये कि वे क्यों नहीं इन लोगों पर मुकदमा चला सकते। क्या जो लोग डकैतों को अपने घर में रखते हैं उनके लिये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की ज़रूरत है? नका प्रबन्ध तो पुलिस साधारण कानून के अन्तर्गत ही कर सकती है। मैं समझता हूं कि अब इस कानून की आवश्यकता नहीं है और वह समय चला गया जब कि इसकी ज़रूरत देश को थी। इसको पांच बरस हो गये हैं। अब इसको फिर तीन बरस के लिये जारी करने की बात कही जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आती।

श्री वी० जी० देशपांडे : हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखकर मेरी समझ में बड़ा अन्याय किया है। जिस पद पर वह आये हैं उसके प्रति अन्याय किया है, और जिस संविधान की हम शपथ लेकर आये हैं उसके साथ भी अन्याय किया है। मैं ने देखा है कि जब यहां के भूतपूर्व गृहमंत्री और भारत के लौह

[श्री वी० जी० देशपांडे]

पुरुष, सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रतिबन्धक स्थानबद्धता विधेयक सदन के सम्मुख लाये थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे ो दिन तक नींद नहीं आयी । उन्होंने यह भी कहा था कि वह इमरजेंसी की वजह से उसको ला थे। लेकिन हमारे आज के गृह मंत्री कहते हैं कि यह इमरजेंसी मेजर नहीं है बल्कि यह हमेशा के लिये रहने वाला विधान है। यदि यह हमेशा के लिये रहने वाला विधान है तो हम यह पूछना चाहते हैं कि आप इसको एक साल के लिये, फिर दो साल के लिये और फिर तीन साल के लिये, इस तरह से अरिथमैटिकल प्रोग्रेशन में क्यों बढ़ाना चाहते हैं । जिस प्रकार से आप क्रिमिनल प्रोसीज्योर अमेंडमेंट बिल लाये हैं उसी प्रकार से इस प्रोसीज्योर के बिल को भी ले आइये, जहां कि न दलील होगी, न अपील होगी और न वकील होगा।

यह कहा गया कि हमारे संविधान के तीसरे प्रकरण में जिस में कि मूल अधिकारों का ज़िक्र किया गया है उसी में प्रतिबन्धक स्थानबद्धता कानून का भी ज़िक्र है । मेरे एक मित्र ने कहा कि यह संविधान में एक कलंक है। कहा गया कि ऐसा कहना संविधान की निन्दा करना है । लेकिन ऐसा नहीं है ।

एको हि दोषो गुण सन्निपाते ।
निमज्जति किरणेष्वंकः ।।

जैसे कि जब कोई यह कहता है कि चन्द्रमा में जो श्यामता है इससे उसकी शोभा बढ़ती है तो यह निन्दा नहीं है । परन्तु मैं कलंक न कहते हुये भी यह कहूंगा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाय । संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाय तो आप व्यक्ति के अधिकारों का संकोच कर सकते हैं । इसका यह अर्थ है कि आपको इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिये । यह अधिकार इसलिये नहीं दिया गया है कि चाहे विशेष परिस्थिति हो या न हो आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं । दुनिया में अगर सब से शक्तिपूर्ण पार्लियामेंट कहीं की है तो वह इंगलैंड की है । जब हम कालेज में पढ़ते थे तो उस पार्लियामेंट की सावरिनिटी के बारे में यह कहा जाता था कि सिवाय आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के इंगलैंड की पार्लियामेंट और सब कुछ कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो डाक्टर लोग वैसा भी कर देते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : तो इस प्रकार की सर्वप्रभुत्वसम्पन्न इंगलैंड की पार्लियामेंट ने भी इस प्रकार का विधान केवल महायुद्ध के समय चलाया था । लेकिन यहां पर आप उसका उपयोग करते हैं चाहे कोई विशेष परिस्थिति हो या न हो । जब सरदार पटेल यहां पर इस प्रकार के विधेयक को लाये थे उस समय भी कोई विशेष परिस्थिति थी यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । परन्तु कम से कम सरदार पटेल यह जानते थे कि इस प्रकार का कानून लाना बुरा है । जब वह इस क़ानून को लाये थे तो उनका दिल उनको खा रहा था । उन के दिल में चोर था । लेकिन अब गृह मंत्री का कांशेन्स इतना ब्लण्ट हो गया है कि वह कहते हैं कि विशेष परिस्थिति की कोई ज़रूरत नहीं है । हमको यह अधिकार क़ानून ने दिया है । लेकिन मैं कहता हूं कि आपको संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका उपयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए ।

इसके आगे आपने एक बड़ी विचित्र दलील दी है । लोग कहते हैं कि कोई भयानक परिस्थिति हो तो इस प्रकार का क़ानून लाना चाहिये । लेकिन वह कहते हैं कि परि-

स्थिति बहुत अच्छी है, देश में बड़ी शान्ति है, इसलिये यह विधेयक रहना चाहिये, क्योंकि इसी के कारण यह अच्छी स्थिति है। यह एक अच्छा प्रतिबन्ध सिद्ध हुआ। तो मतलब यह है कि इस क़ानून को हर हालत में रखा जाना चाहिये। अगर परिस्थिति भयानक है तो इसकी आवश्यकता है उसका सामना करने के लिये, अगर देश में शान्ति है तो इसकी आवश्यकता है उसे कायम रखने के लिये। अभी मेरे एक कांग्रेस के मित्र ने जो भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि वह उससे कुछ सीखेंगे। अब उन के दल वाले भी उनके विरुद्ध जा रहे हैं। हम तो यह देख रहे हैं कि भयानक परिस्थिति को ठीक करने के लिये यह क़ानून काम में नहीं आता है परन्तु यह विरोधी दल वालों के विरुद्ध काम में आता है और ऐसी जगह काम में आता है जहां न आना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिये मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक जगह लड़के एक जलूस निकालते हैं, हाई कोर्ट को जलाते हैं, लेकिन उनको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। मंत्री अपने कमरे में बैठे रहते हैं। बाद में जब हाईकोर्ट जला दिया जाता है तो पुलिस बन्दूकें लेकर निकलती है और गोली चलाती है जिस में १०–१२ निरपराध लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार की घटना को यह क़ानून किस प्रकार से बचा सकता है यह तो मेरी समझ में आता नहीं है। भयानक परिस्थिति में इसका उपयोग होता नहीं है। अच्छी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः एक ही कनक्लूज़न इससे निकलता है कि यह विरोधी दलों के दमन के लिये काम में लाया जाता है। गृहमंत्री के प्रतिवाद करने पर भी मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि यह विधान देश के राजनीतिक दलों को दबाने के लिये बनाया जा रहा है। कल हमारे गृहमंत्री ने कहा कि एक भी ऐसा उदाहरण दिया जाय कि जिसमें इसका ऐसा उपयोग हुआ हो। आप 'कोई उदाहरण' कहते हैं मैं कई बता सकता हूं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मैं इस समय केवल एक ही उदाहरण दूंगा। मध्य भारत में जुलाई, १९५३ में होने वाले निर्वाचन के सिलसिले में मध्य भारत की हिन्दू सभा के प्रधान पंडित बृजेश जी ने मध्य भारत के दो दफा के हारे हुये प्रधान मंत्री के विरुद्ध भाषण दिये। रिज़ल्ट निकलने पर मालूम हुआ कि दोनों जगह पर कांग्रेस की हार हुई। इसके उपरान्त श्री बृजेश जी को इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उनका यही अपराध था कि उन्होंने भाषण दिये थे। आप समझ सकते हैं कि मंत्रियों का क्रोध कैसा होता है। छः महीने तक उनकी डिटेन किया गया। उसके पश्चात् जब हाईकोर्ट के सामने हैबियस कार्पस की याचिका पेश करने के लिये हमारे मित्र निर्मल चन्द्र जी चटर्जी वहां गये तो सरकार ने यह समझ कर कि हाईकोर्ट उनको छोड़ देगी पहले ही से उनको छोड़ दिया। और एक पत्रक निकाल दिया कि उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि हम आगे ऐसे भाषण नहीं देंगे, इसलिये उनको छोड़ दिया गया है। इस पर श्री बृजेश जी ने वक्तव्य दिया कि मैंने जो भाषण दिये हैं मैं उनको फिर दूंगा, मैंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। तो मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार पोलीटिकल विरोधियों को दबाने के लिये इस विधेयक का दुरुपयोग किया जाता है। हम ये बातें अपने गृहमंत्री के आगे रख रहे हैं। इस विधेयक के विरुद्ध फैसले हाई कोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने दिये हैं। हमारे गृहमंत्री ने एक बड़े वकील होने के कारण यहां पर जो इनफारमेशन दी है उससे कोई खास इनफारमेशन नहीं मिलती

[श्री वी० जी० देशपांडे]

है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनको देख कर यह मालूम होता है कि यह एक गिनती की किताब है। परन्तु यह पढ़ने के पश्चात् कई कन्वीनियंट बातें आपने छोड़ दी हैं जैसे यह बतलाया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति जिन के निरोध के आदेशों के मामलों की मंत्रणा बोर्ड ने पुष्टि की थी.....मंत्रणा बोर्डों ने जिन व्यक्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया उनकी संख्या .....६५।

फिर आगे उसमें ऐसा दिया हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या.....११

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या....३।

हम देखने लगे कि वहां हाईकोर्टस में कितनी ऐप्लीकेशंस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के खिलाफ आई और हाईकोर्टस ने कितनों का डिटेंशन अपहोल्ड किया, इसके भी फीगर उसमें हैं लेकिन चूंकि उससे उनको बल नहीं मिलता इसलिये उस फीगर को नहीं दिया गया। लेकिन मैं जानता हूं और मैं ने यहां एक दफा सवाल भी पूछा था कि दिल्ली के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन ऐक्ट के सिलसिले में जितनी हैबस कार्पस पेटिशंस आई थीं उनमें से कितने छूट गये और कितनों का प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के मातहत डिटेंशन अपहोल्ड किया गया और यहां जवाब में बतलाया गया कि अपहोल्ड होने वाले केस तो एक आध ही होंगे और हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने ऐसे केसेज़ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर निर्णय करते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि व्यक्तियों के स्वातन्त्र्य पर जब इस कार का आघात होता है तब न्यायालय को यह देखना होता है कि डिटेंशन की ग्राउण्ड्स जो दी गयी हैं वह ठीक हैं या नहीं, वेग तो नहीं हैं। मुझे स्वयं अपना केस स्मरण है कि जब मुझे एक दफा जालन्धर में गिरफ्तार करने के पश्चात् दिल्ली में लाया गया और यह मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि डाक्टर काटजू का जो यह तथाकथित व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करने वाला यह विधान है। उस विधान के अन्तर्गत पार्लियामेंट का सदस्य होने के पश्चात् मुझे भी तीन दफा इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में जेल में जाना पड़ा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से आज तक मुझे ६ मर्तबा स प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में जेल में जाना पड़ा है और मेरे केस में न्यायालय ने सौलीसिटर जनरल को कहा है कि आपके सरकारी अफसर लोग इस प्रकार की वेग ग्राउण्ड्स लिखते हैं जो कि काफी नहीं हैं। यह चीज़ गवर्नमेंट के नोटिस में लायी गयी है लेकिन इसके पश्चात् भी हम देखते हैं कि बड़ी लाइट्ली लोगों की लिबर्टी के साथ आप खेलते हो। श्री राजगोपालाचार्य ने भी कहा था कि अगर इस प्रकार की बेकायदगी कोई अफसर करता पाया जायगा तो वेरी सीरियस नोटिस विल बी टेकेन आफ हिम। और उसका ऐसा कार्य स्टेट और राज्य के खिलाफ़ उसने अपराध किया है, ऐसा समझा जायगा, लेकिन इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के चार वर्ष के पूरे इतिहास में क भी अधिकारी को कहीं इसके लिये सज़ा दी गयी हो, यह हमारे देखने में नहीं आया। इस कार की बातें जब प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में चलती हैं तब कम्युनिस्ट पार्टी का भी बड़ा नाम लिया जाता है और यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यह किया, वह किया और मार्क्स का नाम लिया जाता है, मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा प्रेमी नहीं हूं, बल्कि विरोधक हूं, मेरा उनके साथ विरोध है लेकिन कांग्रेस पार्टी समय असमय उनको गाली दे, ऐसी

कोई बात मार्क्स में है, ऐसा मैं समझता नहीं। मार्क्स के बहुत से सिद्धान्त काफी अच्छे हैं और कांग्रेस वाले तो उनको बहुत अच्छा मानते हैं और उन सिद्धान्तों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मैं कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी में उतना ही फ़र्क समझता हूं जितना फर्क एक कैटरपिलर और बटरफ्लाई में होता है, जितना फर्क इन दोनों में होता है उतना ही फर्क मैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में समझता हूं। उनकी ही अन्तर्राष्ट्रीय और आर्थिक नीति के कारण कम्युनिस्ट पार्टी को रोज़ बल मिल रहा है। हमारे शासक-गण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से रोज आये दिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्तुति सी करते दिखते हैं, केवल यह जो यहां पन्द्रह बीस आदमी बैठे हुये हैं वे खराब हैं, बाकी जितना तत्वज्ञान है वह उनका अच्छा है और कम्युनिज्म के सिद्धान्तों को आप अच्छा मानते हो और कहते हो कि कम्युनिज्म अच्छा है लेकिन यहां हम देखते हैं कि आप उनका घर में विरोध करते हो तो हमारी समझ में तो यह आता है कि यह दल की नीति आपकी चल रही है। इस कानून को जारी रखने के लिये नाम तो देंगे और बग़ावत का लिया जाता है लेकिन इस कानून का सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने में हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अन्दर या स्टेट को उखाड़ने वाले डाक्टर श्यामप्रसाद मुकर्जी समझे गये, स्टेट का नाश करने वाले श्री एन० सी० चटर्जी और हमारे श्री नन्द लाल शर्मा समझे गये और ये और इसी प्रकार के लोग इस प्रतिबन्धक स्थानबद्धता विधेयक के अन्तर्गत पकड़े गये, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के भाई को इस ऐक्ट के मातहत पकड़ना चाहिये यह मेरा कहना नहीं है, यह तो कहने का एक ढंग है। मैं तो समझता हूं कि यह शस्त्र उन्होंने अपने हाथ में इस आशय से ले रक्खा है कि जो कोई उनके खिलाफ होगा, जो कोई राजनीतिक दृष्टि से उनका विरोध करेगा, उनका विरोध करने के लिये और दबाने के लिये इस शस्त्र का उपयोग किया जायगा।

अन्त में मैं एक ही विषय पर और बोलना चाहता हूं और वह जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में है। जम्मू और काश्मीर हिन्दुस्तान का एक अविभाज्य भाग है। यह प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट आपने पहले थोड़े हिस्सों के लिये लगाया था।

जम्मू और काश्मीर के डिटेंशन ऐक्ट के अन्दर हमारे सर्वोच्च न्यायालय को उस पर अधिकार नहीं था और उसके कारण हमने देखा कि हिन्दुस्तान का एक महान् सुपुत्र डाक्टर श्यामप्रसाद मुकर्जी जम्मू और काश्मीर के तिवन्धक स्थानबद्धता विधेयक के अन्दर वहां कैद किये गये और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गयी और इस चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते हैं परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जिनके नाम की मेरे मित्र श्री अशोक मेहता दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे कि वहां की जनता उनके लिये अपने हृदय में एक बड़ा आदर का भाव रखती है वे लोग आज स्थानबद्ध हैं, मेरी उनके साथ इस सम्बन्ध में बिल्कुल सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो काश्मीर और हिन्दुस्तान एक न हो, सके लिये आन्दोलन कर रहे थे। जम्मू और काश्मीर को हम सब हिन्दुस्तान का एक भाग बनाना चाहते हैं और ऐसी भावना रखते हुये उसे इस विधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना ठीक न होगा।

आखिर में मुझे एक ही बात कहनी है और वह यह है कि इस विधान के सम्बन्ध में जो फीगर्स हैं वह भी बराबर हैं या नहीं, इसके बारे में मुझे शक है क्योंकि मध्यभारत में जितने स्थानबद्ध लोगों की मेरे पास रिपोर्ट है उतनी संख्या इसमें नहीं मिल रही है और इन सब को भाषणों के लिये कैद किया है और

[श्री वी० जी० देशपांडे]

उनके डिटेंशन के सम्बन्ध में इन्फारमेशन देते वक्त ये बातें बतलायी गयी हैं :—"इस प्रकार की कार्यवाहियों में भाग लेना अथवा हिंसा का प्रचार करना ।"

उसमें उन्होंने यह कहा कि न भाषणों में उन्होंने वायलेंस का प्रचार किया था । आप इस कानून का इस तौर पर उपयोग कर रहे हैं और मेरा तो कहना है कि इतनी थोड़ी आवश्यकता जब आपको इसके उपयोग की पड़ी है और देश के अन्दर जो उदाहरण आपने दिये हैं कि घर जलाये गये, दुकानें जलायी गयीं और बाकी बातें हुईं, उन बातों को रोकने के लिये प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट का उपयोग नहीं हुआ तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसको रखने की क्या आवश्यकता है ? जैसे कि आपने उदारहण दिया कि हाईकोर्ट जलाया गया, मैं पूछूं कि जलाने के पहले कितने लोगों को आपने इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में कैद करके रक्खा, उसका उपयोग उन बातों में नहीं हो सका । आपकी सरकार में न न्याय है और न अधिकार क्षमता है, आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है और इस कारण यह प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट इस देश के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर एक महान् कलंक है कि यह शस्त्र सरकार अपने हाथ में केवल इसलिये रखना चाहती है कि जो उसके राजनीतिज्ञ विरोधी हैं उनको कुचलने के लिये, दबाने के लिये और देश में एक डिक्टेटरशिप पैदा हो इसके लिये इस ऐक्ट का उपयोग हो रहा है और इस कारण से मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : यदि निवारक निरोध अधिनियम के बारे में मेरी राये पूछी जाये तो मैं निर्भीकता से कहूंगा कि "मैं इसे पसन्द नहीं करता ।" परन्तु मैं इस की अनिवार्यता को भी अनुभव करता हूं, क्योंकि अभी देश में प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है । इस प्रजातन्त्र को उपद्रवकारियों से बचाने के लिये इस उपाय को अपनाना पड़ेगा । यदि देश में आदर्श परिस्थितियां होतीं, तो मैं ऐसे उपक्रम का घोर विरोध करता ।

जब मैं इस देश में ऐसे लोगों को देखता हूं जो न केवल विधि और शान्ति को ही नष्ट करना चाहते हैं अपितु विध्वंसकारी उपायों द्वारा राज्य का स्थायित्व भी नष्ट करना चाहते हैं, तब मैं सरकार के हाथ में इस प्रकार का शस्त्र देना अनिवार्य समझता हूं । इस अधिनियम का कुछ नर्मी के साथ प्रयोग किया जा रहा है परन्तु मैं सरकार को भी परामर्श देना चाहता हूं कि इसका प्रयोग करते समय उसे बड़ी सतर्कता और सावधानी से काम लेना चाहिये तथा पुनर्विचार एवं पुनरीक्षण के द्वारा यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कहीं निर्दोष व्यक्ति को तो बन्दी नहीं बनाया गया है ।

बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जो व्यक्ति प्रजातन्त्र के शत्रु हैं वे ही आज स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्त्र के नाम पर इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, और इसे प्रजातन्त्र विरोधी एवं स्वतन्त्रतानाशक बता कर खेद प्रकट कर रहे हैं । जब तक देश में एक भी देशद्रोही विध्वंसक कृत्यों में संलग्न है, वह सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता । परन्तु गृह कार्य मंत्री यह कहते हैं कि यदि ये लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते जायेंगे तो इनको बेरिया की तरह प्राणों से वंचित तो नहीं किया जायगा, जो एक ऐतिहासिक सत्य है । . . . .जब तक अन्य देशों से स्फूर्ति लेकर विध्वंसक कार्यवाही करने वाले व्यक्ति वर्तमान रहेंगे, प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा के हेतु, उन्हें अवश्य नजरबन्द किया जायेगा ।

निस्सन्देह यह उपाय एक सर्जन के चाकू के समान है जो काटता है, परन्तु आराम पहुंचाने के लिये। परन्तु मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि इन शक्तियों का प्रयोग बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। मुझे इस में कोई शंका नहीं कि सरकार केवल वहीं इस का प्रयोग करती है, जहां इसे करना पड़ता है। तो भी सरकार को यह निश्चय अवश्य कर लेना चहिये कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इस के द्वारा हानि न पहुंचने पाये। इस प्रकार के मामले अत्यधिक दुखदायी होते हैं। हमें यह देखना चाहिये कि इस अधिनियम के अधीन, यथासम्भव कोई अन्याय न हो।

इन सुझावों के साथ मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं ने विरोधी पक्ष के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने इस विधेयक के मूल की ओर निर्देश किया है ; किन्तु मुझे मालूम होता है कि कोई भी इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा है। यह भी कहा गया है कि आज देश में वे परिस्थितियां नहीं हैं, जो कुछ समय पूर्व थीं तथा इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

किन्तु यदि हम उस पृष्ठ भूमि पर विचार करें, तथा वास्तविकता का सामना करें तो हम देखेंगे कि हमें इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारा देश ऐसे महान् विप्लव से गुज़रा है जैसा कि विश्व ने कम ही देखा हो। जब कभी विप्लव होता है तो वह महान् शक्तियों को मुक्त करता है। इसकी उपमा उस उमड़ती नदी से दी जा सकती है जो नियंत्रित होने पर जीवन तथा विद्युत् प्रदान करती है किन्तु वही नदी अनियंत्रित होने की अवस्था में विनाश करती है।

इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जो शक्ति मुक्त हुई है, वह इतनी अधिक है कि यदि उसका देश के कल्याण में उपयोग नहीं किया जायेगा तो देश की हानि होगी।

इस प्रकार की आलोचना की गई है कि विधेयक की अवधि १९५७ तक इसलिये बढ़ाई गई है कि सत्ताधारी पक्ष को अगले सामान्य चुनावों के पश्चात् पुनः अधिकार प्राप्त हो सकें, किन्तु हम साम्यवादी दल के प्रधान की यह चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम आंध्र के चुनाव इसी आधार पर लड़ेंगे। मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर यह कहने को तत्पर हूं कि हम सारे भारत में सी आधार पर चुनाव लड़ने को प्रस्तुत हैं।

विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है कि यह प्रजातन्त्र पर एक विपत्ति है। ब्लिट्ज़ पत्र जो कांग्रेस समर्थक पत्र नहीं कहा जा सकता तथा जिसे साम्यवादी समर्थक ही कहा जा सकता है, ने साम्यवादियों के रवैये तथा उनकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना की है, जिस पर साम्यवादियों को विचार करना चाहिये।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि सरकार को दूसरे तरीक़ों से इस समस्या का समाधान करना चाहिये किन्तु वे स्वयं कोई विकल्प स्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने उन स्थलों का ज़िक्र अवश्य किया है जहां हम लोग एकमत हैं किन्तु वे इससे कोई सिद्धान्त विकसित न कर सके हैं।

मैं अपने विरोधी मित्रों को यह बतला दूं कि उनके मार्ग-परिवर्तन का प्रयास असफल रहेगा क्योंकि इसके पीछे हमारे ५००० वर्षों का राष्ट्रीय जीवन है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार हमारे नन्हे प्रजातन्त्र की रक्षा होगी।

[श्री एन० एम० लिंगम]

सावधानी बर्तने का दूसरा कारण यह है कि यह महा-निर्माण का युग है । इस कारण हमें शांति तथा व्यवस्था चाहिये किन्तु यहां सब ओर अशांति है ।

मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता भी कम देशभक्त नहीं हैं, किन्तु उनके तरीक़ों से देश का हित नहीं होगा । इसके अलावा हम संक्रांति-युग से गुज़र रहे हैं हमें । कई आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं का सामना करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण किसी अन्य दिन जारी रख सकते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा कि सभा को ज्ञात है, ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर २६ नवम्बर, १९५४ को विचार स्थगित कर दिया गया था, जिससे कि सदस्य इस प्रतिवेदन पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकें किन्तु केवल सरदार अमर सिंह सहगल का एक संशोधन आया जो आज अनुपस्थित हैं, इसलिये हम इस स्ताव पर मत लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २५ नवम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सहत्रवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा ८ दिसम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किये गये ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी स हमें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

मैं इस बात की सिफारिश करता कि प्रस्ताव को पारित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रतिवेदन दो दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया था जिससे कि माननीय सदस्य संशोधन रख सकें किन्तु कोई संशोधन नहीं रखा गया ।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ८ दिसम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

नई धारा १०९ क का रखा जाना

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन कर ने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सेना (संशोधन) विधेयक

नई धारा १४२क का रखा जाना

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता कि सेना अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सेना अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करन की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब झूलन सिंह द्वारा १७ सितम्बर, १९५४ को प्रस्तुत वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेगी । अब श्री डाभी अपना २६ नवम्बर का भाषण पूरा करें ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : पिछले अवसर पर मैं ने कुछ तथ्य तथा आकड़े दिखाते हुये यह सिद्ध किया था कि वनस्पति, घी से ही बुरा नहीं अपितु मूंगफली तथा अन्य कच्चे तेलों से भी बुरा होता है तथा इस पर ये वनस्पति वाले २६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष लाभ कमा रहे हैं । मैं ने यह भी कहा था कि यदि सरकार वनस्पति का उत्पादन तथा विक्रय नहीं रोक सकती है तो कम से कम उसे जमाने से रोक दे तथा केवल विशुद्ध अवस्था में ही उसकी बिक्री स्वीकृत करे, अथवा सरकार इसका रंगना अनिवार्य कर दे ।

आज अपने भाषण को समाप्त करने के पूर्व मैं दो तीन बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं । हाल ही में मुझे अपने एक मित्र से ज्ञात हुआ है कि विदेशों से साबुन बनाने के लिये जिस चर्बी का आयात किया जाता है उसका वनस्पति में अपमिश्रण किया जा रहा है ।

२५ जुलाई, १९५३ के हरिजन में भी इस सम्बन्ध का एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार एक वनस्पति उत्पादक ने अपने विज्ञापन में लिखा था 'घी का उपयोग मत करिये, केवल वनस्पति का उपयोग करिये क्योंकि घी में अस्वास्थ्यकर कीटाणु रहते हैं तथा वनस्पति हाथों से छुआ नहीं जाता है ।'

अन्त में मैं सरकार का ध्यान ३१ मई, १९५१ को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित एक संकल्प की ओर दिलाऊंगा, जिसमें सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह वनस्पति के उत्पादन तथा विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये क्योंकि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य व नैतिकता का पतन होता है । यह विशुद्ध घी को अनुपलब्ध करता है तथा देश के पशुधन को हानि करता है ।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक का समर्थन करे तथा वनस्पति के उत्पादन व विक्रय का प्रतिषेध करे, जिससे करोड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा धन की हानि न हो । यदि वह इतना न कर सके तो कम-से-कम इसका रंगना अनिवार्य कर दे तथा सरकार वनस्पति वालों से स्वयं उपर्युक्त रंग को ढूंढने को कहे और यदि वे एक निश्चित अवधि तक रंग न ढूंढ सकें तो उनके कारखाने बन्द कर दे ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : सभा के लिये यह विषय नया नहीं है । इस प्रकार का एक विधेयक पंडित ठाकुर दास भार्गव ने १९४९ में पुरःस्थापित किया था तथा उस समय भी सरकार का रवैया इसके पक्ष में न था । सरकार ने इस विधेयक का विरोध किया था । मुझे दुःख है कि इस समय

[डा० पी० एस० देशमुख]

भी मैं वही कर रहा हूं। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार ने एक घी अपमिश्रण समिति स्थापित की थी। उस समिति ने तीन सिफारिशें कीं। पहली सिफारिश यह थी कि वनस्पति कारखानों के लिये तिल का तेल मिलाना अनिवार्य हो, जिससे कि घी में वनस्पति के अपमिश्रण का पता लगाने के लिये बादुई प्रणाली की जांच की जा सके। घी अपमिश्रण समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा पूरी तरह स्वीकृत हो गई। दूसरी सिफारिश यह थी कि कैरोटीन (गाजर के) तेलों के सार का उपयोग कर के नारंगी का सा रंग दिया जाय। इस सिफारिश पर समिति के सदस्यों का मतभेद हो गया। सरकार द्वारा इस सिफारिश के स्वीकार न किये जाने के ये कारण थे : पहला यह कि रंग अस्थायी था, वह न केवल गर्म करने पर ही प्रत्युत कुछ सप्ताह अथवा महीनों रखने से भी उड़ जाता। दूसरा यह तेल भारत में उपलब्ध नहीं था तथा हमें बहुत अधिक परिमाण में इसका आयात करना पड़ता जिसका मूल्य प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये के लगभग होता, इससे यह व्यावहारिक हल नहीं समझा गया। तीसरी सिफारिश यह थी कि वनस्पति के पौष्टिक तत्व बढ़ाने के लिये इसमें बनावटी विटामिन ए मिला दिया जाय। इस सिफारिश को भी स्वीकार और कार्यान्वित किया गया।

मैं समझता हूं कि अब सभी माननीय सदस्यों की समझ में आ गया होगा कि सभी वनस्पति कारखानों को बन्द कर देने और वनस्पति पर बिल्कुल प्रतिबन्ध लगा देने की मांग करना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। वास्तव में, यदि हम विधेयक के समर्थकों का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि उनमें से अधिकांश ने सचमुच वनस्पति को रंगने की मांग की है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि सरकार एक ऐसा रंग निकाले जिसके सहारे मिलावट की पकड़ सम्भव हो, तो उनमें से ९९ प्रतिशत लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं ने कई प्रयत्न किये। गत मास में वाद विवाद के बीच श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर ने बताया था कि कोई रंग तय नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि वह ब्रिटेन गयी थीं तो वहां उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वहां के लोगों ने किसी ऐसे रंग की खोज की है जिससे अच्छे मक्खन और बनावटी मक्खन में भेद किया जा सके, पर उन्हें पता लगा कि वहां पर किसी ऐसे रंग की खोज नहीं की गयी है। वास्तव में, बनावटी मक्खन का रंग असली मक्खन का सा ही होता है। हम उसे किसी ऐसे रंग में रंगना चाहते हैं जिससे वह घी और असली मक्खन से अलग मालूम पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या घी में केवल वनस्पति की ही मिलावट की जाती है? क्या अन्य प्रकार की चर्बी घी में नहीं मिलाई जा सकती ?

डा० पी० एस० देशमुख : और भी बहुत सी चर्बियां मिलाई जाती हैं अतः केवल वनस्पति पर रोक लगाने से ही मिलावट बन्द नहीं हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य चर्बियां जो घी में मिलाई जाती हैं, क्या वे वनस्पति से अच्छी हैं या खराब ?

डा० पी० एस० देशमुख : वनस्पति वाले कहते हैं कि वनस्पति मिलावट की अन्य वस्तुओं से अधिक अच्छा है।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : मुझे स्मरण है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने मूंगफली के तेल को रंगने के लिये एक रंग निकाला था।

डा० पी० एस० देशमुख: कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसी प्रकार का दोषारोपण किया है। किन्तु मैं यह बता दूं कि इस प्रकार का रंग ढूंढा जा चुका है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक रंगाई का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मंत्रालय स्वयं बहुत उत्सुक है। मिलावट में कमी करने के लिये इस सम्बन्ध में कोई भी सदस्य व्यावहारिक और साध्य सुझाव दे सकते हैं पर ऐसा सुझाव नहीं जैसा घी अपमिश्रण समिति ने दिया था। यदि कोई सदस्य हमारा ध्यान रंगाई के किसी साध्य सुझाव की ओर आकर्षित करते हैं तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): यह बात सत्य नहीं है। मैं भी उस समिति का एक सदस्य था। बम्बई और पंजाब सरकार तथा वैज्ञानिकों ने समिति के पास एक रंग भेजा था पर समिति ने ग़लत आधारों पर उसे अस्वीकार कर दिया। अब भी एक सप्ताह में रंग ढूंढा जा सकता है यदि यह काम वनस्पति निर्माताओं पर छोड़ दिया जाय।

डा० पी० एस० देशमुख: कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी भी विशेष रंग का सुझाव दे सकती है। मेरे माननीय मित्र ने जो उपाचार बताया है कि वनस्पति उद्योग को इस काम का भार सौंप दिया जाय और उस पर एक ऐसा रंग ढूं ने के लिये ज़ोर डाला जाय जिससे मिलावट का साफ पता लगाना सम्भव हो, मैं इसे ठीक हल नहीं समझता क्योंकि मैं सभा को एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार किसी खास रंग के लिये ही ज़ोर नहीं डालना चाहती। सरकार का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण नहीं है कि वह किसी समुचित सुझाव को अस्वीकार कर दे। मैं सभा को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी रंग, जिसका प्रयोग साध्य होगा, सरकार उसे स्वीकार कर लेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उन्होंने एक विशेष सुझाव भेजा था पर उसे ग़लत आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया था।

डा० पी० एस० देशमुख: वह रंग ऐसा होना चाहिये जो गरम करने के बाद भी वैसा ही रहे और उड़ न जाय। यदि वह इस कसौटी पर खरा उतरता है तो हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं।

कुछ सदस्यों ने तो यहां तक भी कहा कि वनस्पति उद्योग के पास इतना धन है कि वह भारत के सभी वैज्ञानिकों को घूस दे सकता है। यद्यपि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मिलावट होती है और मिलावट तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में अपने देश की जनता के आचार के लिये हमें अपमानित भी होना पड़ता है पर मैं यह नहीं समझता कि हमारे देश के वनस्पति निर्माताओं के पास इतना धन है कि वह देश के सभी वैज्ञानिकों को घूस दें और न हमारे देश के सभी वैज्ञानिक इतने भ्रष्ट हैं कि वह उनके प्रभाव में आ जायें।

जहां तक रंगाई का प्रश्न है, सरकार इस बात के लिये उत्सुक है। स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई भी इस सम्बन्ध में उत्सुक थे। उस सीमा तक पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कहा है वह सत्य है पर उनकी इतनी चिन्ता के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने कोई रंग ढूंढ लिया है! जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं किसी के भी सुझाव को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: वह सुझाव बम्बई और पंजाब सरकार के वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गये थे पर उनको इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उस रंग के प्रयोग से कैंसर (नासूर) रोग उत्पन्न होने का डर था। इस पर कोई प्रयोग नहीं किया गया।

डा० पी० एस० देशमुख: यदि मेरे मित्र अब भी किसी ऐसे वैज्ञानिक का नाम बतायें जिसके शब्दों को विश्वसनीय माना जा सके और जिसके शब्दों को प्रमाणों की कसौटी पर कसा जा सके, तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं समझता हूं कि इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, वैसे आवेश में, वे चाहे जिस बात पर विश्वास कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री केवल यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने भरसक प्रयत्न किया पर रंग ढूंढने में सफल नहीं हुये।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : **तब उन्हें अपनी असफलता स्वीकार करनी चाहिये।**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री सभी माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये सुझावों का उत्तर देने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी कोई रंग इस कार्य के लिये नहीं ढूंढ सके। उन्होंने सदस्यों से कहा है कि वह किसी ऐसे वैज्ञानिक के मत के आधार पर सूचना भेजें जिस पर उनका विश्वास हो ताकि उसके शब्दों की परीक्षा की जा सके।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। तारकोल की तरह के कुछ रंग, जैसे सूडान एम० पी० और नारंगी एस० एस० हैं। ये मादक प्रवृत्ति के हैं और किसी खाद्य वस्तु में मिलाये जाने योग्य नहीं हैं। जहां तक रतन-जोत, क्लोरोफिल, करम्युमिन और मंजीठ का सम्बन्ध है ये अस्थायी हैं और गर्म करने के बाद उड़ जाते हैं।

मेरे पास केवल इतनी सूचना है। मैं नहीं कहता कि यह अमुक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि वह हमें रंग का नाम बताये। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य सोचता है कि किसी खास चीज़ की परीक्षा भली भांति नहीं की गयी है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उसकी परीक्षा करने के लिये तैयार हूं यदि उसके पीछे कोई आधार हो। शेष सूचना के दिये जाने और बम्बई तथा पंजाब सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों पर विचार किया गया है, और उनमें से एक भी सन्तोषप्रद सिद्ध नहीं हुआ है।

अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार के किसी उपाय के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे बहुत से मित्रों ने ऐसे रंग से रंगाई की बात को स्वीकार किया जिसके सम्बन्ध में हम असहमत हैं पर हमें इस चीज़ की व्यावहारिक अवस्था पर ध्यान रखना चाहिये।

कुछ सदस्यों की कुछ ग़लत धारणायें हैं। एक ग़लत धारणा जमाये हुये तेल के बारे में है। उनका कथन है कि जमाये हुये तेल को तेल के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जाय क्योंकि जमा देने से उसके खाद्य तत्व में कोई वृद्धि नहीं होती। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यह वनस्पति निर्माता तेल को जमा कर जनता का काफी पैसा खींच लेते हैं पर जमा देने से कोई लाभ नहीं होता ; पर वास्तव में, बात इसके विरुद्ध है। यदि हम इसके मूल्य पर विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसी सदस्य ने कहा है कि वनस्पति का दाम कच्चे तेल से दूना है, किन्तु यह सत्य नहीं है। उदाहरणार्थ, साफ़ किये गये मूंगफली के तेल का ३५ पौण्ड का टीन इस समय दिल्ली में २० रुपये ८ आने का बिक रहा है जब कि सर्वश्री गणेश आटा मिल द्वारा निर्मित वनस्पति नं० १ का ३६ पौण्ड का टीन २३ रुपये १२ आने और रथ मार्का वनस्पति २२ रुपये १२ आने का बिक रहा है। वनस्पति टीन के मूल्य में २ रुपये ४ आने उत्पादन शुल्क भी

सम्मिलित है । आप को पता चल जायेगा कि यह कहना कि वनस्पति का मूल्य सामान्य तेल के मूल्य से दूना है, अतिशयोक्ति है ।

श्री डाभी: मैं ने केवल २५ प्रतिशत बताया था ।

डा० पी० एस० देशमुख: वह भी सही नहीं है । यदि हम कारखाने के औसत मूल्य पर ध्यान दें, तो १९५३–५४ में बम्बई में वनस्पति का मूल्य २,२२७ रुपये प्रति टन था, जब कि मूंगफली के कच्चे तेल का मूल्य, जो कि वनस्पति के निर्माण में ९० प्रतिशत से अधिक प्रयोग किया जाता है, १,७३३ रुपये प्रति टन था । दोनों में ४९४ रुपये का अन्तर है । यदि हम इसे ५०० रुपये प्रति टन भी समझें तो इसमें १४० रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क और १०० पये प्रति टन टीनों का मूल्य भी सम्मिलित है और शेष २५० रुपये में लाभ और निर्माण व्यय सम्मिलित हैं । बहुत से सदस्यों की यह ग़लत धारणा है कि वनस्पति कारखाने बहुत अधिक अनुचित लाभ उठा रहे हैं ।

एक और तर्क पेश किया गया है कि खान से निकले तथा अन्य तेलों का प्रयोग वनस्पति बनाने में किया जाता है । यह बिलकुल ग़लत है क्योंकि हम इस सम्बन्ध में सावधानी रखते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं । वनस्पति बनाने में केवल तीन तेलों का प्रयोग किया जाता है । हम वनस्पति निर्माताओं को केवल मूंगफली का तेल, तिल का तेल और बिनौले का तेल प्रयोग करने की अनुमति देते हैं । अतः मैं नहीं समझता कि इस बात में कुछ सत्यता है कि वनस्पति निर्माण में अन्य तेल भी प्रयोग में लाये जाते हैं ।

वनस्पति में भी कुछ मिलावट हो सकती है । यह तर्क भी पेश किया गया है। इसे रोकने के लिये हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि विक्रय छोटी छोटी मात्राओं में किया जाय ताकि निर्माताओं के लिये यह करना नितान्त असम्भव और कठिन हो जाय । सरकार को विश्वास है कि अधिक मिलावट नहीं की जा सकती । शेष सामान होटलों, रक्षा सेनाओं तथा बड़ी बड़ी स्थापनाओं आदि को बेच दिया जाता है जहां पर वे बड़ी मात्रा में खरीदते हैं । वह बड़ी मात्रा में खरीदने वाले हैं तो मुझे विश्वास है कि वह पूरी सावधानी रखते होंगे कि उन्हें मिलावट वाली चीज़ न मिले ।

यह भी कहा गया है कि लोग वनस्पति तथा अन्य प्रकार के तेलों को भैंस तथा अन्य जानवरों को इसलिये खिलाते हैं कि उन के दूध में चर्बी की मात्रा बढ़ जाये । मैं नहीं समझता कि यह सच है क्योंकि ऐसा करना लोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न होगा और इसलिये भी, कि बिनौला और मूंगफली की खली खिलाने से इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा परिणाम निकल सकता है । पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से मैं सहमत हूं कि घी उत्पादनकर्ताओं पर वनस्पति का प्रभाव पड़ता है और विशेषतः शुद्ध घी उत्पादन करने वालों पर । मुझे खेद है कि इसका उपचार वनस्पति के निर्माण को बन्द करना नहीं है । यह ग़रीबों के खाने की चीज़ है । यह कहना कि इसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बिल्कुल ग़लत है । हमारे वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने मानव जाति पर इस घी का प्रयोग किया है, बताया है कि इस का किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मेरा सुझाव यह है कि इस वनस्पति घी को विदेशी डाक्टरों एवं वैज्ञानिकों के पास जांच के लिये भेजना चाहिये ।

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा करना आवश्यक नहीं है । विदेशी इस का उपयोग एक लम्बे अर्से से कर रहे हैं । मार्जरीन (नक़ली मक्खन) वनस्पति तेल का ही उत्पाद है । ब्रिटेन निवासी इसका प्रयोग मुद्दत से कर रहे हैं । अमरीका में भी वनस्पति तेल का प्रयोग हो रहा है । वे तो ऐसे लोग हैं जो मिलावट को अथवा और किसी वस्तु को यदि उसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता हो तो, कभी भी बर्दाश्त नहीं करते । यदि बात ऐसी होती तो कभी का इस पर प्रतिबन्ध लग गया होता । जहां तक मुझे जानकारी मिली है--जो इस विधेयक के प्रस्तुत होने से सूर्व ही मुझे मिली है--उसमें बताया गया है कि इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वैज्ञानिकों ने भी अपने अनुभव के आधार पर ऐसा ही कहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह ठीक नहीं है । यहां तक कि घी अपमिश्रण समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बंगाली तथा उड़ीसा वाले, जो कम पौष्टिक खाना खाते हैं और उसके साथ-साथ वनस्पति के निरन्तर प्रयोग भी करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य का ऐसा विचार है तो निश्चय ही हमारा उनसे मतभेद है । वास्तव में दो मुख्य बातें कहीं गई थीं । एक तो यह थी कि वनस्पति निर्माता बहुत लाभ उठाते हैं और उपभोक्ताओं को कोई लाभ पहुंचाये बिना वे रुपया कमाते हैं । जैसा बताया भी गया है, विटामिन 'ए' को इसमें मिला कर उसका पौष्टिक महत्व बढ़ा दिया गया है । मिलावट के बारे में असानी से पता लगाने के बारे में हमने कुछ और भी कार्यवाही की है । मैं इस बात का भी प्रयत्न करूंगा कि यदि सम्भव हो सका तो इसमें रंग भी मिलाया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : रंग के बारे में क्या आप फिर से विचार करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । तिल का तेल मिलाने के कारण मिलावट का पता लगाना बहुत आसान हो गया है । इन्स्पैक्टरों तथा प्रयोगशालाओं की सहायता से बड़ी आसानी से मिलावट का पता लगाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तिल का तेल मिलाने से क्या होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : घी के निर्माण के समय यह मिलाया जाता है । इसके परिणामस्वरूप बादुइन प्रणाली द्वारा परीक्षण आसान है और इसकी जांच आसानी से हो जाती है । जांच की प्रणाली इतनी आसान है कि बिना किसी कठिनाई के यह पूरी की जा सकती है । सभी नगरपालिकाओं को इसकी सूचना दी गई है और उनसे कहा गया है कि वे इस बात का पता करें कि क्या इसमें कोई मिलावट है । सरकार के अधिकार में जो कुछ है वह उसने किया है, अतः यह सुझाव रखना कि इसे वैधानिक रूप से निषिद्ध करार दिया जाना चाहिये, बहुत ज्यादती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पंजाब तथा बम्बई सरकार ने रंग भेजे थे ; वैज्ञानिकों ने कहा था कि इन रंगों से नासूर उत्पन्न हो सकता है । किन्तु मानवजाति पर इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रंग के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं उस कि जांच करने के लिय तैयार हूं ।

श्री सारंगधर दास : क्या माननीय मंत्री ने इस बात की जांच की है कि

भारतवर्ष में वनस्पति के निर्माण की जो प्रणाली है वह अमरीका तथा यूरोप की प्रणाली की अपेक्षा विपरीत है और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए अलाभदायक है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं तो नहीं समझता कि हमने कोई ऐसी जांच की है । हमें तैयार घी मिलता है और उसी तैयार घी की हमने जांच की है । मैं नहीं समझता कि वनस्पति घी के उत्पादन की सभी क्रियाओं की जांच करना आवश्यक है जब तक कि तैयार होने वाली वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हज़ारी बाग--पूर्व) : मेरा एक संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि इससें विलम्ब होने की सम्भावना है अतः मैं इसे अनियमित करार देता हूं ।

अब मैं इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री झूलन सिंह (सारन उत्तर) : मैं केवल यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं था कि वनस्पति में रंग मिलाया जाय बल्कि मेरा अभिप्राय तो यह था कि इस पर पर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । किन्तु इस समय भाषण करने की आज्ञा मैं नहीं दे सकता ।

माननीय मंत्री का इसके बारे में क्या विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इसका विरोध करता हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री झूलन सिंह का वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक

(धारा १ और १६ आदि का संशोधन)

श्री यु० सी० पटनायक (घुमसूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८७८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को, डा० कैलाशनाथ काटजू, श्री बलवन्त नागेश दातार, श्री नरहरिविष्ण गाडगिल, श्रीमती उमा नेहरू, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री नेमीचन्द कास्लीवाल, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री कोथा रघुरामैया, श्री टेकचन्द, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, पंडित ठाकुर दास भार्गव, तत्र भवान महाराज श्री कर्णीसिंह जो बहादुर आफ बीकानेर, श्रीमती इलापाल चौधरी, श्री यू० आर० बोगावत, श्री एन केशवैयंगार, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री शंकर शांताराम मोरे, डा० राम सुभग सिंह, श्री एन० सोमना, श्री के० जी० वोडयार, सरदार हुक्म सिंह, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री सीतानाथ ब्रह्मो-चौधरी, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री भागवत झा आज़ाद, श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क, श्री राधा रमण, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री बसन्त कुमार दास, श्री जोकीम आल्वा, श्री एस० वी० राम स्वामी, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री नरदेव स्नातक, श्री डोडा तिम्मय्या, श्री दिगम्बर सिंह, श्री रामेश्वर साहू, चौधरी रघुवीर सिंह, श्री जगन्नाथ

[श्री यू० सी० पटनायक]

कोले, श्री पन्नालाल, श्री वाई गाडिलिंगन गौड़, श्री गिरिराज शरण सिंह, श्री एम० एल० द्विवेदी, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे आगामी सत्र के अन्तिम सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

विधेयक २७ नवम्बर, १९५३ को प्रस्तुत किया गया था, इस पर विचार करने के प्रस्ताव पर २७ मार्च तथा ९ अप्रैल, १९५४ को चर्चा हुई थी। इस वाद-विवाद में १३ सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम ब्रिटिश सरकार की परम्पराओं को आगे बढ़ाने वाला है और उन्होंने स्वीकार किया था कि सम्पूर्ण विधेयक पर शुरू से लेकर अन्त तक पुनर्विचार किया जायगा और इसमें संशोधन किया जायगा। राज्य सरकारों की राय भी वे इस सम्बन्ध में लेंगे। लोक-सभा सचिवालय में राज्य सरकारों के मत आये हैं जिनकी सात प्रतियां सभा-पटल पर रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल राइफल एसोसियेशन (राष्ट्रीय वन्दूक संस्था) ने भी अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सचिव ने बताया है कि वह जानकारी पुस्तकालय में रख दी गई है।

हो सकता है कि इस सम्बन्ध में जो मत आये हैं वे विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिये गये हों। उनमें से एक वर्ग अधिवक्तृ-संस्था, स्थानीय निकाय, तथा सरकारी और गैर-सरकारी संघटनों के मत वाला है। दूसरा वर्ग सरकारी पदाधिकारी, उच्च न्यायाधीश, मंत्री, मख्य मंत्री आदि का है। तीसरा वर्ग राज्य सरकारों के मत का है जो उच्च असैनिक पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाओं का बताने वाला है और इसी वर्ग से सरकार अधिक सम्बन्धित है।

संसद् के समक्ष जो मत रखे गये हैं उनमें से अधिकांश गैर-सरकारी क्षेत्रों के हैं जो इस विधेयक के पक्ष में हैं और उनकी राय है कि इस विधेयक के क्षेत्र से भी अधिक हमें कार्य करना चाहिये और इस पूर्ण अधिनियम में इस प्रकार संशोधन होना चाहिये ताकि इसकी कठोरता कुछ कम हो जाय। यही राय बहुत से पदाधिकारियों की है जो इस विधेयक के पक्ष में हैं और उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। कुछ पदाधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं उनकी राय है कि इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति किसी वैधानिक परिवर्तन से नहीं अपितु प्रशासनीय व्यवस्था, विभागीय आदेशों द्वारा धारा २७ के अधीन की जा सकती है।

बहुत से प्रमुख व्यक्तियों, पदाधिकारियों, न्यायिकों ने अपनी राय इसलिये नहीं दी है क्योंकि राज्य सरकारों के द्वारा उनसे उनकी राय मांगी गई थी। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधिपति अथवा न्यायाधीश की राय नहीं आई है जिससे प्रकट होता है कि न तो दिल्ली राज्य सरकार ने और न केन्द्रीय सरकार ने ही उनसे राय मांगी। यही कठिनाई नेशनल राइफल एसोसियेशन की भी थी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रायें अधिकृत रूप से अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा आई हैं वे काफी लाभदायक हैं और इस मामले को अच्छी तरह समझने में काफी सहायता करेंगी। राज्य सरकारों से जो रायें मिली हैं, मैं उन्हें तीन विभागों में विभाजित करूंगा।

खंड ४ में जो संशोधन है उसका बहुत से राज्यों ने विरोध किया है।

मुख्य बात तो यह है कि व्यक्तियो की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में शस्त्रास्त्र अधिनियम में कुछ छूट हो सकती है। इस बारे में राज्य सरकारों में कुछ मतभेद हैं, और जो राज्य सरकारें इसके विरोध में हैं उनके तर्क कुछ सिद्धान्तों पर आधारित हैं, जिन पर विचार करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाये गये हैं उनको सभा पटल पर रखने के बारे में अनेक मत प्राप्त हुये हैं। एक दो राज्य सरकारों को छोड़ कर, अन्य किसी राज्य सरकार ने इसका विरोध नहीं किया है। लगभग सभी राज्यों ने कहा है कि इन नियमों को सभा-पटल पर रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ ने तो यह कहा है कि इन नियमों को सभा-पटल पर रखना चाहिये ताकि सभा को उन पर चर्चा करने का अवसर मिल सके और उनके बारे में और भी सुझाव दिये जा सकें। यह बहुत ही महत्व-पूर्ण बात है।

अधिनियम की धारा १ में संशोधन करके व्यक्तियों के कुछ वर्गों को इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर करने के लिये मैं ने सुझाव दिया था कि एक खंड (ग) होना चाहिये।

शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में जो विधि है उसके नियमों को उदार बनाने के लिये किये जाने वाले उपायों में सब से पहला उपाय जिसकी मैं ने सलाह दी है यह है कि शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के शस्त्रों को विमुक्त कर दिया जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार समय समय पर उन शस्त्रास्त्रों के पंजीयन के सम्बन्ध में नियम बनाती रहे जो कि धारा १ के खंड (ग) अथवा धारा २७ के अन्तर्गत खरीदे जायें। बहुत सी राज्य सरकारों ने इस खंड दूसरे भाग अर्थात् धारा २७ में उल्लिखित शस्त्रास्त्रों के पंजीयन के सम्बन्ध में यह स्वीकृति प्रकट की है। परन्तु अन्य राज्यों ने इनका विरोध किया है और उनके विरोध का कारण यह है कि धारा २७ के अन्तर्गत सरकार को उपबन्धों को उदार बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त है और यदि वे चाहें तो धारा २७ के अन्तर्गत विमुक्तियां प्रदान कर सकते हैं।

इस वर्गीकरण पर समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि अधिकतर राज्यों ने प्रतिकूल उत्तर दिया है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। पत्र संख्या १ में बिलासपुर राज्य ने किसी भी प्रस्ताव पर कोई टीका नहीं की है। भोपाल की कोई भी टिप्पणी नहीं है। कच्छ राज्य का कहना है कि यह अनावश्यक है। उत्तर प्रदेश--जो एक बड़ा राज्य है--इसका विरोध करता है। बिहार खण्ड ५ का विरोध नहीं करता, परन्तु छूट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं देखता। विधान मण्डल के सदस्यों के बारे में बिहार राज्य कहता है कि हाल ही में अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारियों को जो हिदायतें दी गई हैं वे ये हैं कि जब भी विधान मण्डल के ये सदस्य अनुज्ञा की प्रार्थना करें तभी अपवाद वाले मामलों को छोड़ कर उन्हें अनुज्ञा देनी चाहिये.....

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : आशा की जाती है कि सारे सदस्य इन पत्रों को पढ़ेंगे।

श्री यू० सी० पटनायक : बहुत से पत्र हैं और मैं उनका बहुत ही संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। फिर से में बताया गया है कि इन श्रेणियों के लोगों को मुफ्त अनुज्ञा देने की राज्य में प्रचलित प्रथा से काम चल जायेगा। मनीपुर इसका पूर्णतया समर्थ

[श्री यू० सी० पटनायक]

करता है । पत्र संख्या २ में मैसूर विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता है । पेप्सू कहता है कि वह खण्ड ५ से सहमत है परन्तु खण्ड २ के बारे में कहता है कि इसमें प्रशासन के उपबन्धों को कड़ा बनाने की आवश्यकता है । पश्चिमी बंगाल विरोध में है परन्तु कहता है कि शस्त्रास्त्रों की अनुज्ञा अधिक जी खोल कर दी जानी चाहिये बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से राज्य की सुरक्षा पर आंच न आये, और वह स्वयं इस योग्य हो ।

पत्र संख्या ३ में विन्ध्य प्रदेश दोनों खण्डों का समर्थन करता है । हैदराबाद खण्ड ५ के बारे में कुछ नहीं कहता परन्तु २ से ४ तक के खण्डों का विरोध करता है । अजमेर दोनों का समर्थन करता है । पत्र-संख्या ४ में हिमाचल प्रदेश कहता है कि खण्ड २ आवश्यक प्रतीत नहीं होता परन्तु यह खण्डों का समर्थन करता है । आन्ध्र इसी कारण खण्ड २ का विरोध करता है परन्तु यह खण्ड ५ की निविष्टि का विरोध नहीं करता । राजस्थान खण्ड ५ का समर्थन करता है और अन्य बातों के बारे में कहता है कि उल्लिखित व्यक्तियों को धारा २७ के अधीन छूट दी जा सकती है और वह व्यक्तियों के लिये धारा २५ के अधीन पंजीयन कराने का समर्थन करता है । त्रिपुरा दोनों का समर्थन करता है । अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह दोनों का समर्थन करते हैं । त्रावनकोर-कोचीन खण्ड ५ का समर्थन करता है परन्तु कहता है कि विचाराधीन छूट देने की आवश्यकता नहीं है । जम्मू तथा काश्मीर सरकार संशोधनों के विरुद्ध है । पत्र संख्या ५ में सौराष्ट्र खण्ड ५ का समर्थन करता है परन्तु धारा २७ के अधीन पंजीयन को अच्छा मानता है । कुर्ग कहता है कि पूर्ण छूट नहीं होनी चाहिये परन्तु विधान मण्डल के सदस्यों, आदि को मुफ्त अनुज्ञा मिलनी चाहिये और केवल अपवाद के मामलों में ही अनुज्ञा के लिये मना किया जाना चाहिये । मध्य प्रदेश खण्ड ५ की निविष्टि के अतिरिक्त उपबन्धों के पक्ष में नहीं है ।

पत्र संख्या ६ में आसाम २ से लेकर ४ तक के खण्डों का विरोध करता है परन्तु खण्ड ५ पर उसे कोई आपत्ति नहीं है । पंजाब का भी यही मत है । मध्य भारत खण्ड ४ का विरोध करता है और खण्ड २ को अनावश्यक मानता है । मध्य भारत का यह सुझाव है कि 'शस्त्रास्त्रों' में केवल अग्नि-अस्त्रों को ही सम्मिलित किया जाय । खण्ड ५ पर मद्रास का कोई मत नहीं है परन्तु वह खण्ड २, ३ तथा ४ को अनावश्यक मानता है । बम्बई राज्य को खण्ड ५ की निविष्टि पर आपत्ति नहीं है परन्तु वह कहता है कि अभी अधिनियम के उपबन्धों को ढीला करने का समय नहीं आया है । पत्र ७ में उड़ीसा प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में नहीं है, परन्तु कहता है कि शस्त्रास्त्र अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्तन होना चाहिये । दिल्ली राज्य प्रस्तावित संशोधनों के सीमित क्षेत्र का विरोध करता है; परन्तु मुख्य मंत्री संशोधनों का पूर्णतया समर्थन करते हैं । कुछ अन्य राज्यों के मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकतर न्यायाधीशों का भी यही मत है ।

अतः मेरा निवेदन है कि यह एक उचित मामला है जहां उपबन्धों पर पुनः विचार होना चाहिये और वे फिर इस के द्वारा बनाये जाने चाहियें । शस्त्रास्त्र अधिनियम का पुनरीक्षण करने के हमारे प्रस्तावों के बारे में और प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक ज़िला को सामग्री सहित छः शस्त्रास्त्र देने में गृह-कार्य मंत्री ने बड़ी ही सहृदयता से काम लिया है । अतः मैं कह सकता हूं कि

इस सभा के अधिकतर सदस्यों का यह मत है कि इस मामले में मंत्रालय हमारी मांगों के पक्ष में रहा है। हम इस बात के इच्छुक हैं कि इसमें शीघ्रता होनी चाहिये और एक नया विधेयक प्रस्तुत होना चाहिये। अन्य देशों में अग्नि-अस्त्र शस्त्रास्त्र विधियों के अधीन आते हैं, और कुछ स्थानों में सारे नहीं केवल खतरनाक प्रकार के ही अस्त्र विधि के अधीन आते हैं। उदारहणार्थ, इंगलैंड में आपको अपने घर अस्त्र रखने के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है परन्तु जब आप पक्षियों को मारने के लिये बाहर जाते हैं तब आपको अनुज्ञा की आवश्यकता होती है, और वह थोड़े से भुगतान पर डाकघर से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अमरीका में '२२ बोर (नालीदार) बन्दूक, या रिवाल्वर व राइफल, पिस्टल आदि के रखने के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल भारी व खतरनाक अस्त्रों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता है। परन्तु हमारे देश में ज़रा सा भी अस्त्र रखना एक अपराध है। यहां तक कि एक चाकू या छुरी को भी हमारे यहां अस्त्र शस्त्र माना जाता है। अतः मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह एक नया शस्त्रास्त्र अधिनियम बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पटनायक का उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

आगामी सत्र का अन्तिम सप्ताह बहुत ही अनिश्चित है। अतः माननीय सदस्य इस दिनांक को बदल कर ३१ मार्च, १९५५ कर सकते हैं।

श्री यू० सी० पटनायक: श्रीमान्, मुझे स्वीकार है।

डा० काटजू: क्या मैं यह कहने के लिये अन्तर्बाधा कर सकता हूं कि हम सब ने भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। राज्य सरकारों से प्राप्त मतों में बहुत ही विभिन्नता है और उन पर पर्याप्त विचार करने की आवश्यकता है। सरकार सारे मामले पर विचार कर रही है और मुझे आशा है कि एक आध मास में कोई निश्चय हो जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो कोई विधेयक भी पुरःस्थापित कर दिया जायेगा। अतः मैं अपने माननीय मित्र को सुझाव देता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्थगित होने दें और इसे अग्रेतर विचार के लिये मार्च के प्रथम सप्ताह में लिया जा सकता है। तब तक कदाचित् सरकार भी अपना विधेयक पुरःस्थापित कर सकेगी और तब दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जा सकेगा। यदि मेरे मित्र सन्तुष्ट हों, तो वह अपना विधेयक वापस ले सकते हैं, या दोनों को मिला दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य सहमत हैं?

श्री यू० सी० पटनायक: अभी इस विधेयक के समय में सत्रह मिनट शेष हैं और मैं समझता हूं कि कुछ सदस्य अभी बोल सकते हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप): मैं श्री पटनायक के विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूं। वास्तव में यह शस्त्रास्त्र अधिनियम अंग्रेज़ी साम्राज्य को देन है जो हमारे शस्त्रास्त्र रखने से भयभीत थे, परन्तु मैं नहीं समझती कि हमारी सरकार लोगों के शस्त्रास्त्र रखने से भयभीत है। शस्त्रास्त्रों की मुख्यकर दो दृष्टियों से आवश्यकता होती है, एक तो रक्षा के लिये और द्वितीय क्रीड़ा के लिये। यदि हम रक्षा के लिए ऐसे शस्त्रास्त्र चाहते हैं तो इसमें निश्चय ही कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यदि ये क्रीड़ा के लिये हैं तो इससे निश्चय ही हमारे नवयुवकों का स्वास्थ्य सुधरेगा और जहां शस्त्रास्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता

[श्रीमती इला पालचौधरी]

है वहां उनमें देशभक्ति का उदय होगा। केवल इस दृष्टि से अनुज्ञाएं सरलता से प्राप्त हो जानी चाहियें। दूसरी ओर मैं चाहती हूं कि अनुज्ञाओं की जांच होनी चाहिये ताकि अस्वस्थ मस्तिष्क वालों तथा अपराध करने वालों को अस्त्र प्राप्त करने से रोका जा सके। मेरा विचार है कि हमारे नवयुवकों को अस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिये राइफल क्लब आदि होने चाहियें। यदि आप १९४५, १९४६ तथा १९४७ का स्मरण करें तो विदित होगा कि बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में उन वर्षों को कौन भुला सकता है। यदि हमारे पास अस्त्र होते तो संकट को रोका जा सकता था। कोई अवसर आने पर उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिये। राष्ट्र की भलाई तथा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिये हमें स्वतन्त्र देश में अग्नि-अस्त्र अवश्य मिलने चाहियें।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क (जम्मू तथा काश्मीर) : जो यह बिल पटनायक साहब ने इस हाउस के सामने पेश किया है इसकी ताईद करते हुये मैं चन्द खयालात आपके सामने रखना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान सन् १९४७ में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद बहुत मरहलों से गुज़र कर अब हम इस पोज़ीशन में आ गये हैं जहां अब यह ज़रूरी मालूम होता है कि वह आर्म्ज़ एक्ट जो अंग्रेज़ों ने इस हिन्दुस्तान को ग़ुलाम और हिन्दुस्तानियों को कमज़ोर और डरपोक बनाने के लिये इस्तेमाल किया था अब इस में तरमीम कर दी जाये। इस वक्त यह कहना कि इस आर्म्ज़ ऐक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाये या आर्म्ज़ रखने की खुली आज़ादी दी जाये दुरुस्त न होगा। मेरे दोस्त पटनायक साहब ने इंगलिस्तान और अमरीका की मिसालें हमारे सामने रक्खी हैं। इन मुल्कों की कुछ वाकफियत मुझे भी है और इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं जहां हर हिन्दुस्तानी नौजवान आर्म्ज़ के इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले और इनको चलाने के सही और दुरुस्त तरीके जाने और इस काबिल हो जाये कि इन आर्म्ज़ को लेकर वह मुल्क की हिफ़ाज़त के लिये, अपनी हिफ़ाज़त या शिकार के लिये इस्तेमाल करे, वहां मैं यह भी चाहता हूं कि यह आर्म्ज़ इतने आज़ादाना तौर पर नहीं दिये जाने चाहियें जिससे कि इनका ग़लत इस्तेमाल शुरू हो जाये। अमरीका में सन् १९३३ में लोगों को अपने अपने पिस्तौल या और हथियार रखने की आम इजाज़त थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर गैंगस्टर्स (डाकुओं) ने एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम होने का ख़तरा पैदा कर दिया और प्रेज़ीडेंट रूज़वैल्ट को सन् १९३५ में इस कानून को अमैण्ड करना पड़ा था ताकि उन आर्म्ज़ का सही और दुरुस्त इस्तेमाल हो सके। हमारे सामने हिन्दुस्तान की भी मिसालें मौजूद हैं कि तैलंगाना में क्या हुआ और राजस्थान में डाकुओं ने इन हथियारों का कितना ग़लत इस्तेमाल किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई अच्छा शहरी लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दे तो इसको लाइसेंस मिलने में जो तकलीफ होती है उसको दूर न किया जाये। आजकल हालत यह है कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर भी अगर लाइसेंस के लिये दरख्वास्त देता है तो रैडटेपिज़म की वजह से इसको ११, १२ महीने लाइसेन्स मिलने में लग जाते हैं। लाइसेंन्स देने का तरीका बहुत लम्बा है। पहले डिप्टी कमिश्नर के पास दरख्वास्त देनी पड़ती है इसके बाद वह इन्क्वायरी के लिये सब इन्स्पैक्टर के पास जाती है। वह उस को कान्स्टेबल को देता है जो कि

गांव में जा कर तहकीकात करता है । और इसमें बहुत वक्त लग जाता है । इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस ऐक्ट में तरमीम होना लाज़मी है । आज होम मिनिस्टर साहब ने हाऊस के सामने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और यकीन दिलाया है कि वह जल्दी ही एक तरमीम बिल इस हाऊस के सामने पेश करेंगे । इस सिलसिले में मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह बिल बनाते वक्त जो बातें मैं ने कही हैं उनका ख्याल रक्खें और जहां शरीफ शहरियों को आर्म्ज़ खरीदने में कोई रुकावट न हो वहां वह कानून इतना लिबरल भी न हो कि हर एक आदमी इसका नाजायज़ फायदा उठाये और इन आर्म्ज़ का ग़लत इस्तेमाल करके सोसायटी के लिये खतरा हो जाये ।

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर उत्तर) : १८७८ के भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम का वर्तमान प्रस्तुत संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है । १८७८ के अधिनियम के पीछे एक रहस्य है । १८५८ में महारानी झांसी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता के संग्राम के पश्चात् अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस देश में अपना राज्य बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इस देश के लोगों को निहत्था कर दिया जाय । उन्होंने समय समय पर नियम बनाये और अन्त में १८७८ का यह अधिनियम बनाया । परन्तु अब स्वतन्त्रता की परिस्थितियों में इस अधिनियम पर जमे रहना इस देश के लोगों के प्रति अन्याय है । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में "शस्त्रास्त्र" तथा "गोलाबारूद" की जो परिभाषाएं दी हैं, वे वास्तव में, परिभाषायें नहीं अपितु वर्णन हैं । इसमें उल्लेख है कि "शस्त्रास्त्र" में अग्नि-अस्त्र, बायोनेट्स (बर्छियां), तलवार, आदि सम्मिलित हैं । इसी प्रकार "गोलाबारूद" की परिभाषा भी अत्यन्त युक्तिहीन है । अतः मेरा सविनय निवेदन है कि अब इस में संशोधन करने का समय आ गया है ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के कुछ भागों में विद्यमान विधिहीनता की दृष्टि से, यह वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार नागरिकों को खुले हृदय से अनुज्ञा दे और उन्हें स्वयं सेवक दल बनाकर शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना चाहिये जैसे कि दिल्ली में राइफल क्लब खोला गया है । शान्ति के हित में, मैं अत्यन्त विनम्रता से कहता हूं कि आज देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वह १९४२ या १९४३ के पूर्व थी । मैं जानता हूं कि गांवों में लोग आजकल भी सारी-सारी रात इसलिये जाग कर चौकसी करते हैं कि कहीं डाका न पड़ जाय या उन्हें लूटा न जाय । यों केवल दो अग्न्यस्त्रों से ही सारे गांव को डराया जा सकता है, इसलिये यदि हम ऐसे देहातियों को जो अच्छे चरित्र के हों खुली अनुज्ञप्तियां दें और नवयुवकों को अस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण दें तो अवस्था बदल जायेगी । मैं कई ऐसे गांवों के सम्बन्ध में जानता हूं जहां डाकुओं ने दिन भर तक लूट की और कोई उन्हें रोक नहीं सका क्योंकि किसी के पास कोई अग्न्यस्त्र ही नहीं थे । अतः ग्रामीणों को अस्त्र देने की नीति सर्वथा उचित है ।

हम लोगों का, जो यहां पर जनता के प्रतिनिधि हैं, यह कर्तव्य है कि ग्रामीणों की सम्पत्ति के संरक्षण की ओर ध्यान दें । यह ठीक है कि हमारे यहां पर्याप्त पुलिस है, किन्तु जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि पुलिस तो घटनास्थल पर तभी पहुंचती है जब डाका पड़ चुकता है । पुलिस अपराधों को रोकती नहीं । इसलिये ग्रामीणों को खुली अनुज्ञप्तियां देकर हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये।

[श्री कानावडे पाटिल]

श्रीमान्, लोगों को सशस्त्र करने का एक दूसरा लाभ यह होगा कि हमारे देश में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार हो जायगी। एक ज़िले में ५०० से २००० तक लोगों को अस्त्र दिये जायें और उनके स्वयंसेवक दल बना दिये जायें। उन दलों की यह ज़िम्मेदारी होनी चाहिये कि वे ग्रामों में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखें।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री पटनायक का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री अब स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

गृह-कार्य उप मंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "इस विधेयक पर अग्रेतर विचार, मार्च, १९५५ के तीसरे सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

> "इस विधेयक पर अग्रेतर विचार अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम): मैं प्रस्ताव करती हूं कि "महिलाओं तथा बालों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को विनियमित करने और अनुज्ञप्ति देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बिल पहले भी इस हाउस में आ चुका है। यह बिल जो मेरे नाम से आया मैं सोच में पड़ गयी कि यह बिल जो मेरी बहिन मणिबेन के नाम से भी आया था और इसके लिये गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम बहुत जल्द हाउस में ऐसा बिल लायेंगे।

मुझे इस बिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं जो यह बिल लायी हूं यह उस अत्याचार को रोकने के लिये है जो कि समाज में हो रहा है। और सब लोग भी इस बात को समझते हैं। इस बिल को लाने में मेरा यह विचार था कि इससे गवर्नमेंट बहुत जल्द इन इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में ले लेगी और उनमें कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन मैं यह देख रही हूं कि जब मणिबेन का बिल आया था तो उनसे कहा गया था.....

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): क्या मैं पांच मिनट के लिये हस्तक्षेप कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिये।

[श्रीमती खोंगमेन, पीठासीन हुईं]

श्रीमती उमा नेहरू: आठ महीने हुये जब यह बिल इस हाउस में आया था और उस पर चर्चा हुई थी। आज जो हमारी औरतों और बच्चों की हालत है और जो हमारे आरफनेजेज़ की हालत है उसको देखते हुये यह ज़रूरी है कि ऐसा बिल लाया जाय और इसी लिये मैं यह बिल लायी हूं।

असल बात यह है कि यह जो संस्थायें होती हैं यह सरकार की होनी चाहियें। मैं इस बिल को इस लिये लायी हूं कि इस पर अच्छी तरह से चर्चा हो और यहां इस विषय पर व्याख्यान भी हों।

इसके पहले भी डावरी बिल मेरे नाम से आया था और मैं ने उसको बड़े दुःख के साथ वापस लिया था जब कि मझे यक़ीन दिलाया गया कि सरकार बहुत जल्द डावरी बिल लावेगी । लेकिन एक अर्सा हो गया उसका नामो निशान भी नहीं दिखायी देता । न मालूम उसका क्या हुआ । उसी के साथ ही एक सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफ़िक बिल भी आया था । उसकी भी वही गति हुई है । न मालूम उसमें क्या हो रहा है ।

मैं ज्यादा न कह कर अपने भाई और बहिनों से कहूंगी कि वे इस पर बोलें । आज हमको समाज में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है और ये चीज़ें जो यहां आती हैं इसी लिये लायी जाती हैं । हम इसीलिये इन चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि समाज में परिवर्तन किया जाय । मैं और ज्यादा न कह कर इस बिल को पेश करती हूं और मैं समझती हूं कि इस पर मेरे भाई और बहिनें बोलेंगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री पाटस्कर : मैं इस समय कुछ तथ्य माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं । जो विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है उसी प्रकार का एक विधेयक श्रीमती मणिबेन पटेल ने रखा था और उस पर चर्चा हुई थी । मेरे विचार में इस पर ३ अप्रैल और ३ सितम्बर, १९५४ को लगभग तीन घंटे तक चर्चा हुई थी और तब गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया था और बताया था कि अवस्था क्या है । आज भी मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करूंगा । तीन घंटे की चर्चा के बाद विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया गया था । इस समय अवस्था यह है कि बाल तथा महिलाओं सम्बन्धी एक विधेयक सरकार ने राज्य-सभा में पुरः-स्थापित किया था और वह पारित किया जा चुका है । मेरे विचार में इस सभा में इस पर चर्चा नहीं हुई । मेरे विचार में जब पहले माननीय गृह मंत्री ने ३ सितम्बर, १९५४ को वाद विवाद में हस्तक्षेप किया था उस समय भी यही अवस्था थी ।

जहां तक स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का प्रश्न है—इसे लोक-सभा सचिवालय में भेज दिया गया है । इसे प्रकाशन के लिये भेज दिया गया था, किन्तु पूछने पर पता लगा कि वह एक टेक्निकल कारण से अब तक प्रकाशित नहीं हो सका, क्योंकि कारण यह है कि जब सभा का सत्र होता है तो वे कुछ भी सभा की आज्ञा बिना प्रकाशित नहीं करते ।

इस लिये मैं समझता हूं कि मैं अथवा गृह मंत्री इस सत्र के अन्त तक इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे । यह वांछनीय है । जब ये दोनों विधेयक सभा के सम्मुख आ जायेंगे तो मेरे विचार में अब से स्थिति अच्छी हो जायेगी ।

जैसा कि कहा गया है, एक विधेयक तो लाया जा रहा है । कई टेक्निकल मामले इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिये जब ये दोनों विधेयक सभा के सम्मुख होंगे तो यह बहुत अच्छा होगा और प्रत्येक विषय पर ठीक ठीक ढंग से चर्चा हो जायगी । सरकार को इन के उद्देश्य से पूरी पूरी सहानुभूति है, और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वह केवल इसी कारण हुआ है कि संभवतः यह सन्देह रहा हो कि क्या यह विषय समवर्ती सूची के हैं अथवा राज्य सूची के हैं । किन्तु अब सरकार ने निर्णय कर लिया है और एक विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा । राज्य सरकारों की रायें मांगी गई थीं । वास्तव में, बम्बई में बच्चों के बारे में कुछ उपबन्ध किया जा चुका है । इन बातों को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बच्चों के सम्बन्ध में एक विधेयक राज्य-सभा ने

[श्री पाटस्कर]

पारित कर दिया है, मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस सत्र की समाप्ति से पूर्व ही एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा । विधेयक तो है ही और इसे लोक-सभा सचिवालय में भेज दिया गया है, किन्तु अब सभा का सत्र हो रहा है, तो स्वभावतः अध्यक्ष सभा की अनुमति के बिना उसे प्रकाशित नहीं करेगा । वह विधेयक निश्चित रूप से ही सत्र की समाप्ति से पहले सभा में पुरः-स्थापित कर दिया जायेगा ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत करने वाली माननीय सदस्या क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती उमा नेहरू : मैं तो चाहती हूं कि इसे जारी रखा जाये । मैं विधेयक वापस लेना नहीं चाहती ।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में एक बात और दिलाना चाहता हूं । कई सदस्याओं ने कुछ विधेयकों की सूचनायें दी हैं । बाल विधेयक केवल भाग ग राज्यों से सम्बन्ध रखता है और जैसा कि मैं ने कहा था, पहले यह समझा जाता था कि केन्द्रीय सरकार अथवा संसद् केवल भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में ही विधान बना सकती है और अन्य राज्यों के सम्बन्ध में नहीं । यह संदिग्ध था कि क्या यह विषय समवर्ती सूची का है । अब जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, जब यह विधेयक हमारे सामने आयेगा हम इसकी परीक्षा करेंगे । मेरा विचार है कि सरकार का अब यह मत है कि संसद् अब इस विषय के बारे में विधान बना सकती है । भारत सरकार ने कई राज्यों के विचार जाने हैं और केवल एक या दो को छोड़ कर, सभी ने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि केन्द्र विधान बना सकता है ।

इस समय, जैसा कि मैं समझता हूं, यह विचार है कि हम विधान बना सकते हैं । अतः जैसा कि मैं ने कहा है जब बाल विधेयक सभा के सम्मुख आ जायेगा, तब उसमें उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं । और सरकार प्रश्न का परीक्षण कर सकती है । हम भी यही चाहते हैं कि बाल तथा महिलाओं के सम्बन्ध में सारे भारत वर्ष में एक ही समान विधि होनी चाहिये ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : मैं ने बाल संरक्षण विधेयक पुरःस्थापित किया था और शिक्षा मंत्रालय ने उसको स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु बाद को मैं ने देखा कि इसे बिलकुल उ ा कर रख दिया गया । जो विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत कुछ मेरे विधेयक से ही मिलता-जुलता है । मेरी समझ में यह बात बिलकुल नहीं आती कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार क्यों नहीं किया जाता । मुझे इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में थोड़ी सी शिकायत है । मैं चाहती हूं कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया जाये और मेरा विधेयक भी स्वीकार किया जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मतदान अन्य सदस्या के पक्ष में रहा है आप के नहीं ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : पिछली बार मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ था । उस समय भी, मैं ने कहा था कि बाल अपराधियों के अलावा अन्य बालकों को भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया जाये । इस विधेयक के अनुसार सरकार सच्चे आश्रमों को ही अनुज्ञप्ति दे सकेगी । हम चाहते हैं कि झूठे आश्रमों के बच्चे भी पथभ्रष्ट होने से बचाये जायें । अतः मैं यान-

नीय मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि बाल विधेयक का क्षेत्र और बढ़ाया जायेगा अथवा नहीं तथा अन्य आश्रमों को भी अनुज्ञप्ति देना इस विधेयक में सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं ।

श्री पाटस्कर : इन परिस्थितियों में मैं नहीं चाहता कि चर्चा न हो ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : मैं श्रीमती उमा नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहती हूं । यह विधेयक बच्चों तथा महिलाओं की संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में है । किन्तु इन महिला संस्थाओं के बारे में मेरा कहना यह है कि जहां कहीं भी ऐसी संस्थायें अथवा आश्रम हों, सरकार उनको अपने अधिकार में कर ले, ताकि उनका नियमित अधीक्षण हो सके और उनमें किसी प्रकार भी अनाचार न हो । यही बात मुझे बाल आश्रमों के बारे में कहनी है । प्रबन्धक गण बड़े बड़े बच्चों को आस-पास के स्थानों में भीख मांगने को भेज देते हैं । और इस प्रकार से काफी धन संचित कर लेते हैं, किन्तु बच्चों के सुधार और शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं करते । अतः यदि सरकार इन सब संस्थाओं तथा आश्रमों को अपने अधिकार में कर लेती है, तो संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक के मूल्य अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, समाज का कलंक मिट सकेगा, स्वस्थ वातावरण बन सकेगा, विधि और व्यवस्था स्थापित हो सकेगी और बच्चे व औरतें पथ-भ्रष्ट नहीं होंगे । अतः मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वे इन टाल-मटोल करने वाले विधानों में न उलझ कर इस ओर ध्यान दें और समाज से अनाचार दूर करें ।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : सभा में इस विधेयक के प्रस्तुत होने पर, सरकार सामने आकर यह कहती है, कि वह ऐसे विधेयक जल्दी ही प्रस्तुत करने वाली है, अतः हमको यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं सरकार को बताना चाहती हूं कि दिल्ली में नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी एक संस्था है । श्रीमती रामेश्वरी नेहरू बहुत समय से सरकार से यह अनुरोध कर रही हैं कि उस संस्था का सुधार किया जाये । निराश होकर ही, उन्होंने हम सदस्याओं से इस विषय में कुछ करने को कहा है । हम सब चाहते हैं कि सरकार इस मामले की ओर यथाशीघ्र ध्यान दे, क्योंकि समाज की प्रगति के लिये बच्चों और महिलाओं की रक्षा होना बहुत जरूरी है ।

माननीय विधि मंत्री ने अभी बताया कि बम्बई राज्य में इसी प्रकार की एक विधि पारित हो चुकी है । किन्तु इस विधेयक का सम्बन्ध कुछ बड़े बड़े नगरों से ही है और इस के लिये यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इसको छोटे छोटे स्थानों में भी लागू कर सके । मैं चाहती हूं कि सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता दे, ताकि वे इन बातों की ओर ध्यान दे सकें ।

श्रीमती काले ने अभी बताया कि ये आश्रम अनाचार के अड्डे हैं जहां बच्चों और स्त्रियों को पथभ्रष्ट किया जाता है । यह तो सम्भव नहीं है कि सरकार इन सब संस्थाओं को अपने नियंत्रण में कर ले, परन्तु अनैतिक व्यवहारों को रोकने के लिये यह परमावश्यक है कि सरकार इन संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने लगे ।

अतः मैं निवेदन करती हूं कि सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये गैर सरकारी सदस्यों को विशेषाधिकार दे और इसको पारित करे ।

श्रीमती सुषमा सेन : श्रीमती काले तथा श्रीमती मायदेव के वक्तव्यों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में स्त्रियों और बच्चों को उचित स्थान देने के लिये और कल्याण सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये यह महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक बहुत ज़रूरी है । मैं आशा करती हूं कि सरकार ग़ैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक पर विचार करेगी और इसको पारित कराने में सहयोग देगी ।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर) : बालक तथा युवक हमारे देश की भावी आशा हैं । महिलाओं और बच्चों की ओर विशेष ध्यान देकर हम उनके साथ कोई विशेष उपकार नहीं करेंगे, अपितु अपने कर्तव्य का ही पालन करेंगे । यदि अनेक आश्रमों और संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने से केवल बच्चों और स्त्रियों की रक्षा हो सकती है और उनको सुविधायें मिल सकती हैं तथा सारी संस्थायें सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं जो कि देश की वर्तमान अवस्थाओं में बहुत ज़रूरी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस विधेयक के सिद्धान्तों को मानने में क्यों संकोच करती है । मेरी समझ में यह विधेयक परमावश्यक है और सभा को हृदय से इसे स्वीकार करना चाहिये ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नव द्वीप) : मैं श्रीमती उमा नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूं । बच्चों और स्त्रियों पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है । उनकी सब प्रकार से रक्षा करना तथा उन्हें सब प्रकार की सुविधा प्रदान करना वस्तुतः देश का भविष्य ही उज्ज्वल करना है । यह बड़ी लज्जा की बात है कि एक ग़ैर सरकारी सदस्य को यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा । इस प्रकार का अधिनियम तो पहले से लागू होना चाहिये था । अतः यथाशीघ्र इस विधेयक का लागू हो जाना अति वांछनीय है । किन्तु इस विधेयक में दो तीन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । इन आश्रमों को अनुज्ञप्ति देने के साथ साथ इतनी और सुविधा प्रदान करनी चाहिये कि अनाथ बालक अपने सम्बन्धियों से भी मिल सकें, अथवा पत्र-व्यवहार कर सकें । दूसरे यह कि यदि कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं इस बालक का चाचा हूं या भाई हूं और मुझ को यह बच्चा दे देना चाहिये, तब बच्चा सौंपने से पूर्व इस बात की पूरी जांच लेनी चाहिये कि वह आदमी वस्तुतः वही है जैसा वह अपने आप को बताता है । आश्रम वाले तो यह सोच कर कि खाने-पिलाने के लिये एक प्राणी कम हो जायेगा, तुरन्त बच्चे को सौंप देते हैं । परन्तु परिणाम जो कुछ निकलता है, वह हम सब जानते ही हैं । इस बात को रोकने के लिये सरकार का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह इन आश्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करे, ताकि वे ऐसा न सोच सकें । संविधान के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह बच्चों और स्त्रियों को दुरुपयोग से बचावे । मैं आशा करती हूं कि सरकार इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करेगी और देश के बच्चों के कल्याण की चिन्ता करने का भार केवल ग़ैर-सरकारी सदस्यों पर ही नहीं छोड़ देगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमती उमा नेहरू ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये हमारी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य किया है, जिन में कहा गया है कि बच्चों युवकों और युवतियों को पथ-भ्रष्ट होने से बचाया जायेगा । भौतिक और नैतिक दोनों क्षेत्रों में उनकी देख-भाल की जायेगी । मुझे खेद है कि इस निदेशक तत्व को कार्यान्वित नहीं किया गया और संविधान के अन्य

ऐसे तत्वों अर्थात् लोगों को निश्शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को भी कार्यान्वित नहीं किया गया । इस राज्य को लोक-हितकारी राज्य बनाने के लिये मैं इस कार्य को अत्यावश्यक कार्य समझता हूं ।

आपको देश भर में छोटे और बड़े नगरों में अनाथालय मिलेंगे । उन के साथ ही इन बड़े नगरों में वनिता-आश्रम भी हैं । दिल्ली में पुलिस के महा निदेशक की पत्नी ने इन वनिता-आश्रमों की लड़कियों से पूछताछ से पता लगाया था कि वहां संस्थाओं के प्रवन्धक सैंकड़ों लड़कियों को अनेतिक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य करते हैं । भारत के प्रत्येक नगरमें इस प्रकार की गाथायें सुनने को मिलती हैं । बनारस में भी ऐसी दुखद परिस्थितियां हैं और यह दुःख का विषय है कि प्रायः सभी तीर्थ स्थानों पर ऐसी हालत है । यह हमारे समाज और सामाजिक जीवन पर एक कलंक है । इसलिये मैं समझता हूं कि श्रीमती उमा नेहरू ने हमारा ध्यान इस ओर दिला कर ठीक ही किया है ।

केवल महिलाओं को सहायता देने की बात नहीं है । बालाश्रमों और अनाथाश्रमों का भी उल्लेख किया गया था । इन अनाथाश्रमों में बालकों को भिखारी बनने की शिक्षा दी जाती है । उन्हें इस भव्य परम्पराओं वाले समाज के लिये भार स्वरूप बनाया जा रहा है । उन्हें वहां किसी प्रकार की नैतिक और नागरिक शिक्षा नहीं दी जाती । अभी अभी एक सदस्य ने कहा था कि बालक राष्ट्र की पवित्र धरोहर हैं, मैं उन से सहमत हूं । यदि राज्य इस प्रकार के सब बालकों और महिलाओं की देख-भाल का भार अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि इन आश्रमों और संस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से होना चाहिये । मैं ने टर्की में इस प्रकार का एक बाल आश्रम देखा था जिस में सब प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का प्रबन्ध किया हुआ था । वहां का कार्य भार राज्य के हाथ में था ।

माननीय मंत्री ने इस विधेयक के प्रति सहानुभूति प्रकट की है । परन्तु मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि विधान की और विशेषतः सामाजिक विधान की गति बहुत धीमी है और उसे परिपक्व बनाने में बहुत देर लग जाती है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ प्रकार के विधान राज्य की आवश्यकताओं के लिये आवश्यक होते हैं, परन्तु इस संसद में सामाजिक विधान का इतिहास बहुत दुःखद घटना है, हमारी सरकार को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिये जैसी आतुरता दिखानी चाहिये वैसी आतुरता वह नहीं दिखाती । आखिर सरकार को सारे भारत के लोगों की सामाजिक चेतना के प्रति सजग होना चाहिये । श्रीमती उमा नेहरू का यह कार्य सारे देश की सामाजिक चेतना का द्योतक है । इस विधेयक में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है । परिभाषायें सर्वथा ठीक हैं । अनुज्ञप्ति देने की शर्तें सर्वथा स्पष्ट हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को यह विधेयक तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार (तिरुप्पुर) : मुझे इस विधेयक के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करते हुये अत्यन्त हर्ष होता है ।

जो लोग देश की सामाजिक संस्थाओं को जानते हैं उन्हें पता है कि इन बाल आश्रमों में से कितनों का दुरुपयोग किया जाता है । बालकों के अंगों को अनैतिक ढंग से बिगाड़ा जाता है ताकि वे भीख द्वारा जीविका कमा सकें । वनिता-आश्रमों का वेश्यागृह की तरह प्रयोग किया जाता है । अतएव यह बहुत आवश्यक है कि सब राज्यों में अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी नियुक्त किये जायें जिस से इन आश्रमों को चलाने वाले लोगों को अनुमति दी जा सके ।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

हम जानते हैं कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्कूलों के प्रबन्धकों के सम्बन्ध में हमारा यह अनुरोध रहता है कि वह प्रबन्ध व्यवस्था पंजीबद्ध होनी चाहिये। तब जिन आश्रमों में मानव जीवन की आवश्यक शिक्षा और निवास आदि का प्रबन्ध होता है उन के संचालन और प्रबन्ध के लिये विनियमों के बारे में मतभेद कैसे हो सकता है ?

मुझे इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहनी हैं। एक यह कि इस पर वैधानिक आपत्ति हो सकती है। अनुसूची सात की राज्य सूची की मद सं० ४ के अनुसार यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत है, अतः इस प्रकार का विधेयक केवल भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में लाया जा सकता है।

श्री पाटस्कर : राज्य सभा में बाल विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और वह पारित हो चुका है और अब इस सभा में भी प्रस्तुत किया जायेगा। यह विधेयक केवल भाग ग राज्यों में लागू होता है। हमने अन्य सरकारों से ऐसी संस्थाओं की स्थापना के हेतु कहा है और कुछ राज्य सरकारों ने सहमति भी दे दी है, क्योंकि हम चाहते यह हैं कि सभी राज्यों में इस प्रकार की एक सी संस्थायें हों। केन्द्रीय सरकार इस चीज़ से बचना नहीं चाहती है वरन्, इसमें कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं, जिनको इस उपाय से दूर किया जायेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस प्रकार के जितने आश्रम चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सभी धर्मार्थ संस्थायें हैं और ये सभी सम्मिलित सूची में मद संख्या २८ के अन्तर्गत आती हैं। मैं नहीं समझता कि सप्तम तालिका की राज्य सूची में मद संख्या ४ के कारण इनको केन्द्रीय संचालन तथा व्यवस्था से एक दम अलग कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में विधि सम्बन्धी राय लेनी चाहिये कि क्या ये धर्मार्थ संस्थायें सम्मिलित सूची की मद संख्या २८ के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

भाग ग राज्यों के लिये कोई कठिनाई नहीं होगी। जो कुछ भी दुरुपयोग तथा बुराइयां आज बड़े शहरों में इस सम्बन्ध में देखने में आ रही हैं, उनको तभी दूर किया जा सकता है जब इनकी व्यवस्था तथा देख-भाल परिष्कृत मस्तिष्क वाले लोगों के हाथ में दी जाये।

वास्तव में यह कहना बिल्कुल सत्य है कि बच्चे देश की पवित्र निधि हैं। अतः इस विशाल देश का कल्याण तभी हो सकता है जब इनकी उचित व्यवस्था की जाये। आज हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे "आश्रमों" में रख दिये जाते हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई नियम भी नहीं हैं।

जहां कहीं सरकार से अनुदान की मांग की जाती है, वहीं कुछ न कुछ सरकार का नियंत्रण भी रहता है। मैं तो उन संस्थाओं की बात कहता हूं जिनको न तो केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त है और न अनुदान ही मिलता है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संस्थायें देश में कार्य कर रही हैं जिनका शोषकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ उपाय करना चाहिये। अतः इस सुझाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस विधेयक के सिद्धान्त से सम्बन्धित एक विशद विधेयक तैयार करे जिससे हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय का सूत्रपात हो सके तथा हम अपने इस महान् देश के बच्चों की देखरेख कर सकें।

श्री घुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण) : यह जो बिल आपके सामने उपस्थित किया गया है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं । अभी जब हमारे विधि मंत्री ने यह बात कही कि एक बिल पार्ट 'सी' स्टेट्स के लिये राज्य सभा में पास हो गया है और वह यहां पर आने वाला है और उसके बाद हमें स्टेट गवर्नमेंटों से बातचीत करेंगे और उनको हम ने कहा भी है कि वह इस प्रकार का एक बिल लावें । तो यह तो एक बहुत लम्बी सी बात हुई कि पहले वह बिल यहां पर पेश होगा, पास होगा फिर तमाम जितनी स्टेट्स हैं उनको लिखा जायगा । सारी स्टेट्स इस बात को कहेंगी । कोई कहेंगे कि हमारे पास फाइनेन्स नहीं है, कोई कहेंगे कि हम ने यह बात ठीक समझी नहीं और कोई स्टेट कहेगी कि हमारे यहां इसकी ज़रूरत नहीं है । हम इस बात को देखते हैं कि जितने इस प्रकार के बिल जो कि प्राइवेट मेम्बर्स रखते हैं यहां पर इस सदन में, वह किसी न किसी बहाने से गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा यहां से टाल दिये जाते हैं । अभी कुछ समय पहले सेठ गोविन्द-दास का एक बिल आया था जिसमें उन्होंने एक मामूली बात रक्खी थी कि भारतवर्ष के लोग इस बात को चाहते हैं कि गाय और दूसरे दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी रक्षा की जाय, उसके लिये भी यह कहा गया कि आप इसको थोड़ा हटा लें, आगे इस विषय में एक बिल सरकार लाने वाली है । जो चीज़ तब कही गयी वही चीज़ इस बिल के सम्बन्ध में भी कही जाती है ।

इसी प्रकार से इस बिल के सम्बन्ध में भी कहा जाता है । मुझे नहीं मालूम है कि इस के लिये कितना समय लिया जायेगा और कितना विचार इस पर किया जायेगा । मैं इस बात को जानता हूं, और हमारे जितने साथी हैं वह इस बात को जानते हैं कि हर एक शहर में बहुत से स्वार्थी लोग, कुछ लोग तो स्वयम् और कुछ संस्थायें बनाये हुये, ऐसे हैं जो कि उन बच्चों और स्त्रियों के ज़रिये हज़ारों रुपये कमा रहे हैं । संस्था का नाम अनाथालय या वनिताश्रम होता है जो कि उस के दरवाज़े पर लिखा रहता है, किन्तु उस में जो बातें की जाती हैं और देखी जाती हैं, उस से हमारा समाज बहुत कलंकित होता है ।

श्रीमती जी, आप इस बात को जानती होंगी कि बड़े बड़े शहरों में वनिताश्रम के नाम पर सैंकड़ों स्त्रियां रात दिन भगाई जाती हैं । ज़िलों में इन वनिताश्रमों के एजेन्ट फिरा करते हैं, स्त्रियां फिरा करती हैं, चूड़ी वालियां फिरा करती हैं और जिस समय पुरुष लोग दफ्तर चले जाते हैं उस समय १० और ४ बजे के बीच में बहुत सी स्त्रियां गोटा बेचने आती हैं, कोई और चीज़ें बेचने आती हैं, कोई बरतन बेचने आती हैं, कोई औरतें कपड़े ले कर उन स्त्रियों को बरतन देती हैं और इस के ज़रिये से वह घरों में घुस जाती हैं और स्त्रियों को बहकाती हैं और इस तरह से बहुत सी देहात की स्त्रियां भगाई जाती हैं । फिर वनिताश्रम में दो, चार, दस दिन रक्खी जाती हैं, उस के बाद बहुत से दलाल लगे रहते हैं जिन के ज़रिये से वह स्त्रियां दूसरी दूसरी जगहों पर रुपया लेकर बेची जाती हैं ।

इसी प्रकार से, श्रीमती जी, आप देखिये कि सड़कों पर बच्चे अनाथालय के नाम पर घूमा करते हैं, पैसे मांगते हुये घरों में घुस जाते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, कहीं पर बांसुरी बजाते हैं कहीं ढोल बजाते हैं, यहां पर भी आप देखिये कि जो पार्लियामेंट के मेम्बरों के बंगले हैं वहां पर अक्सर इस तरह के बच्चे और स्त्रियां आती हैं और कोई खत दिखा कर के कहती हैं, बच्चे भी खत दिखा कर कहते हैं, उस पर मोहर भी

[श्री धुलेकर]

लगी होती है, वह कहते हैं कि हम अनाथालय से आये हैं और इस प्रकार से वह सहायता मांगते हैं । यह चीज़ें आज इतनी स्पष्ट हैं कि मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, किन्तु अपने ला मिनिस्टर साहब से मैं इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी उन्होंने एक नोट पेश किया है कि हम ने ऐसा ऐसा काम किया है मैं समझता हूं कि वह इस नोट को दोहरायेंगे और फिर उस के बाद अपनी राय को कायम करेंगे । मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने अपनी जो राय पेश की है उस को ज़रूर दोहराने की कोशिश करें और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि यह बिल कान्करेन्ट लिस्ट में आता है और जितने इस प्रकार के चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन के लिये इस प्रकार का कायदा यहां बनाया जा सकता है । मैं तो यह कहने वाला था कि गवर्नमेंट को इस में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये थी कि जिस समय यह बिल आया उसी वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक सुझाव आता कि हम इस के बारे में दोनों हाउसेज़ की एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं और इस में जो कुछ खामियां हैं उन को दूर करते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक

(धारा ७७ आदि का संशोधन)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं बिजली (सम्भरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहती हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विद्युत (सम्भरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं :

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD——HS554 LSD— 17-5-55—240